ISSN-0971-8397

योजना

अप्रैल 2015 विकास को समर्पित मासिक ₹ 10

विनिर्माण क्षेत्रः विकास और चुनौतियां

विनिर्माण आधारित आर्थिक वृद्धिः प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां
अरुप मित्रा

भारतीय विनिर्माण में संपोषणीयता व नवाचार की आवश्यकता
बालकृष्ण सी राव

भारतीय विनिर्माण क्षेत्र तथा श्रम कानूनः सुधार की आवश्यकता
देवाशीष मित्रा

विशेष आलेख

भारत में विधिक सहायता तथा राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण की भूमिका
मनोज कुमार सिन्हा

मुक्त विद्यालय-छुए मन, बदले जीवन

विद्याधनम् सर्वधनं प्रधानम्

आओ पढ़ें! आगे बढ़ें!

अपनी शिक्षा आगे बढ़ायें...
मुक्त विद्यालय को अपनायें

पाठ्यक्रम	प्रवेश शुल्क (बिना विलम्ब)			प्रवेश के लिए तिथियां
	पुरुष	महिलाएं	छूट प्राप्त वर्ग	
• मुक्त बेसिक शिक्षा कक्षा–III, V एवं VIII	–	–	–	30 जून (प्रत्येक वर्ष)
• सेकेन्डरी (कक्षा - X)				ब्लाक-1 : 16 मार्च–31 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क)
(i) पाँच विषयों के लिए	₹ 1350	₹ 1100	₹ 900	1 अगस्त–15 सितम्बर (विलम्ब शुल्क के साथ)
(ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	₹ 200	₹ 200	₹ 200	ब्लाक-2 : 16 सितम्बर–31 जनवरी (बिना विलम्ब शुल्क)
				1 फरवरी–15 मार्च (विलम्ब शुल्क के साथ)
• सीनियर सेकेन्डरी (कक्षा - XII)				ब्लाक-1 : 16 मार्च–31 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क)
(i) पाँच विषयों के लिए	₹ 1500	₹ 1250	₹ 975	1 अगस्त–15 सितम्बर (विलम्ब शुल्क के साथ)
(ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	₹ 230	₹ 230	₹ 230	ब्लाक-2 : 16 सितम्बर–31 जनवरी (बिना विलम्ब शुल्क)
				1 फरवरी–15 मार्च (विलम्ब शुल्क के साथ)
• व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (6 माह से 2 वर्ष)	पाठ्यक्रमों एवं अवधि के आधार पर			सत्र - 1 : 30 जून (प्रत्येक वर्ष) सत्र - 2 : 31 दिसम्बर (प्रत्येक वर्ष)

प्रवेश के लिए अपने निकटतम अध्ययन केंद्र अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।
विलम्ब शुल्क, अध्ययन केंद्रो, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि की विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.nios.ac.in देखें।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान)

ए–24/25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

टॉल फ्री नं. 1800-180-9393; ईमेल : lsc@nios.ac.in वेबसाइट : www.nios.ac.in

विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली

YH-338/2014

योजना

वर्ष : 59 • अंक 4 • अप्रैल 2015 • चैत्र-बैशाख, शक संवत 1937 • कुल पृष्ठ : 64

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल

संपादक
जय सिंह
ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष: 24365920
ई-मेल: yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट: www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
http://www.facebook.com/yojanahindi

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
वी. के. मीणा

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष: 26100207
फैक्स: 26175516
ई-मेल: pdjucir@gmail.com

आवरण: **जी. पी. धोपे**

इस अंक में

•	संपादकीय	–	7
•	विनिर्माण आधारित आर्थिक वृद्धि: प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां	अरूप मित्रा	9
•	'मेक इन इंडिया' के लिए 'स्किल इंडिया'	उत्सव कुमार सिंह	13
•	'मेक इन इंडिया' की आवश्यकता	कस्तूरी चक्रवर्ती मनीष मिश्रा	19
•	ई-कॉमर्स: छोटे उद्यमी के लिए बड़ा बाजार	शिशिर सिन्हा	25
•	भारतीय विनिर्माण में संपोषणीयता व नवाचार की आवश्यकता	बालकृष्ण सी राव	29
•	विशेष आलेख भारत में विधिक सहायता तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका	मनोज कुमार सिन्हा	32
•	भारतीय विनिर्माण क्षेत्र तथा श्रम कानून: सुधार की आवश्यकता	देवाशीष मित्रा	35
•	लघु व मध्यम उद्यमों की चुनौतीपूर्ण डगर	ऋषभ कृष्ण सक्सेना	41
•	अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू तेल मूल्य निर्धारण का गणित	हिरणमॉय रॉय, अनिल कुमार, विजय शेखावत	46
•	भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य: अतीत और वर्तमान	शाइन जैकब	49
•	विनिर्माण क्षेत्र के विकास में प्रवासियों की भूमिका	नितिन प्रधान	52
•	हस्तशिल्प, विनिर्माण और रोजगार	शीतल शर्मा, हंसा शुक्ला	55
•	प्राचीन भारत में विनिर्माण: परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में	पवन कुमार शर्मा	59

योजना हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें। व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड IV, तल VII, आर. के. पुरम, नयी दिल्ली-66 दूरभाष: 26100207, 26105590

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं: सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष: 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष: 23890205) *701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष: 27570686) *8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030) *'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष: 24917673) *प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुअनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650) *ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383) *फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष: 25537244) *बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2683407) *हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष: 2225455) *अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669) के. के. बी. रोड, नयी कॉलोनी, कमान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष: 2665090)

चंदे की दरें : वार्षिक: ₹ 100 द्विवार्षिक: ₹ 180, त्रैवार्षिक: ₹ 250, विदेशों में वार्षिक दरें: पड़ोसी देश: ₹ 530, यूरोपीय एवं अन्य देश: ₹ 730

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है। योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

आपकी राय

भारतीय लोकतंत्र में संघीय ढांचा

मैं योजना पत्रिका का नियमित पाठक हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पत्रिका नहीं मिल पाने के कारण मैं नहीं लिख रहा था। फरवरी 15 अंक पढ़ा जो संघीय ढांचा पर केंद्रित था। इस पत्रिका में छपे सभी विशेष लेखकों के आलेख काफी जानकारी से भरे पड़े हैं। इस पत्रिका के अंतिम पृष्ठ पर छपी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना काफी अच्छा लगा। आज बेटी के घटती लिंगानुपात पर सरकारी पहल अनुकरणीय है। आज बेटी हर क्षेत्र में अव्वल आ रही है।

इस पत्रिका के पृष्ठ 34 पर छपी 'प्रधानमंत्री धन-जन योजना' सरकार द्वारा संचालित विश्व की अपनी तरह की पहली योजना है जिसमें अभी तक लक्ष्य से अधिक खाते खोले गए हैं। इस योजना को 'गिनिज बुक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड' में रिकॉर्ड किया गया है। आर्थिक समावेशन में 'धन-जन योजना' काफी महत्वपूर्ण है। इससे हर परिवार में एक खाता होगा।

शशि शेखर श्रीवास्तव
ग्राम व पोस्ट- डेवढ़ी, जिला- छपरा (सारण), राज्य- बिहार

विविधता में एकता

मैं योजना का नियमित पाठक हूं। मैंने योजना का फरवरी 2015 अंक पढ़ा। इसके अंतर्गत भारतीय राजनीति के संघीय स्वरूप पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख समसामयिक मुद्दों के संदर्भ में भी ज्ञानप्रद यथोचित जानकारी उपलब्ध कराने का यथेष्ट प्रयास किया गया है।

भारत विविधताओं का देश है। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता विभिन्न जाति, वर्ग, धर्म, भाषा, समुदाय, संप्रदाय के गुण लक्षण आदि को संरक्षण प्रदान कर उन्हें एकता के सूत्र में पिरोना है। 'विविधता में एकता' भारतीय संस्कृति की एक अत्यंत मूल्यवान धरोहर है और अभिन्न अंग भी।

उपर्युक्त विवेचन के हवाले से भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में हमारे लिए यह निष्कर्ष निकाल पाना बेहद आसान हो जाता है कि भारतीय राजनीति हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की एक उत्कृष्टतम देन व महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आधुनिक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय संघवाद अथवा यहां की संघीय शासन प्रणाली को सहयोगी संघात्मक व्यवस्था या सहअस्तित्वपूर्ण लोकहितकारी स्वरूप वाली सत्ता परिमार्जक व्यवस्था की संज्ञा देना इसलिए उचित और तर्कसंगत प्रतीत होता है।

राकेश रंजन
'जी' ब्लॉक, 12/1, राम कॉलोनी, छत्तरपुर, नई दिल्ली, 110074

शानदार प्रस्तुति

केंद्र सरकार अपने विभिन्न मंत्रालयों के या व्यय से जो कल्याणकारी योजनाएं चलाता है, उनकी विस्तृत और प्रमाणिक रचना योजना समय-समय पर देती रही है। संदर्भित अंक विषय भी जानकारी से भरपूर रहा है। विद्वान लोगों की लेखनी ने इस बार भी इसके पाठकों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। इस अंक में खास आकर्षण रहे।

विशेष राज्य की मांग और सियासत, रियासतों से भारत संघ बनने की कहानी व संघीय व्यवस्था में नीति निर्देशक तत्वों की जवाबदेही जैसी उत्तम प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

छैल बिहारी शर्मा 'इंद्र'
छाता, उ.प्र.

'विशेष' होने की होड़

मैं ने 'योजना' पत्रिका का फरवरी अंक पढ़ा। यह अंक मुझे बेहद पसंद आया। आलेख 'विशेष राज्य की मांग और सियासत' पढ़ा। जिस प्रकार बिहार, केरल के साथ-साथ कुछ अन्य राज्य भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, आने वाले समय में देश के सभी राज्य ऐसी मांग करने लगेंगे। अच्छा होगा कि अगर सभी राज्य विशेष राज्य का दर्जा मांगने की बजाए अपने राज्य के पिछड़ेपन के कारणों को जानकर

उनको सुधारने के प्रयास करें तथा जिस क्षेत्र में जरूरी हो उस क्षेत्र में धन की मांग करें। जैसे कि जो राज्य कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हो, तो वो कृषि की स्थिति सुधारने के लिए अनुदान मांगे, जो राज्य उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ा हो वो उद्योग के क्षेत्र में अनुदान मांगे। वैसे भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों की स्थिति में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। उत्तराखंड का ही उदाहरण लें, तो आज भी उत्तराखंड में रोजगार की भारी कमी है। इसी कारण आज भी पलायन बदस्तूर जारी है। उद्योगों का विकास मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित है। पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी उद्योगों का अभाव है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने का मतलब यह नहीं है कि राज्य अवश्य ही विकास करेगा। राज्य के विकास के लिए एक मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। दूरदर्शिता की जरूरत होती है।

इस अंक में 'भारतीय संघवाद: स्वायत्तता बनाम पृथकता', 'संघीय व्यवस्था पर क्षेत्रीय राजनीति का प्रभाव', 'संघीय ढांचा व एकात्मकता का द्वंद्व', 'रियासतों से भारत संघ बनने की कहानी', 'संघ व राज्यों के आर्थिक संबंधों की पुनर्व्याख्या' आलेख भी काफी अच्छे व जानकारियों से भरे थे।

महेंद्र प्रताप सिंह
मेहरागांव, अल्मोड़ा (उत्तराखंड)

जातिगत सीमा में न रहे आरक्षण

"संघीय ढांचा और भारतीय राजनीति" पर केंद्रित "योजना" का फरवरी अंक पढ़ा। *विशेष राज्य की मांग* और *संघीय व्यवस्था पर क्षेत्रीय राजनीति* का प्रभाव जैसे आलेखों से गुजरते हुए ध्यान आया कि प्रशासन व नागरिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व जरूरी है लेकिन ध्यान देने की बात है कि इस दिशा में असंतुलित प्रयास समाज को एकांगी बना रहे हैं। सरकार अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछडे वर्ग को चौतरफा आरक्षण दिए हुए है जिससे उन लोगों को बहुत लाभ मिलता है लेकिन क्या केवल अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को ही सिर्फ लाभ मिलना चाहिए? सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? ऐसे बहुत से अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनके पास सब कुछ रहता है उनके पास अच्छी नौकरी भी रहती है, उनका परिवार भी सुखी से रहता है फिर भी ये लोग लाभ प्राप्त करते हैं।

दूसरी ओर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास न रहने के लिए घर होता है और ना ही अच्छी नौकरी होती है। यहां तक कि ऐसी स्थिति होती है कि बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं इन लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, इससे ऐसा होता है जो अमीर हैं वे और अमीर तथा जो गरीब हैं वे और गरीब होते जा रहे हैं। आरक्षित वर्ग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं उनके पास भी कुछ नहीं होता है न ही उन्हें लाभ मिल पाता है। आखिर क्यों सामान्य वर्ग के लोगों को सरकार से लाभ नहीं मिलना चाहिए? अनुसूचित जाति के वर्ग के वे लोग जिनके पास सब कुछ है उनको पहले अपने वर्ग के वैसे लोगों की सहायता करना चाहिए जिनके पास कुछ नहीं रहता है। उनको उनके आरक्षण के बारे में बताना चाहिए और सरकार से जो लाभ प्राप्त होता है उनमें भी सहायता करना चाहिए या सरकार को एक सर्वेक्षण करवाना चाहिए जिससे ये पता चले की किस-किस वर्ग में लोग ज्यादा गरीब हैं और उन सबको लाभ प्रदान करना चाहिए जिससे हमारे देश में सभी वर्ग के लोग सुखी का जीवन व्यतीत करें।

रिम्पी कुमारी
कालिंदी महाविद्यालय, दिल्ली

भारतीय वास्तुकला की बेजोड़ मिसाल: हमारा संसद भवन

फरवरी में भारतीय संघीय ढांचे पर केंद्रित सामग्री पढ़कर बहुत अच्छा लगा। इसी क्रम से ध्यान आया कि इस ढांचे का सबसे बड़ा मंदिर हमारा संसद भवन देश की वास्तुकला की एक अमूल्य धरोहर और बेजोड़ मिसाल है। यह विश्व की श्रेष्ठतम इमारतों में से एक है। विश्वविख्यात वास्तुविद् सर हरबर्ट बेकर तथा सर एडविन लुटियंस की कला का यह एक अनूठा उदाहरण है। इस भवन का डिज़ाइन सन् 1919 में तैयार किया गया था। इसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑव कनॉट द्वारा संपन्न हुआ। इसके निर्माण में कोई छह साल लगे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 18 जनवरी 1927 को इस ऐतिहासिक हमारत का उद्घाटन किया गया।

संसद भवन की बनावट में भारतीय कलात्मक शैलियों के प्रति वास्तुविदों का प्रेम परिलक्षित होता है। यह एक ऐसी विशाल गोलाकार इमारत है जिसका व्यास 171 मीटर तथा परिधि 0.54 किमी है। इसकी प्रथम मंजिल पर क्रीम रंग के बलुआ पत्थरों के 144 स्तंभ हैं तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई 8.2 मीटर है। छह एकड़ क्षेत्र में फैले इस भवन के कुल 12 द्वार हैं।

संसद भवन के ठीक बीचों-बीच तीन चैंबरों, तीन सुंदर प्रांगणों, हरे-भरे उद्यानों तथा फव्वारों से घिरा एक सेंट्रल हाल है। इसकी आकृति गोल है तथा व्यास 29.9 मीटर। यह वही सेंट्रल हाल है जिसमें 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंग्रेज़ों से भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण हुआ था और इसी में 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा की बैठकें हुईं थीं। सेंट्रल हाल का उपयोग मुख्य रूप से दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों के लिए किया जाता है। सेंट्रल हाल विख्यात राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों से सुसज्जित है। संसद भवन में लोकसभा एवं राज्यसभा के कक्ष, दर्शक दीर्घाएं, ग्रंथालय और जलपान की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

संसद भवन के उत्तर में तालकटोरा रोड की तरफ अपनी अद्भुत छटा बिखेरता संसदीय सौंध अवस्थित है। स्वतंत्रता के पश्चात संसद के बढ़ते हुए दायरे को दृष्टिगत रखते हुए इस इमारत का निर्माण कराया गया। 24 अक्टूबर, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका डिज़ाइन मुख्य वास्तुविद जे.एम. बैंजामिन के और के.आर. जानी द्वारा तैयार किया गया था। इस भवन के भीतर मध्यवर्ती सीढ़ियों का दृश्य देखते ही बनता था। स्वागत एवं पूछताछ कक्ष, डाकघर, चिकित्सा, केंद्र, सुपर बाज़ार एवं जलाशय से सुसज्जित यह इमारत दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। यह शौंध संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं भी जुटाता है। बौद्ध चैत्य महराबों की याद ताजा कराने वाली पच्चीकारी युक्त जाली की सुंदर मुहार शांति का संदेश देती है। वास्तुकला के इस अनूठे सौंदर्य पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व है।

विजय कुमार सिंह
1385/13, गोविंद पुरी, कालका जी,
नई दिल्ली-110019

दृष्टि The Vision

Most trusted & renowned institute among IAS aspirants

Interview Guidance Programme - 2015

Drishti's trustworthy and intense academic programme to make you sail through the final hurdle.

Starts:- ***Immediately After Mains Result***

सामान्य अध्ययन

- अकादमिक उत्कृष्टता के 15 वर्ष।
- बदलते पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रवृत्ति के अनुरूप व्यापक शिक्षण पद्धति।
- समसामयिक मुद्दों से सम्बद्ध मासिक पत्रिका, हिन्दी एवं अंग्रेज़ी भाषा के प्रमुख समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण आलेखों का संकलन।
- सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र- **I, II, III,** एवं **IV**), निबंध, सीसैट एवं साक्षात्कार के लिए प्रतिबद्ध फैकल्टी एवं अकादमिक स्टाफ।
- सामान्य अध्ययन के नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप सभी विषयों में समान अकादमिक गुणवत्ता प्रदान करने वाला एकमात्र संस्थान।
- सम्पूर्ण तैयारी के दौरान समुचित मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि के साथ उत्तर लेखन सुविधा।
- अद्यतन पाठ्य सामग्री और **Drishtiias.com** के जरिये बेहतर वेब सहयोग।

CSAT

For Preliminary Exam-2015

120 days Programme

Test Series

For IAS-2015

General Studies & CSAT

Online Test Series also available- For more details: visit: drishtiias.com

Distance Learning Programme

यह पाठ्य-सामग्री, विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो किसी कारण से दिल्ली आकर कोचिंग लेने में असमर्थ हैं। यह पाठ्य-सामग्री सिविल सेवा परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) एवं परीक्षोपयोगी बनाया गया है।

सामान्य अध्ययन (प्रा.+मुख्य परीक्षा) (30 Booklets)

सामान्य अध्ययन + सीसैट (30+8 Booklets)

दिल्ली के अतिरिक्त हमारी कहीं कोई शाखा नहीं है। कुछ विद्यार्थियों ने हमें बताया है कि इंदौर आदि शहरों में कुछ संस्थाएँ हमारे नाम का अवैध प्रयोग कर रही हैं। विद्यार्थियों से निवेदन है कि उनके झाँसे में न आएँ।

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9 Ph.: 011-47532596, (+91)8130392354,56,57,58,59

E-mail:info@drishtiias.com, drishtiacademy@gmail.com * Website: www.drishtiias.com

YH-337/2014

संपादकीय

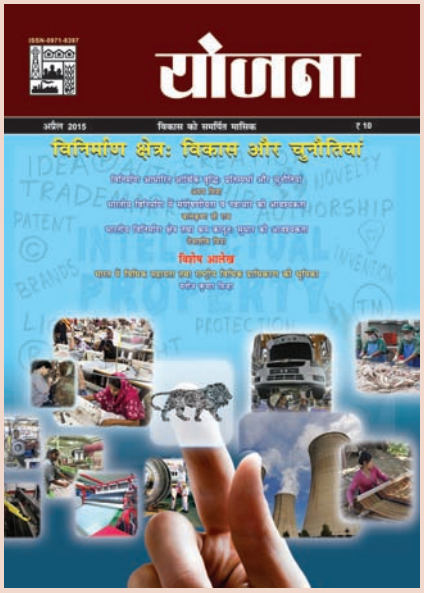

विकास की आस

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विनिर्माण क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। भारत जैसे विकासशील देश अपने विकास और रोजगार के लिए अधिकांशत: विनिर्माण पर ही आश्रित हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था जो पारंपरिक रूप से कृषि आधारित रही है, अब विनिर्माण की तरफ लंबी छलांग लगा रही है जो अर्थव्यवस्था में 16 फीसदी का योगदान करता है लेकिन रोजगार और विकास में इसका योगदान इसकी वास्तविक क्षमता से कहीं कम है। कठोर और निषेधात्मक श्रम-कानून, कुशल श्रम-बल की तुलना में अकुशल श्रम-बल की विशालता और तकनीक प्रयोगधर्मिता की कमी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इसकी मुख्य वजह हैं।

संसाधनों की विविधता और उपलब्ध श्रम-बल के अगल-अलग कौशल और उनकी योग्यता इस बात को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि छोटे और बड़े दोनों उद्योग राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी हैं। लघु और कुटीर उद्योग जो कि मुख्य रूप से हमारे पारंपरिक कौशल और ज्ञान पर आधारित हैं, कृषि क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। यह गरीबी निवारण और आय व धन के न्यायपूर्ण वितरण में भी मदद करता है। साथ ही विशाल उद्योग रोजगार के अवसर तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही वे निर्यात भी बढ़ाते हैं जिससे विदेशी मुद्रा की आय होती है और घरेलू उत्पादों के लिए मांग में बढ़ोतरी होती है जो समग्र विकास में मदद करता है।

विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में 25 फीसदी करना राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का लक्ष्य है। यह लक्ष्य एक दशक में हासिल करने का उद्देश्य है जिससे 10 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसका लक्ष्य ग्रामीण युवाओं को सशक्त करना भी है ताकि उन्हें कौशल से परिपूर्ण करके रोजगार के लायक बनाया जा सके। सरकार द्वारा प्रस्तुत ताजा बजट ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास किया है और प्रक्रियाओं के सरलीकरण, तार्किकीकरण और डिजिटाइजेशन पर जोर दिया गया है।

"मेक इन इंडिया", स्किल इंडिया और मुद्रा जैसी सरकार की पहल देश की उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देकर भारत को दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक गंभीर प्रयास है। इस बजट में एक शानदार बुनियादी ढांचे का प्रबंध, ऊर्जा आपूर्ति में बाधाएं, तकनीक और नवाचार आदि पर भी उचित ध्यान दिया गया है।

इस अंक के लेखों में उन बातों की चर्चा की गई है कि अब तक इस दिशा में क्या-क्या प्रयास हुए हैं और आने वाले समय में क्या प्रयास करने की जरूरत है।

आखिर में यही कहा जा सकता है कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में वो उपयुक्त क्षमता है कि वो भारत को दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकार और उद्योग जगत की तरफ से उपयुक्त प्रतिबद्धता इस सपने को निश्चय ही साकार कर सकती है। ❑

ALS सामान्य अध्ययन

सामान्य अध्ययन हेतु हिन्दी माध्यम को समर्पित संस्थान

ISGS Indian School of General Studies

INDIAN SCHOOL OF GENERAL STUDIES

IAS 2016

The Best Programme for ***Full IAS Preparation***

IAS EXTENSIVE

GS + CSAT + OPTIONAL + ESSAY + INTERVIEW

Prelims
Main
Interview

बैच प्रारंभ **19 मई** एवं **जून 10**

Time: **3:00pm** Time: **6:00pm**

नामांकन प्रारंभ: **अप्रैल 14**

ALS 22 YEARS Alternative Learning Systems

Take Admission before **MAY 10**
& Get special concession of
Rs.45,000/- *for* ***IAS Extensive Course***

Get Special Concession *of*

Rs. 45,000/- ***in Package Programme***
IAS Complete Preparation
(GS+CSAT+ Optional+Essay)

Rs. 32,000/- ***in General Studies & CSAT Programme***

SPECIAL FEE *for* GS BATCH Concessional Fee

GS Fee Rs. 81,000/-, **Concession 32,000/-** **Rs. 49,000/-**
GS+Optional Fee Rs. 1,22,000/- **Concession Rs. 45,000/-** **Rs. 77,000/-**

Last date for Admission **MAY 15**

हिन्दी माध्यम में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट

विगत वर्षों में हिन्दी माध्यम से कई अभ्यर्थियों का चयन। साथ ही **ALS** संस्थान से अब तक **1808**$^{+}$ सफल अभ्यर्थियों का चयन, वर्ष 2014 में कुल चयन = **215**$^{+}$, अब तक **2 IAS TOPPERS** का चयन।

AIR 9 (2010) AIR 15 (2005) AIR 23 (2008) AIR 40 (2013) AIR 52 (2013) AIR 54 (2013)

निबंध essay writing

The Best Ever **ALS Essay** Programme for हिन्दी माध्यम Aspirants

Batch Begins **Mar 31**

250 Marks
10 Sessions
03 Full Tests

31 March to **09 April**, **6:00PM**

The Best Ever Specialists in Core Areas
शशांक एटम, हेमन्त झा, आर.सी. सिन्हा, सचिन अरोड़ा, शरद त्रिपाठी एवं अन्य विशेषज्ञ
Programme Director: **Manoj Kumar Singh**

Fee: Rs. **900/-** (Valid till **28 March**)
ALS Old Students: **500/-**

essay test series

Three 3-hour tests starting **07th April**
1 test every month

प्रत्येक माह के तीसरे सप्ताह में नया बैच प्रारंभ

IAS सामान्य अध्ययन

"तैयारी कैसे करें"

3 दिवसीय IAS कार्यशाला

अब **आपके शहर में**

पहली बार शीघ्र ही आयोजित। यह कार्यशाला **अप्रैल-मई-जून** के महीने में आयोजित की जाएगी।

रजिस्ट्रेशन हेतु SMS करें- **9891990011, 9999344944**

- **पटना**
- **जयपुर**
- **लखनऊ**
- **इलाहाबाद**
- **इंदौर**
- **भोपाल**
- **पुणे**
- **पानीपत**
- **अजमेर**
- **जोधपुर**

द्वारा

MANOJ KUMAR SINGH & ALS TEAM

Managing Director: ALS, ISGS, Competition Wizard

IAS 2015

30 Tests

16 Tests GS
14 Tests CSAT

Batch Begins **April 05**
Test Timing: **11:30am - 01:30pm**
Explanation: **02:00pm - 04:30pm**

फीस केवल Rs. **3,500/-**

ALS के पुराने विद्यार्थियों हेतु केवल **2,000/-** रु.

9999343999
9891990011
9999344944

ALS Alternative Learning Systems

Alternative Learning Systems (P) Ltd.

Corporate Office: ALS, B-19, ALS House, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-110009.
South Delhi Centre: 62/4, Ber Sarai, Delhi-110016
Visit us at **www.iaslas.com**

Be in touch...
Manoj K Singh
Managing Director, ALS
alsiasindia@gmail.com

YH-346/2014

विनिर्माण आधारित आर्थिक वृद्धि: प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां

अरूप मित्रा

सकल कारक उत्पादकता वृद्धि यानी टीएफपीजी को महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ाने की जरूरत है। खासकर उन उद्योगों में जिनमें निर्यात की संभावना है और जिसके जरिए संपूर्ण आर्थिक वृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। बिना टीएफपीजी के भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाई नहीं जा सकती। भारतीय विनिर्माण निर्यात का मुद्दा काफी कठिन है, लेकिन समावेशी विकास लाने के लिए भारत के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। समाधान प्रारंभिक तौर पर विनिर्माण आधारित आर्थिक वृद्धि में ही है जिसे विनिर्माण निर्यात के जरिए बढ़ाया जा सकता है

विकसित देशों का इहिास बताता है कि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक औद्योगिकीकरण है। विकासशील देशों के संदर्भ में एसजिरमइ और वर्सपेजेन (2011) के अनुसार, सन् 1990 के बाद से विकास व वृद्धि के लिए विनिर्माण प्रक्षेत्र पहले से कहीं ज्यादा कठिन होते जा रहा है। उन्होंने शिक्षा और आय के उत्पादनजन्य पारस्परिक प्रभाव की दिलचस्प बातें कही हैं। देलास और कुबि (2001) के अनुसार, आर्थिक विकास के शुरुआती चरण में श्रमिक औद्योगिकीकरण वृद्धि के मुख्य निर्धारक होता है। वे उपकरण निवेश के जरिए औद्योगिकीकरण के हालिया दावे से अलग विचार रखते हैं। वे श्रमिक बल की बनावट में निवेश की बातों पर बल देते हैं और रोजगारजन्य औद्योगिकीकरण की नीतियां उनकी आर्थिक विकास की कामयाबी की कुंजी हो सकती है।

वैश्वीकरण ने देशों को विकास बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। कई विकास केंद्रित रणनीतियां अपनाई गई हैं, जिनमें पारदर्शी व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पूंजी प्रचलन और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण आदि बड़ी बातें शामिल हैं। प्रौद्योगिकी स्थानांतरण को लेकर अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि अगर कोई देश लागत-आमदनी के मामले में फायदेमंद स्थिति (कॉस्ट एफिसिएंट[1]) में रहना चाहता है तो जो पहिए पहले ही अपनाए जा चुके हैं उन्हें फिर से नये वाहक (नई प्रौद्योगिकी) ईजाद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी के आयात और अंगीकरण के संदर्भ में एक परिकल्पना उद्योग परिक्षेत्र में सुस्त औद्योगिक रोजगार वृद्धि की है। नई तकनीक का आयात मुख्यतया पूंजी और कौशल प्रधान होता है। इसलिए इसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षित कामागार की मांग बढ़ती है न कि अप्रशिक्षितों की (वुड 1997)।

इस मामले में बहस की दूसरी धारा श्रमिक बाज़ार नियमन पर आधारित है। नीति निर्धारक सामान्यतया यह धारणा रखते हैं कि भारतीय संदर्भ में श्रमिक कानून अत्याधिक पुराना और कामगारों के पक्ष में है जिसके कारण श्रमिकों का इस्तेमाल कम होता है। ऐसा माना जाता है कि श्रमिक बाज़ार के लचीला नहीं होने के कारण आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन स्थाई रूप से गति नहीं पकड़ते। आर्थिक सुधार के पैरोकारों ने श्रमिक बाज़ार को नियंत्रण मुक्त करने पर काफी जोर दिया है। यह उत्पादन गतिविधियों में बदलाव और वैश्वीकरण के

1. ऐसा तर्क दिया जाता है कि सीमांत से बाहर के देशों को शोध व विकास प्राप्ति कम होती है क्योंकि गरीब देशों में अमीर देशों के मुकाबले नवाचार की लागत ज्यादा होती है। इसलिए दूसरे देशों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी खरीदना उन प्रौद्योगिकियों को फिर से विकसित करने के मुकाबले सस्ता है। उन देशों के लिए जो अनुसंधान के क्षेत्र में देर से उतरे हैं। यह बात भी व्यापक तौर पर मानी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सस्ती नहीं होती।

लेखक इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। फोर्ड फाउंडेशन पोस्टर डॉक्टरल फेलो के रूप में वह अमरीका के नॉर्थ-वेस्टर्न विश्वविद्यालय में प्रो. एडविन एस मिल्स के साथ काम कर चुके हैं। साइंसेज प्रो. पेरिस में वह इंडियन इकनॉमी चेयर प्रोफेसर रह चुके हैं। संख्यात्मक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए वह महालानोबिद स्मृति पुरस्कार पा चुके हैं। ईमेल: arup@iegindia.org

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 10 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों की उम्मीद जगाती है जो एक दशक में देश के जीडीपी में 25 प्रतिशत का योगदान दे सकती है। पूंजी की बढ़ती मांग और लागत को देखते हुए नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारत के विनिर्माण क्षेत्र की तकदीर और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। यह नीति पर्यावरण और नियमन मुद्दे, श्रमिक कानून और कर प्रणाली पर ध्यान दे रही है।

कारण हुआ है। उम्मीद की जाती है कि ये दोनों बातें श्रमिक बाज़ार के नतीजे मसलन मजदूरी और श्रमिक उत्पादकता पर प्रभाव डालती हैं।

दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात अन्य सुधारों यथा व्यापार के क्षेत्र में देखी जा सकती है जहां सफल होने के लिए श्रमिक बाज़ार सुधार अनिवार्य जरूरत मानी जाती है (हसन 2003)। विद्वानों की सामान्यतया यह राय है कि जहां तक काम, मजदूरी, नियुक्ति और बर्खास्तगी की नीतियों की बात है तो विकासशील देशों में श्रमिक बाज़ार कठोर है जिसके लिए मौजूदा श्रमिक कानून जिम्मेदार है (फैलन और लुकास 1991)। हालांकि कई अन्य बातें हैं जो निवेश को प्रभावित करती हैं। इनमें मुख्य रूप से जमीन की उपलब्धता और उपयोग, आधारभूत ढांचा, प्रशिक्षित कार्य बल आदि प्रमुख हैं।

इस बहस की तीसरी धारा भी है जो खास तौर पर आपूर्ति पक्ष की ओर से आती है जो नियोजन की खस्ताहाली की तरफ इशारा करती है। प्रशिक्षित कामगारों की कमी के कारण कई को कम उत्पादकता वाले काम में लगना पड़ता है। इसलिए रोजगार क्षमता में प्रगति की बात नीतिगत दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके लिए कौशल का विकास जरूरी शर्त है जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। डिप्लोमा देने वाले इस तरह के तकनीकी संस्थान कम संख्या में हैं, इसलिए इस दिशा में सरकार की पहल निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रयास की जरूरत है। बेमेल कौशल की त्रुटि को दूर करने का दूसरा उपाय है– कार्य प्रशिक्षण।

इस तथ्य को देखते हुए कि अगले दो दशकों में भारत को अपनी बड़ी आबादी के लिए तरह-तरह की शिक्षा और कौशल विकास के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए आशा की जाती है कि विनिर्माण क्षेत्र इसमें इंजन की भूमिका निभाएगा। रोजगार सृजन के अलावा टिकाऊ आर्थिक विकास की दृष्टि से भी विनिर्माण क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है। अत:, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को विकासवान बनाने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग यानी डीआईपीपी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ऐसा नीतिगत माहौल बनाने की शुरुआत की है जो विनिर्माण क्षेत्र के तेज विकास के अनुकूल हो। रोजगार-औद्योगिकीकरण-नीतियों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और इसके अलावा इस तथ्य के मद्देनजर कि भारत औपचारिक/संगठित निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने में सफल नहीं हो सकता, इसलिए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति उम्मीद की किरण है।

वैश्विक आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में जिस तरह भारी संख्या में लोगों की नौकरियां गईं अगर समाधान के उपाय न किए गए होते तो भारत की स्थिति बदतर हो सकती थी। इस दृष्टि से देखें तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 10 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों की उम्मीद जगाती है जो एक दशक में देश के जीडीपी में 25 प्रतिशत का योगदान दे सकती है। पूंजी की बढ़ती मांग और लागत को देखते हुए नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारत के विनिर्माण क्षेत्र की तकदीर और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। यह नीति पर्यावरण और नियमन मुद्दे, श्रमिक कानून और कर प्रणाली पर ध्यान दे रही है लेकिन प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण निवेश क्षेत्र यानी एनआईएमजेड का गठन और विनिर्माण इकाइयों को एक जगह करने का विचार अनोखा है। एनआईएमजेड को समेकित औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। कम से कम 500 एकड़ में फैली यह टाउनशिप अंतरराष्ट्रीय स्तर की मूलभूत सुविधाओं से लैस होगी और इसमें स्वच्छ एवं ऊर्जा बचाने वाली तकनीक का इस्तेमाल होगा। एनआईएमजेड गैर-कृषि जमीन पर होंगे जिसमें यथोचित पानी की व्यवस्था होगी और इसके मालिक संबंधित राज्य की सरकार होगी। इसमें श्रमिक बाज़ार को लचीला बनाने का लक्ष्य है जिसके तहत नियोक्ता को श्रमिकों को रखने और हटाने की ज्यादा स्वतंत्रता होगी। कमजोर औद्योगिक इकाइयों को निकलने के लिए यह सरलीकृत तंत्र उपलब्ध कराएगी। इसके साथ यह कामगारों के अधिकारों पर भी जोर देगी क्योंकि लचीलापन के नाम पर कामगारों के अधिकारों को लेकर समझौता होने के खतरे हैं।

विनिर्माण नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू वित्तीय और विकास को लेकर दिए जाने वाले प्रोत्साहन प्रावधान हैं। इसका लाभ छोटे और मध्यम उपक्रमों को मिलेगा। संक्षेप में कहें तो यह नीति जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को मौजूदा 16 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने की उम्मीद को बढ़ाती है। हालांकि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का यह लक्ष्य कि औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया जाए, शायद संभव न हो। इसकी मूल वजह यह है कि कुल विनिर्माण रोजगार में संगठित विनिर्माण की भागीदारी अत्यंत कम है।

इसलिए यह उपयोगी होगा कि असंगठित विनिर्माण सेक्टर में रोजगार की संभावना पर विचार करते हुए इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण रोजगार की संभावना पर ध्यान दिया जाए। छोटे और मध्यम स्तर के उपक्रमों को उत्पादन के स्तर, प्रौद्योगिकी, वित्तीय प्रबंधन, कामगारों के

अगले दो दशकों में भारत को अपनी बड़ी आबादी के लिए तरह-तरह की शिक्षा और कौशल विकास के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए आशा की जाती है कि विनिर्माण क्षेत्र इसमें इंजन की भूमिका निभाएगा। रोजगार सृजन के अलावा टिकाऊ आर्थिक विकास की दृष्टि से भी विनिर्माण क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है।

कौशल विकास के मद्देनजर नवाचार तरीके अपनाने की आवश्यकता है। चूंकि श्रमिक प्रधान प्रक्षेत्र मसलन खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कपड़ा, चमड़ा और जूते के उद्योग छोटे और मध्यम आकार वाले उपक्रमों में उपलब्ध कुल रोजगार के 60 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराते हैं (कांत 2013), इसलिए श्रमिक प्रधान क्षेत्र में ज्यादा ध्यान अतिरिक्त अप्रशिक्षित कामगारों को रोजगार दिलाने में मददगार होगा। ऐसे क्षेत्र जहां अकुशल कामगारों की बहुतायत है और जहां ढंग से औद्योगिकीकरण नहीं हुआ है उन क्षेत्रों में श्रमिक प्रधान औद्योगिक विकास की नीतिगत पहल की जरूरत है।

कई अन्य मुद्दे भी महत्वपूर्ण है। इनमें आधारभूत संरचना का अभाव, ऊर्जा आपूर्ति की बाधाएं, सुस्त निर्यात वृद्धि, निर्यातक उत्पाद बनाने वाले श्रमिक प्रधान प्रक्षेत्र का लचर प्रदर्शन, सटीक प्रौद्योगिकी के विकास की कमी प्रमुख है। नौकरशाही का अड़ियल रवैया का मुद्दा भी निस्संदेह बड़ा मुद्दा है जो विकास और रोजगार की प्रक्रिया और विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं।

विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की मजदूरी आय तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक इसे उत्पाद की बढ़ती मांग का साथ न मिले। आगे भी बढ़ी हुई मजदूरी तभी संभव होगी जब उत्पादकता भी क्रमशः बढ़ती रहे। इस दृष्टि से देखें तो पूंजी आधार में सुधार और प्रौद्योगिकी की प्रगति निहायत जरूरी है।

आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में निर्यात का बहुत बड़ा महत्व है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने और घरेलू उत्पाद की मांग को बढ़ाने का दोहरा लक्ष्य निर्यात के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी एक तथ्य है कि सेवा के निर्यात से अकुशल कार्य बल के लिए रोजगार के खास अवसर पैदा नहीं होते (मित्रा 2011)। इसलिए विनिर्माण उत्पाद के निर्यात से ही समावेशी विकास हो सकते हैं।

श्रमिक प्रधान उत्पाद के निर्यात से ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप ऐसे श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं जिन्हें कृषि क्षेत्र से विनिर्माण क्षेत्र में लाना है। अकुशल कौशल के कारण उच्च उत्पादकता सेवा वाले क्षेत्र में श्रमिकों को स्थापित करने की संभावना कम है। दूसरी ओर विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की मजदूरी आय तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक इसे उत्पाद की बढ़ती मांग का साथ न मिले। आगे भी बढ़ी हुई मजदूरी तभी संभव होगी जब उत्पादकता भी क्रमशः बढ़ती रहे। इस दृष्टि से देखें तो पूंजी आधार में सुधार और प्रौद्योगिकी की प्रगति निहायत जरूरी है। सामान्यतया माना जाता है कि प्रौद्योगिक विकास पूंजी प्रधान होता जिसके कारण श्रमिकों के के लिए अवसर घटते हैं लेकिन अध्ययनों से पता चला है नवाचार और ईजाद पूंजी क्षमता को उत्पादन के हर चरण में नहीं बढ़ाती है (विवैरेली 2011)। सच तो यह है कि किसी खास चरण में यह रोजगार को घटाता है लेकिन अन्य चरणों में बढ़ाता है। अतः नई प्रौद्योगिकी बड़े पैमाने पर अपनाई जा सकती है और नये उप्रकम इकाइयों के जरिए उत्पादन को बड़े स्तर पर बढ़ाया जा सकता है। इन सब का रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अन्य मुद्दे उच्च मूल्य वाले उत्पाद के निर्यात से संबंधित हैं। ऐसे कई उच्च मूल्य वाले उत्पाद हैं जो श्रमिक प्रधान हैं। ऐसे उत्पादों का उत्पादन सीमित है क्योंकि इसकी लागत अधिक है। कुछ पहल के साथ उत्पादों को पश्चिमी लोगों की पसंद और प्राथमिकता के अनुरूप ढालकर उच्च मूल्य वाले उत्पाद के निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। इसका सकारात्मक प्रभाव रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ विदेशी मुद्रा कमाने में भी होगा। उदाहरण के तौर पर सिल्क धागे से बने कपड़ों को लिया जा सकता है।

सन् 2013-14 में भारत से निर्यात होने वाली मुख्य सामग्री थी- विनिर्माण की वस्तुएं- 63.7 प्रतिशत, पेट्रोलियम उत्पाद- 20.1 प्रतिशत, कृषि और इससे संबंधित उत्पाद 13.8 प्रतिशत, अयस्क और खनिज कोयला को छोड़कर - 1.8 प्रतिशत (आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14)। हालांकि पूरी दुनिया की तुलना में भारत का विनिर्माण निर्यात मामूली नहीं है लेकिन इस मामले में बहुतेरे देशों से चुनौती मिल रही है। बानगी के तौर पर वस्त्र निर्यात को देखें तो यहां भारत को बांग्लादेश से गंभीर चुनौती मिल रही है। कपास संबंधित उत्पाद जो भारत के निर्यात में मामूली योगदान दे रहा है और जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत को यहां तुलनात्मक तौर पर बढ़त है लेकिन टेबल लाइनेन और तौलिया को छोड़ कपास उत्पाद भी चीन और बांग्लादेश से चुनौतियों का सामना कर रहा है। (वादेन 2002)

भारत की टैरिफ संरचना 1990 की शुरुआत में काफी जटिल थी जो 1991-92 में 128 प्रतिशत कम होते हुए 2004-05 के अंतरिम बजट के अनुसार 22.4 प्रतिशत कम हुई। वेटेड औसत ड्यूटी दर इस समयावधि में 72.5 प्रतिशत से 18.2 प्रतिशत तक कम हुई। हालांकि औसत ड्यूटी दर में कमी हुई लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में टैरिफ दर लागू है जो 2004-05 में शून्य प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक थी। कॉफी, चाय, अलकोहलयुक्त पेय, इत्र, चीनी सामग्री, अंगूर और रस, मोटर कार, मोटर साईकिल आदि 100 प्रतिशत के वस्तु समूह में हैं।

50-100 प्रतिशत के दायरे में आने वाले उत्पाद थे- खाद्य तेल, गहूं, चावल और कुछ अन्य कृषि सामग्री। आगे आयात शुल्क में कुछ प्रभावी कमी हुई। 2010 में कई उत्पादों के मसलन उत्पादन करने वाले उपकरण, कार्यालयोपयोगी मशीन, स्वचालित डैटा प्रोसेसिंग मशीन, दूरभाष उपकरण, विद्युत उपकरण, परिवहन सामग्री के लिए सर्वोच्च शुल्क 10 प्रतिशत था। इस तरह एमएफएन टैरिफ प्रोफाइल अन्य देशों के समकक्ष हो सका। इसके बावजूद भारतीय गैर-कृषि उत्पादों में कई विसंगतियां हैं (हुडा और राय 2014)। भारतीय निर्यातकों को निर्यात करने के लिए कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इनमें क्रेडिट लेटर, अग्रिम भुगतान के प्रमाण की कॉपी, आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट, फोरेन इनवार्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट आदि सरकारी कार्यालय में जमा करने होते हैं जिसके लिए उन्हें बहुत बार सरकारी कार्यालय जाने पड़ते हैं। यह सब निश्चित रूप से भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी चुनौती होती है। (शर्मा 2014)

भारत की टैरिफ संरचना 1990 की शुरुआत में काफी जटिल थी जोकि 1991-92 में 128 प्रतिशत कम होते हुए 2004-05 के अंतरिम बजट के अनुसार 22.4 प्रतिशत कम हुई। वेटेड औसत ड्यूटी दर इस समयावधि में 72.5 प्रतिशत से 18.2 प्रतिशत तक कम हुई।

डंपिंग विरोधी कार्रवाई ने भी भारतीय व्यापार को नुकसान पहुंचाया है। जनवरी 1995 से जून 2010 के बीच भारत में जो 90 डंपिंग विरोधी कार्रवाई हुई उनमें 22 रसायन और 19 प्लास्टिक से संबंधित थी। कुल 11 कपड़ा और 26 धातु उत्पाद मुख्यतया लौह और इस्पात उत्पाद थे। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत ने तुलानात्मक बढ़त हासिल की है (ट्रेड पालिसी रीव्यू रिपोर्ट बाय इंडिया, 2011)।

सन् 2009 में जब विश्व भर में निर्यात में गिरावट हो गई थी तब भारत ने विदेश व्यापार नीति 2009-14 की घोषणा की थी (ट्रेड पालिसी रीव्यू रिपोर्ट बाय इंडिया, 2011)। इस नीति का दूरगामी लक्ष्य 2020

तक वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को दो गुना करना था। इसके लिए रोजगार प्रधान क्षेत्र मसलन कपड़ा, चमड़ा, हस्तशिल्प आदि उद्योग पर विशेष जोर दिया गया। इसके लिए व्यापक दायरे और किस्मों से युक्त गुणवत्तापूर्ण उत्पाद निर्माण का लक्ष्य जरूरी है। चूंकि 2007-08 से भारत के व्यापार की दिशा में खास परिवर्तन नहीं हुए हैं और शीर्ष 15 व्यापार-साथी 60 प्रतिशत हिस्सेदारी कर रहे हैं, इसलिए नये ठिकानों की खोज की आवश्यकता है।

लेनदेन में लगने वाली अत्याधिक लागत और समय की समस्या को सुलझाने के लिए 2009 में ट्रांजैक्शन कॉस्टस इन एक्सपोर्ट को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसे कम करने के लिए टास्क फोर्स ने कुल 44 मुद्दे चिह्नित किए थे जिनमें से 21 सुलझा लिए गए हैं (ट्रेड पालिसी रीव्यू रिपोर्ट बाय इंडिया, 2011)।

सकल कारक उत्पादकता वृद्धि यानी टीएफपीजी को महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ाने की जरूरत है। खासकर उन उद्योगों में जिनमें निर्यात की संभावना है और जिसके जरिए संपूर्ण आर्थिक वृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। बिना टीएफपीजी के भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाई नहीं जा सकती। टीएफपीजी के कुछ महत्वपूर्ण निर्धारक हैं– आधारभूत ढांचा (भौतिक, वित्तीय और सामाजिक) और व्यापारिक पारदर्शिता। छोटे और सूक्ष्म उपक्रम इकाइयों की आईसीटी तक पहुंच, फैक्टर उत्पादकता के साथ टोटल फैक्टर उत्पादकता में वृद्धि का आश्वासन दे सकता है।

इसके अतिरिक्त भारतीय उत्पाद को प्रतिस्पर्धा में आगे रखने इन सामूहिक लाभ को इस्तेमाल करने की जरूरत है। सामूहिक लाभ कई बार अपने आप कंपनियों की उत्पादकता बढ़ाने का काम कर देती है। यही कारण है कि समूह उत्पादन गतिविधि केंद्र बनाने के लिए संपूर्ण कोशिश की जरूरत है। जब ध्यान के पुराने केंद्र संतृप्ति के बिंदु पर पहुंचने लगे तो नये क्लस्टर की रचना होनी चाहिए, जिसके लिए नागरिक निवेश एक मुख्य मुद्दे है। इन नये तरीकों के जरिए लागत लाभ को कम किया जा सकता है। संपूर्णता में कहें तो भारतीय विनिर्माण निर्यात का मुद्दा काफी कठिन है, लेकिन समावेशी विकास लाने के लिए भारत के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। समाधान प्रारंभिक तौर पर विनिर्माण आधारित आर्थिक वृद्धि में ही है जिसे विनिर्माण निर्यात के जरिए बढ़ाया जा सकता है। ❑

संदर्भ

देलास, हैरिस एंड कुबि, वैली, 2001: "इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, इनवेस्टमेंट इक्विपमेंट एंड इकोनोमिक ग्रोथ", इकोनोमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल चेंज, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, खंड 49-4, पृष्ठ 867-81

फैलन, पी.आर, एंड लुकास आर.ई.बी. (1991): द इंपैक्ट ऑफ चेंज्स इन जॉब सेक्यूरिटी रेगुलेशंस इन इंडिया एंड जिम्बाबवे, द वर्ल्ड इकोनोमिक रीव्यू, 5 (3), 395-413

हसन, आर (2003): द इंपैक्ट ऑफ ट्रेड एंड लेबर मार्केट रेगुलेशंस ऑन एम्प्लायमेंट एंड वेज: एविडेंस फ्राम डेवलपिंग कंट्रिज, आर हसन एंड डी मित्रा (सं.), इंपैक्ट ऑफ ट्रेड ऑन लेबर: इशूज, पर्सपेक्टिव एंड एक्सपेरियेंस फ्राम डेवलपिंग एशिया। अम्सटर्डम: नार्थ हौलैंड, अल्जेवीर

हुडा ए एंड डी.के. राय (2004): ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट बैरियर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल प्रोडक्शन नेटवर्क इन इंडिया, आईसीआरईआर वर्किंग पेपर नंबर 281

कांत, अमिताभ (2013): "फार अ मैनुफैक्चरिंग रीवाल्यूशन", द टाइम्स ऑफ इंडिया, जुलाई 11

मित्रा, ए. (2011), ट्रेड इन सर्विसेज: इंपैक्ट ऑन इम्प्लायमेंट इन इंडिया। सोशल साइंस जर्नल, वर्ष 48 (1), पृष्ठ 72-93।

मित्रा, अरूप (2013): "कैन इंडस्ट्री बी द की टू प्रो-पुअर ग्रोथ? एन एक्सप्लोरेटरी एनालाइसिस फार इंडिया", आईएलओ- एशिया पैसिफिक वर्किंग पेपर सीरिज, दिसंबर

शर्मा, एसएन (2014): "टन्स ऑफ प्रोब्लम्स हैम्पर ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्टर्स, रीसेंट रिफॉर्म्स वनली बेबी स्टेप्स", ईटी ब्यूरो, 2 फरवरी

एसजिरमे, ए एंड बी. वर्सपेजन (2011): "मैनुफैक्चरिंग एंड इकोनोमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रिज, युनाइटेड नेशंस युनिवर्सिटी, यूएनयू-एमईआरआईटी, वर्किंग पेपर सीरिज, 2011-069

ट्रेड पॉलिसी रीव्यू रिपोर्ट बाय इंडिया (2011): वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन, ट्रेड पॉलिसी रीव्यू बॉडी, टीपीआर/जी/249, अगस्त 10

यूएनआईडीओ. (2005): प्रोडक्टिविटी इन डेवलपिंग कंट्रिज: ट्रेंड्स एंड पॉलिसिज। वियना: युनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन।

वर्मा, समर, (2011): "एक्सपोर्ट कंपीटिटिवनेश ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री", आईसीआरआईईआर, वर्किंग पेपर, 94 नवंबर।

विवारेल्ली, एम (2013). टेक्नोलॉजी, इम्प्लायमेंट एंड स्किल्स: एन इंटरपेरेटेटिव फ्रेमवर्क. यूरेशियन बिजनेश रीव्यू, पृष्ठ 66-89

वुड, ए. (1997): ओपेनेस एंड वेज इनइक्वलिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज : द लैटिन अमेरिकन चैलेंज टू ईस्ट एशियन कंवेंशनल विसडम। वर्ल्ड बैंक इकोनोमिक रीव्यू, वर्ष 33, पृष्ठ 33-57

योजना अब फेसबुक पर

आपकी लोकप्रिय पत्रिका **'योजना'** अब फेसबुक पर हिंदी में **योजना हिंदी** नाम से पृष्ठ के साथ आधिकारिता रूप से मौजूद है। इस पृष्ठ को फेसबुक द्वारा सत्यापित भी किया जा चुका है। सुधि पाठकों से निवेदन है कि हमारे पृष्ठ पर आएं और हमारी गतिविधियों तथा आगामी अंकों के बारे में ताज़ी जानकारी प्राप्त करें।

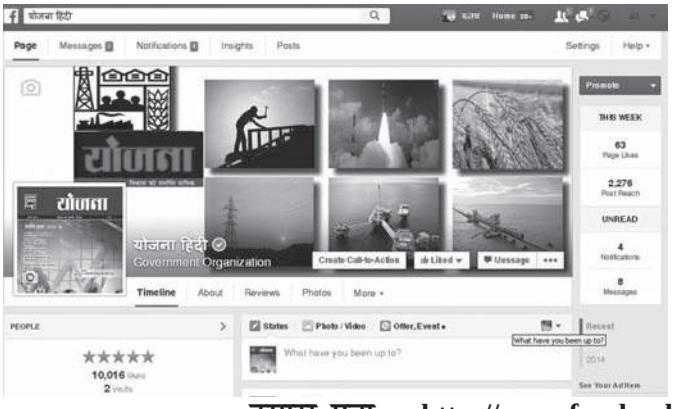

योजना हिंदी के फेसबुक पेज को 10,000 से ज्यादा तथा अंग्रेजी पृष्ठ YOJANA JOURNAL को 75,000 से ज्यादा LIKES हासिल हो चुकी हैं। इस समर्थन के लिए पाठकों का धन्यवाद।

हमारा पता : http://www.facebook.com/Yojanahindi

फेसबुक पर हमसे मिलें, Like करें और अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराएं।

'मेक इन इंडिया' के लिए 'स्किल इंडिया'

उत्सव कुमार सिंह

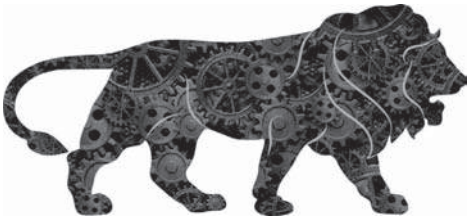

विनिर्माण उद्योग के विकास को समर्पित 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की सफलता 'स्किल इंडिया' की सफलता पर निर्भर है। अगर हम युवा भारत को कुशल बनाने में सफल हो सके तो यह भी तय है कि हम 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्यों को पूर्णतया प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। 'स्किल इंडिया' से न केवल 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है बल्कि विकासशील भारत का विकसित भारत बनने का सपना भी साकार हो सकता है

प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक साथ शुरुआत की। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य तो वैश्विक स्तर पर भारत को एक पसंदीदा निवेश-स्थल के रूप में प्रस्तुत करना है। इसके साथ ही नवाचार को बढ़ावा देना, कौशल-विकास के कार्यक्रमों को गहन और व्यापक बनाना, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण भी 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलू हैं। विनिर्माण सहित अन्य सभी क्षेत्रों में 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्य को पाने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय-स्तर का आधारभूत-संरचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर कहा कि वे इस क्षेत्र की प्रगति को देश के आर्थिक विकास को गति देने के साथ बेरोजगारी कम करने के लिए भी जरूरी मानते हैं।

संभवत: इसी को लक्ष्य बनाते हुए सरकार ने ऐसे 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की जिनमें विश्व स्तर पर भारत अग्रणी बन सकता है। ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं– ऑटोमोबाइल, उड्डयन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, निर्माण-उद्योग, रक्षा-विनिर्माण, भारी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, चमड़ा, मीडिया व मनोरंजन, खनन, तेल व गैस, दवा, बंदरगाह, रेल, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क व राजमार्ग, अंतरिक्ष, वस्त्र व कपड़ा, तापीय ऊर्जा, पर्यटन व अतिथि-सत्कार और कल्याण (वेलनेस)। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के संचालन के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।[1]

'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की सफलता के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसे- 'स्किल इंडिया' व 'डिजिटल इंडिया'। सरकार द्वारा निर्धारित किए गए किसी भी क्षेत्र को उदहारण के तौर पर ले लें, प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार-सृजन की अपार संभावना है। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की सफलता इस बात पर भी निर्भर है कि भारतीय श्रम को अधिक से अधिक रोजगार मिले। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय श्रम संबंधित क्षेत्र के मानकों के अनुकूल कुशल भी हो। आर्थिक समीक्षा 2014-15 में यह चिंता व्यक्त की गई है: "भारतीय साक्ष्य यह है कि टेलीकम्यूनिकेशन तथा वित्त जैसे सेवा के कुछ उप क्षेत्र अत्यधिक उत्पादक और गतिशील होने के कारण पंजीकृत निर्माता होते हैं। तथापि, ये क्षेत्र अकुशल श्रमिकों की अधिक संख्या को आकर्षित करने में सफल नहीं हुए हैं जिससे इसकी गतिशीलता के लाभ सीमित हुए हैं। दूसरे शब्दों में गतिशील क्षेत्रों को कौशल सम्पन्न क्षेत्र होना चाहिए जिस में भारत को कोई तुलनात्मक लाभ नहीं है। भवन निर्माण (कंस्ट्रक्शन) इसका अपवाद है जो कि गैर कुशल मजदूर बाहुल्य और जो पूर्णत: गतिशील क्षेत्र है।"[2]

इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देशी-विदेशी पूंजी निवेश और आर्थिक सुधार जितने जरूरी हैं उतनी ही जरूरी है कुशल श्रमशक्ति। यदि देश के पास हुनरमंद लोग नहीं होंगे तो पूंजी निवेश और आर्थिक सुधार जैसे

लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के अफ्रीकी अध्ययन विभाग में आईसीसीआर शोध अध्येता हैं। ईमेल: singh.utsav@gmail.com

संगठित क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति– सरकारी और गैर-सरकारी

(31 मार्च की स्थिति के अनुसार, लाख व्यक्ति)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012अ
सरकारी क्षेत्र							
क. शाखाओं के अनुसार							
1. केंद्र सरकार	28.6	28.0	27.4	26.6	25.5	24.6	25.2
2. राज्य सरकार	73.0	72.1	71.7	72.4	73.5	72.2	71.8
3. अर्ध-सरकारी	59.1	58.6	58.0	58.4	58.7	58.1	58.0
4. स्थानीय निकाय	21.1	21.3	19.7	20.7	20.9	20.5	21.1
जोड़	**181.9**	**180.9**	**176.7**	**178.0**	**178.6**	**175.5**	**176.1**
ख. उद्योगों के अनुसार							
1. कृषि, शिकार आदि	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7
2. खनन और उत्खनन	11.5	11.4	11.2	11.1	11.0	10.9	10.8
3. विनिर्माण	10.9	10.9	10.4	10.6	10.7	10.2	10.7
4. बिजली, गैस और जल	8.5	8.5	8.0	8.4	8.4	8.3	8.2
5. निर्माण	8.9	8.7	8.5	8.5	8.6	8.5	8.3
6. थोक और खुदरा व्यापार	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
7. परिवहन, भंडारण तथा संचार	26.8	26.4	26.0	26.0	25.3	23.8	24.9
8. वित्त, बीमा, स्थावर संपदा आदि	13.9	13.7	13.5	13.6	14.1	13.6	13.6
9. सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं	91.8	90.9	88.5	90.1	90.5	91.0	90.4
जोड़	**178.7**	**176.9**	**172.8**	**174.8**	**175.1**	**172.7**	**173.3**
निजी क्षेत्र							
1. कृषि, शिकार आदि	10.3	9.5	9.9	9.0	9.2	9.2	9.2
2. खनन और उत्खनन	1.0	1.0	1.1	1.2	1.6	1.3	1.4
3. विनिर्माण	45.5	47.5	49.7	52.0	51.8	54.0	55.3
4. बिजली, गैस और जल	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6
5. निर्माण	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2
6. थोक और खुदरा व्यापार	3.9	4.1	2.7	4.7	5.1	5.5	6.0
7. परिवहन, भंडारण तथा संचार	0.9	1.0	1.0	1.3	1.7	1.9	2.1
8. वित्त, बीमा, स्थावर संपदा आदि	6.5	8.8	11.0	13.1	15.5	17.2	19.1
9. सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं	18.8	19.5	21.7	20.2	21.4	23.5	24.5
जोड़	**87.7**	**92.4**	**98.4**	**102.9**	**107.9**	**114.2**	**119.4**

अ: अनंतिम ***स्रोत:*** *श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार*

कारक भी मेक इन इंडिया को सफल बनाने में नाकाम साबित होंगे। न केवल श्रमशिक्त कुशल होनी चाहिए बल्कि उत्पादकता के स्तर पर प्रतियोगी भी होनी चाहिए। इसीलिए मेक इन इंडिया की सफलता के लिए सरकार ने एक और महत्वाकांक्षी योजना 'स्किल इंडिया' शुरू की है। भारत सवा सौ करोड़ की विशाल मानव-शक्ति का देश है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह युवा शक्ति का देश है। देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम उम्र की है। इसमें शिक्षित युवाशक्ति की तादाद भी अच्छी-खासी है लेकिन भारत की यह खूबी तब कमजोरी में बदल जाती है जब स्किल या कुशलता की बात आती है। इन शिक्षित लोगों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके पास कोई हुनर नहीं है। हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था ने युवाओं को शिक्षा तो दी मगर कोई कौशल प्रदान करने में चूक गई, जिससे वे किसी उद्योग या व्यवसाय में नौकरी पा सकें या अपना व्यवसाय खुद शुरू कर सकें। दरअसल, हुनर भी ऐसा होना चाहिए जिसकी बाज़ार में मांग हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था का आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के साथ कोई तालमेल ही नहीं है। हमारे स्कूलों और कॉलेजों से पढ़कर निकले छात्र उद्योगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते इसलिए नौकरी पाने लायक नहीं होते। हमारी शिक्षा पद्धति की विडंबना यह है कि हमने शिक्षा को किताबी बना दिया, उसे रोजगार से जोड़ने की कोशिश ही नहीं की।

कहने को भारत की 65 फीसदी आबादी 35 साल से भी कम उम्र की है लेकिन हुनरमंद श्रमशक्ति को पैदा करने के मामले में उसका रिकॉर्ड अब भी बेहद खराब है। सीआईआई की नवीनतम इंडिया स्किल रिपोर्ट-2015 के अनुसार, हर साल सवा करोड़ युवा रोजगार बाज़ार में आते हैं लेकिन आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक सही तरीके से प्रशिक्षित नहीं होने के चलते इनका श्रम बेकार जाता है। रिपोर्ट के अनुसार अभी आने वाले युवाओं में से 37 प्रतिशत ही रोजगार के योग्य होते हैं। वैसे देखा जाए तो बीते वर्षों में भारत में विनिर्माण क्षेत्र की हालत ही सबसे ज्यादा पतली रही है। विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि साल 2013 में भारत की जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान सिर्फ 13 फीसदी रहा, जो पिछले दस साल में सबसे बुरा प्रदर्शन था। जानकारों ने ध्यान दिलाया कि उत्पादकता के स्तर पर रही कमियां इसके लिए जिम्मेदार रहीं। तब की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के मामलों में भारत अन्य एशियाई देशों के साथ बराबरी पर खड़ा है लेकिन खास उत्पाद तैयार करने वाले उद्योगों में यह हिस्सेदारी काफी कम है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार, इसका मतलब यह हुआ कि भारत के श्रमिकों की उत्पादकता कम है। वहीं चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया इस मामले में भारत से

आगे निकल गए हैं। आखिर इस स्थिति को कैसे समझा जाना चाहिए?

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रति वर्ष एक करोड़ तीस लाख लोग कामकाजी वर्ग (वर्कफोर्स) से जुड़ते हैं। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को उत्पादन के दबाव का सामना करना पढ़ता है क्योंकि भारतीय कामकाजी वर्ग में विस्तार के अनुपात में कुशल श्रमिकों की संख्या उतनी नहीं बढ़ पाती। यह स्थिति किसी खास क्षेत्र की नहीं, बल्कि हर उस क्षेत्र की है जिसको उच्च वृद्धि क्षेत्र माना जाता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के अनुसार उच्च वृद्धि वाले 22 क्षेत्रों को साल 2022 तक लगभग 34 करोड़ कुशल श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ-साथ पंद्रह करोड़ श्रमिकों को अपनी कुशलता में गुणात्मक सुधर करना होगा। आंकड़े ये भी बताते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत महज 15 फीसदी श्रमिकों को उनके काम से संबंधित प्रशिक्षण मिला होता है।

बीते वर्षों में भारत में विनिर्माण क्षेत्र की हालत ही सबसे ज्यादा पतली रही है। विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि साल 2013 में भारत की जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान सिर्फ 13 फीसदी रहा, जो पिछले दस साल में सबसे बुरा प्रदर्शन था। जानकारों ने ध्यान दिलाया कि उत्पादकता के स्तर पर रही कमियां इसके लिए जिम्मेदार रहीं।

यही कारण है कि 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए की गई विभिन्न पहलों में एक प्रमुख पहल 'स्किल इंडिया' है। किसी भी राष्ट्र के विकास में कौशल विकास के महत्व को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहता है। "किसी भी अर्थ-व्यवस्था में सतत-विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने तथा अनौपचारिक-क्षेत्र से औपचारिक-क्षेत्र की ओर अर्थ-व्यवस्था के संक्रमण में कौशल-विकास का अहम् योगदान होता है। यह भी अनिवार्य है कि किसी भी राष्ट्र का श्रम-बल वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में अनवरत बदलती हुई अर्थ-व्यवस्था एवं तकनीक के अनुरूप हो।"[3]

इन हालातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि मेक इन इंडिया की सफलता का बड़ा दारोमदार इस बात पर टिका है कि सरकार कौशल आधारित प्रशिक्षण देने की योजनाओं पर किस तरह अमल करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आवश्यकता को भांपते हुए ही स्किल इंडिया बनाने की बात कही थी। यह राहत की बात है कि इस आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस लक्ष्य के अनुरूप कई योजनाएं पेश की हैं। उन्होंने कर छूट से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक युवाओं को स्किल प्रशिक्षण देने का खाका बजट में पेश किया। वित्त मंत्री ने स्वयं माना कि उद्योगों की जरूरत की तुलना में केवल 5 फीसदी कौशलयुक्त श्रमशक्ति (स्किल लेबर) तैयार हो पाती है। इस अंतर को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर नेशनल स्किल मिशन लांच किया जाएगा। उन्होंने तब यह भी जोड़ा कि सरकार का लक्ष्य प्रमुख रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाली देश की 70 फीसदी आबादी को कुशल श्रम बल के रूप में तैयार करना है जिससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकें।

बजट में पेश किया गया खाका कितना प्रभावी होगा यह भविष्य के आकलन का विषय है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि नेशनल स्किल मिशन की राह में कई बाधाएं हैं। समस्या की असल जड़ यही है कि उद्योग क्षेत्र की तेजी से बदल रही जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने वाले तकनीकी संस्थान देश में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में ग्यारह हजार सरकारी और निजी प्रशिक्षण संस्थानों में सिर्फ 55 लाख व्यवसायिक सीटें प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध हैं। इससे समझा जा सकता है कि कुशल श्रम आपूर्ति का पक्ष कितना कमजोर है। वैसे जानकार मानते हैं कि भारत में आज भी व्यवसायिक प्रशिक्षण के बजाय डिग्री पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता देने का चलन मजबूत है। आपूर्ति पक्ष के प्रभावित होने की एक वजह ये भी है।

यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्किल भी ऐसी होनी चाहिए जिसकी उद्योग और व्यापार धंधे को जरूरत हो और जिसे नवीनतम तकनीक के अनुसार ढाला जा सके। अगर लोगों के पास कौशल हो और बाज़ार की मांग के अनुसार न हो तो कौशल और बाज़ार के बीच में एक विसंगति वाली स्थिति आ जाती है। ऐसी स्थिति में कौशल होने के बावजूद लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। यही कारण है 44 प्रतिशत कंप्यूटर प्रशिक्षण लेने वाले और 60 प्रतिशत टैक्सटाइल से जुड़े कौशल की ट्रेनिंग लेने वाले खाली बैठे हैं। यह समस्या केवल हमारे ही नहीं, बाकी देशों की भी है और उन्होंने इसे अपने तरीके से सुलझाया है। जर्मनी में चैंबर आफ कॉमर्स इस तरह की स्किल्स पर नजर रखता है जिनकी उद्योगों को आवश्यकता है और उसके लिए पाठ्यक्रम बनाने और उसे लागू करने में मदद करता है। हमारी औद्योगिक संस्थाओं फिक्की और सीआईआई को इससे सबक लेना चाहिए और कुशल मानव संसाधन चाहिए तो उन्हें इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देश में वोकेशनल संस्थाएं बहुत कम हैं। अभी जो वोकेशनल संस्थाएं हैं, अपनी पूरी क्षमता से काम करें तो भी हर साल स्कूल छोड़ने वालों में से केवल तीन प्रतिशत को ही वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकती हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अनुसार उच्च वृद्धि वाले 22 क्षेत्रों को साल 2022 तक लगभग 34 करोड़ कुशल श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ-साथ पंद्रह करोड़ श्रमिकों को अपनी कुशलता में गुणात्मक सुधर करना होगा। आंकड़े ये भी बताते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत महज 15 फीसदी श्रमिकों को उनके काम से संबंधित प्रशिक्षण मिला होता है।

दरअसल, पश्चिमी देश पिछले वर्षों के अनुभव के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अकादमिक शिक्षा की तरह ही बाज़ार की मांग के मुताबिक उच्च गुणवत्ता वाली स्किल की शिक्षा देनी भी जरूरी है। एशिया की आर्थिक महाशक्ति दक्षिण कोरिया ने स्किल विकास के मामले में चमत्कार कर दिखाया है और उसके चौंधिया देने वाले विकास के पीछे स्किल विकास का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इस मामले में उसने जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया है। साल 1950 में दक्षिण कोरिया की विकास दर भारत से बेहतर नहीं थी। लेकिन इसके बाद उसने कौशल विकास में निवेश करना शुरू किया। यही वजह है कि 1980 तक वह भारी उद्योगों का हब बन गया। उसके 95 प्रतिशत मजदूर कुशल हैं या वोकेशनली ट्रेंड हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा तीन प्रतिशत है।

'मेक इन इंडिया' मिशन की सफलता के लिए जानकार इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई को प्रमुखता से इस योजना के साथ जोड़ा जाय। वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने और सरकार से अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने के बावजूद हाल के वर्षों में इस क्षेत्र की विकास दर दस फीसदी से ऊपर रही है। जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी तकरीबन आठ फीसदी है।

'मेक इन इंडिया' मिशन की सफलता के लिए जानकार इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई को प्रमुखता से इस योजना के साथ जोड़ा जाय। वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने और सरकार से अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने के बावजूद हाल के वर्षों में इस क्षेत्र की विकास दर दस फीसदी से ऊपर रही है। जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी तकरीबन आठ फीसदी है। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में एमएसएमई की हिस्सेदारी 45 फीसदी है और भारत से होने वाले निर्यात में 40 फीसदी। कृषि के अलावा देश में रोजगार के जितने भी साधन हैं, उनमें मिल रहे रोजगारों में 79 फीसदी हिस्सा एमएसएमई क्षेत्र का है। इस समय देश में 3 करोड़ 60 लाख इकाइयां हैं, जिनमें आठ करोड़ से ज्यादा लोगों को काम मिला है। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि यह क्षेत्र देश के विकास के लिए कितना जरूरी है और बेरोजगारी कम करने में भी इस क्षेत्र की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। अच्छी बात ये है कि मेक इन इंडिया की घोषणा होने के बाद सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्योग मंत्री के विकास का मुद्दा चर्चा में आ गया है। खुद केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने स्पष्ट किया कि सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्योगों की बैंक लोन समस्या दूर करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित किया गया है। इसमें राज्यों के योगदान का दस गुना उन्हें वापस दिया जाएगा।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 के अनुसार भी भारत में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए निम्न उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कपड़ा व वस्त्र-निर्माण, चमड़ा, हीरे-जवाहरात व आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा हस्त-शिल्प। इन क्षेत्रों का महत्व दो बातों को लेकर है, एक तो ये क्षेत्र रोजगार प्रदान करने की अपार संभावना रखते हैं। दूसरा, इन क्षेत्रों में कौशल-विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उदहारण के लिए 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम में रक्षा, अंतरिक्ष, उड्डयन आदि क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए विशेष प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है तथा संबंधित कौशल-विकास के लिए भारी-भरकम खर्च व प्रयास की आवश्यकता होगी। विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने में इन क्षेत्रों का विकास भी अनिवार्य है, लेकिन अभी तुरंत ही इन क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने की क्षमता नहीं है लेकिन पहले से ही विकसित क्षेत्र पर और अधिक ध्यान देकर अतिरिक्त रोजगार का सृजन फौरन ही किया जा सकता है। साथ ही हम 'मेक इन इंडिया' के पहले चरण में उन क्षेत्रों पर भी अपना ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं जिसके विकास के लिए कैशल-विकास हेतु भागीरथ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।

पहले से ही विकसित क्षेत्र पर और अधिक ध्यान देकर अतिरिक्त रोजगार का सृजन फौरन ही किया जा सकता है। साथ ही हम 'मेक इन इंडिया' के पहले चरण में उन क्षेत्रों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिनके विकास के लिए कौशल-विकास हेतु भगीरथ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।

उदाहरण के लिए भवन व सड़क निर्माण (कंस्ट्रक्शन), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि। इन क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने की अपार संभावना तो है ही, साथ ही इन क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशाल बाज़ार स्वयं भारत ही है। हम प्रारंभिक चरण में अपने घरेलू बाज़ार को ध्यान में रखकर भी इन क्षेत्रों का पर्याप्त विकास कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्र भले ही व्यापार योग्य न माने जाते हों लेकिन रोजगार प्रदान करने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। आर्थिक-समीक्षा, 2014-15 में तो इस क्षेत्र को कौशल-विकास की दृष्टि से भी अपवाद माना गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में 'अकुशल रोजगार का बाहुल्य' है। इसके अलावा यह क्षेत्र सीधे-सीधे आधारभूत-संरचना के विकास से जुड़ा हुआ है। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए 'आधारभूत संरचना के विकास' को प्राथमिक उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है, साथ ही निवेशकों से यह वादा किया गया है कि उन्हें भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचना प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम अपने शुरूआती दौर में आधारभूत-संरचना के विकास के लिए कंस्ट्रक्शन पर बहुत अधिक निवेश करेगा। 'मेक इन इंडिया' के तहत भारत सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में निम्नलिखित पांच औद्योगिक गलियारों के निर्माण की योजना बनाई है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी), बेंगलुरु-मुंबई आर्थिक गलियारा (बीएमइसी), अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक विकास गलियारा (एकेआईसी), चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी), पूर्वी घाट आर्थिक गलियारा (ईसीईसी) जिसके पहले चरण में चेन्नई-विभाग औद्योगिक गलियारा (सीवीआईसी) का निर्माण किया जाएगा। डीएमआईसी का निर्माण तो शुरू हो चुका है। इन औद्योगिक व आर्थिक गलियारों के निर्माण में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का कार्य होगा और जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन में तुरंत ही रोजगार प्रदान करने की व्यापक संभावना है।

'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में रोजगार-सृजन की दृष्टि से खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) पर भी ध्यान केंद्रित करना लाभदायक होगा। भारत के कुल खाद्य-बाज़ार में खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग लगभग 32 प्रतिशत का योगदान करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के अनुसार वर्ष

'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में रोजगार-सृजन की दृष्टि से खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) पर भी ध्यान केंद्रित करना लाभदायक होगा। भारत के कुल खाद्य-बाज़ार में खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग लगभग 32 प्रतिशत का योगदान करता है।

2004-05 की कीमतों पर वर्ष 2012-13 के लिए इस उद्योग का कुल आकार 845.22 बिलियन भारतीय रुपये के बराबर पाया गया है। वर्ष 2012-13 तक समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अवधि में यह उद्योग 8.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के अनुसार बढ़ रहा है। उत्पादन, उपभोग और निर्यातों की दृष्टि से यह भारत का पांचवां सबसे बड़ा उद्योग है। यह उद्योग वर्तमान में 13 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 35 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाता है। 2004-05 की कीमतों पर 2012-13 में भारत के विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए जीडीपी में इसका योगदान 9.8 प्रतिशत पाया गया है।[5] यह क्षेत्र भारत के कुल निर्यातों में लगभग 13 प्रतिशत का योगदान करता है। इसके अलावा खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह कृषि और उद्योग के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह भारत के ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के उत्थान में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं का विस्तार होता है तथा छिपी हुई बेरोजगारी को दूर करने में मदद मिलती है। एफ पी आई के विकास से फसल-विविधिकरण, कृषि के वाणिज्यीकरण तथा किसानों को अपनी ऊपज का बिना सरकारी हस्तक्षेप के उचित मूल्य सुनिश्चित करने में मदद करता है। भारत में एफपीआई के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं, इस संदर्भ में आपूर्ति और मांग दोनों पक्ष मजबूत हैं। इसी प्रकार चमड़ा, कपडा व वस्त्र-निर्माण आदि पहले से ही विकसित उद्योगों पर भारत प्रारंभिक चरण में ध्यान केंद्रित कर अतिरिक्त रोजगार का शीघ्र ही सृजन कर सकता है।

'मेक इन इंडिया' से जुड़े सभी पच्चीस क्षेत्र स्वयं में विकास की संभावनाओं का हिमालय समेटे हुए हैं। भारत की विकास यात्रा में द्वितीयक क्षेत्रक, विनिर्माण उद्योग का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ। इसे भारत के आर्थिक विकास यात्रा की विसंगति ही कहा जाएगा। किसी भी अर्थ-व्यवस्था में शत-प्रतिशत रोजगार के लक्ष्य को पाना एक असंभव सी स्थिति है, लेकिन विनिर्माण उद्योग के मुकम्मल विकास के माध्यम से इस लक्ष्य के नजदीक जरूर पहुंचा जा सकता है। इसी विनिर्माण उद्योग के विकास को समर्पित 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की सफलता 'स्किल इंडिया' की सफलता पर निर्भर है। अगर हम युवा भारत को कुशल बनाने में सफल हो सके तो यह भी तय है कि हम 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्यों को पूर्णतया प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। 'स्किल इंडिया' से न केवल 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है बल्कि विकासशील भारत का विकसित भारत बनने का सपना भी साकार हो सकता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों 'तीव्र, समावेशी व सतत विकास' के लक्ष्य को पाने के लिए भी यह जरूरी है कि 'मेक इन इंडिया' अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करे। ❑

संदर्भ

1. http://www.makeinindia.com/sectors/
2. आर्थिक-समीक्षा 2014-15, पृष्ठ 33
3. http://www.skilldevelopment.gov.in/focus
4. http://www.makeinindia.com/live-projects-industrial-corridor/
5. http://www.makeinindia.com/sector/food-processing/

SHRI RAM
IAS STUDY CENTRE
सामान्य अध्ययन
अनुभवी विशेषज्ञों के द्वारा
लोक प्रशासन
द्वारा
संजय सिन्हा
(19 वर्षों का अनुभव)

माध्यम - हिन्दी और English
Regular/weekend/Correspondence
Batch On - 15 May & 12 June

Special Features:-
- Comprehensive small batch
- Personal attention till qualifying
- Exclusive Printed Study Material
- Well Qualified & Highly Experienced Faculties
- Excellent Result
- 2-3 Years Special Courses for undergraduate student
- Regular Test for Prelims & Mains

Reserve your Seat by registration/On line registration
(Limited Seats)

For more detail Please contact -
09958635276, 08882939805
Ist Chamber, IInd Floor, Batra Cinema Complex,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9
visit www.sriaiasstudy.com

UGC-NET/SET
ENGLISH LITERATURE
General Grammar
(For all competitive examination)
Regular & Postal
ENGLISH POINT
Solution to all
IInd Chamber, IInd floor,
Batra Cinema Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Contact Please - 08882773205
YH-348/2014

CSAT
की तैयारी
Career Launcher,
National #1, के साथ

प्रत्येक वर्ष 10 लाख से भी अधिक विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए CL को चुनते हैं

- शिक्षण, परीक्षण एवं विश्लेषण के लिए 250+ घंटों की कक्षाएं
- सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के 12 मॉक टेस्ट (सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र–I एवं II)
- बोधगम्यता तार्किक कौशल और आधारभूत गणित पर विशेष बल
- 24×7 स्टूडेन्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (SIS) पर विश्लेषण एवं मार्गदर्शन की ऑनलाइन सहायता
- R&D टीम तथा फैकल्टी सदस्य जिन्होंने स्वंय सिविल सेवा परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है
- विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गयी व्यापक अध्ययन सामग्री
- नियमित मॉड्यूल एवं रिवीज़न टेस्ट
- पर्सनल डाउट सेशन

1069 CL अभ्यर्थी सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा '14 के लिए योग्य पाये गये

CL | Civil Services Test Prep

www.careerlauncher.com/civils

/CLRocks

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अखिल भारतीय टेस्ट सीरीज एवं CSAT के नये बैच शीघ्र प्रारंभ
जानकारी के लिए अपने निकटतम् CL केंद्र पर संपर्क करें!

मुखर्जी नगरः 204/216, द्वितीय तल, विराट भवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन – 41415241/46
ओल्ड राजेन्द्र नगरः 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट्स के सामने, फोन – 42375128/29
बेर सरायः 61बी, ओल्ड जे. एन. यू. कैम्पस के सामने, जवाहर बुक डिपो के पीछे, फोन – 26566616/17
ग़ाज़ियाबादः सी–27, द्वितीय तल, आरडीसी मार्केट, राज नगर, (बीकानेर स्वीट्स के सामने) फोन – 0120–4380996
इलाहाबादः 19 बी/49, भूतल, कमला नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी स्टेडियम गेट के सामने, मनमोहन पार्क चौराहा, फोन – (0)9956130010

"CL Educate Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its equity shares and has filed a Draft Red Herring Prospectus with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in and the website of Kotak Mahindra Capital Company Limited at www.investmentbank.kotak.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details refer to the Draft Red Herring Prospectus, including the section titled "Risk Factors".

YH-349/2014

'मेक इन इंडिया' की आवश्यकता

कस्तूरी चक्रवर्ती
मनीष मिश्रा

स्वदेशी संस्कृति और परंपरा रोजगार के सृजन और विनिर्माण में मदद कर सकती है। कला और शिल्प की विविधता पर आधारभूत जानकारियों का समयबद्ध सुरक्षा, प्रोत्साहन तथा उन्हें बढ़ावा देने एवं बेहतर विपणन रणनीतियों के साथ उन्हें सुलभ कराने की आवश्यकता है, ताकि वैश्विक तथा घरेलू स्तर पर उपभोक्ताओं के बीच पहुंच बनाई जा सके। गुणवत्ता पर नियंत्रण रखकर और उत्पादों को बेचने की सुविधाजनक व्यवस्था देकर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के आसपास आय के स्रोत पैदा कर सकती है। इससे सुनिश्चित होगा कि विश्वस्त जनसांख्यिकीय लाभांश के फायदे की फसल बेहतरी से काटी जा सकती है

पिछले कुछ वर्षों में, दुनिया के विकसित देश जब वित्तीय मंदी और अपने ऋण संकट के प्रभाव से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे थे, तब भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। हाल में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपी) द्वारा 31 जनवरी 2015 को जारी जीडीपी आकलन की नई प्रणाली के साथ माना जा रहा है कि देश सबसे तेजी से विकास कर रहा है। हालांकि, क्या हम इस उपलब्धि के साथ चुप बैठ सकते हैं? शायद, नहीं, क्योंकि इस आर्थिक विकास के लाभ को अच्छी तरह से पूरे समाज के बीच वितरित करने की आवश्यकता है तथा इस मोर्चे पर हमें आज भी बहुत कुछ करना है। किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास इसके द्वारा सिर्फ चिह्नित वृद्धि पर ही निर्भर नहीं करता है। इसका विस्तार करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज के निम्न वर्ग में इस आर्थिक विकास को कैसे ले जाया जा सकता है।

भारत एक ऐसा देश है, जिसने विगत कुछ दशकों के दौरान सेवा क्षेत्र में प्रगति के कारण जीडीपी में विकास देखा है; हालांकि सेवा क्षेत्र से होने वाले विकास में नौकरियां नहीं रही हैं, बल्कि इससे बेरोजगार आबादी में ही बढ़ोतरी हुई है। भारत एक जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जाता है, जिसकी जनसंख्या का बड़ा भाग कार्यशील आयु समूह के अंतर्गत आता है, जो अपने आप में एक दुधारी तलवार है। अत: सरकार तथा नीति-निर्माताओं ने भारतीय विकास कथा को फिर से दोहराना शुरू कर दिया है तथा अपनी कमियों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। विनिर्माण क्षेत्र की महत्ता और भूमिका इन दो बिंदुओं से यह बात सामने आती है कि एक तरफ जहां इससे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा, वहीं इससे उन प्रक्रियाओं की भी शुरुआत होगी, जिससे जनसंख्या के एक बड़े भाग को रोजगार मिल सकेगा।

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि विकास के रास्ते पर चलने वाली किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के चरण की तीन व्यापक श्रेणियां हो सकती हैं। पहला चरण पारंपरिक समाज है, जहां कार्यबल का बड़ा हिस्सा कृषि गतिविधियों में लगा होता है, इसके बाद औद्योगीकरण का चरण आता है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र की बड़ी अहम भूमिका होती है, जो विकास को परिभाषित करता है एवं आखिरी चरण एक विकसित अर्थव्यवस्था वाला होता है, जिसमें सेवा क्षेत्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विकास प्रणाली उन देशों में हैं, जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, इन देशों की श्रेणी में उल्लेखनीय रूप से यूएसए, ब्रिटेन तथा जर्मनी आते हैं। दक्षिण कोरिया, चीन, ताईवान तथा वियतनाम जैसे उभरती एशियाई तथा दक्षिण एशियाई बाज़ार अर्थव्यवस्था भी इसी तरह की विकास कथा की रूप रेखा तैयार कर रही हैं।

भारत में विनिर्माण की जरूरत क्यों?

भारत की क्षेत्रवार विकास प्रणाली

भारत ने हालांकि पारंपरिक विकास सिद्धांत से भिन्न विकास के अलग तरीके अपनाए हैं।

कस्तूरी चक्रवर्ती भारतीय आर्थिक सेवा से संबद्ध हैं और इस समय नीति आयोग, नई दिल्ली में शोध अधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं। ईमेल: kasturic9@gmail.com
मनीष मिश्रा भारतीय राजस्व सेवा से संबद्ध तथा इस समय रोहतक में केंद्रीय आबकारी तथा सेवा कर आयुक्त के रूप में सेवारत हैं। ईमेल: manishmishrairs@gmail.com

आरेख 1: सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार योगदान
(2004-2005 के मूल्य पर जीडीपी की प्रतिशत भागीदारी)

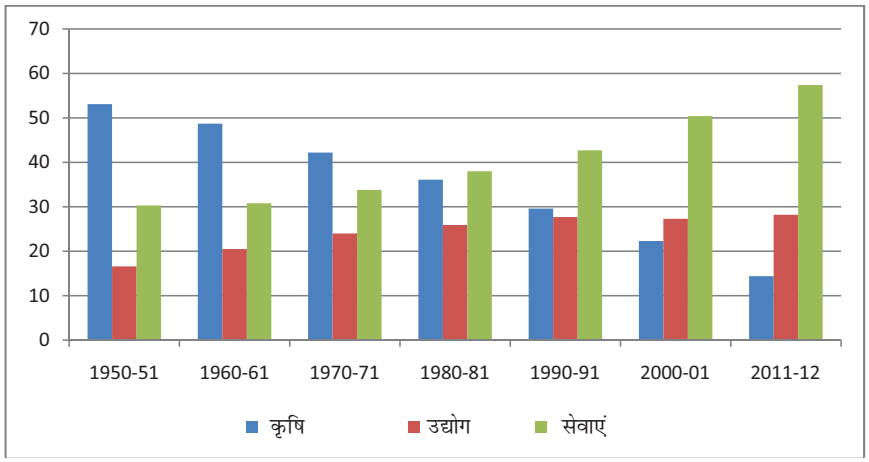

स्रोत: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा आर्थिक सर्वेक्षण।

लघु अंतरिम उतार-चढ़ाव के साथ योजनावधि की विकास दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। स्वतंत्रता के बाद के कुछ शुरुआती वर्षों में, भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 50 प्रतिशत था, सेवा क्षेत्र का योगदान 30 प्रतिशत था तथा उद्योगों का योगदान जीडीपी के 20 प्रतिशत से भी कम था। अर्थव्यवस्था के सेवा नीत विकास की तरफ जाने के साथ ही खासकर 1990 के दशक के बाद क्षेत्रवार वितरण में एक बड़ा बदलाव आया (आरेख 1)।

अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगातार घटता रहा है तथा सेवा क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ता रहा है, इस साल यह बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंच गया है। किसी भी अन्य विकसित देशों के उलट कृषि क्षेत्र से छलांग लगाकर जीडीपी में अहम किरदार के रूप में सेवा क्षेत्र के विस्तार से भारत ने इस विशिष्ट विकास को अंकित किया है। कुल जीडीपी में 1951-2014 की अवधि के दौरान, औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग समान रही है, यह हिस्सेदारी 16-26 प्रतिशत के बीच रही है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए यह प्रवृत्ति चिंता का विषय रही है, क्योंकि देश की श्रम शक्ति को रोजगार देने तथा वस्तुओं के उत्पादन दोनों के ख्याल से, उद्योग तथा विनिर्माण, अर्थव्यवस्था की वास्तविक दर का आधार बनाते हैं। विकास के प्रभाव तथा जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान में बदलाव को समझने के लिए हमें रोजगार-बेरोजगारी की तरफ देखना होगा, जो इस बात की जांच के एक महत्वपूर्ण उपाय की तरह है कि समाज के सभी वर्गों तक आर्थिक विकास की साकारात्मकता की पहुंच है भी या नहीं।

बेरोजगारी परिदृश्य

भारत में बेरोजगारी परिदृश्य गंभीर बना हुआ है। इसके अलावा, कृषि का जीडीपी में योगदान सिर्फ लगभग 14 प्रतिशत है, लेकिन इसमें 50 प्रतिशत श्रमबल को रोजगार मिला हुआ है, यह इस बात का द्योतक है कि कृषि में छुपा हुआ श्रम बहुत ज्यादा है तथा श्रम उत्पादकता भी निम्न है। सेवा क्षेत्र जीडीपी में 60 प्रतिशत का योगदान देता है, मगर सिर्फ लगभग 25 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देता है।

तालिका 1: बेरोजगारी परिदृश्य

वर्ष	वर्तमान दैनिक स्थिति (सीडीएस) बेरोजगारी दर
1999-00	7.3 प्रतिशत
2004-05	8.2 प्रतिशत
2009-10	6.6 प्रतिशत
2011-12	5.6 प्रतिशत

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15

सेवा नीत विकास

भारत सचमुच में सेवा के लिहाज से एक स्वाभाविक तुलनात्मक लाभ वाली स्थिति में है, जिसे भगवती द्वारा टूटन प्रभाव के रूप में दर्शाया जाता है। इसके मुताबिक अर्थव्यवस्थाओं की परिपक्वता के साथ उद्योग विशेषज्ञों के पास कंपनियां कानूनी और सुरक्षा सेवाओं, अनुसंधान और विकास, जैसी विभिन्न गतिविधियों को आउटसोर्स करने की कोशिश करती हैं तथा इससे जीडीपी में सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भारत को आईटीईएस के लिए उपयुक्त जनशक्ति की कम लागत उपलब्धता का एक स्वाभाविक लाभ मिलता है। विदेशी कंपनियां यहां अपने सहायक कार्यालयों की स्थापना करती हैं और बड़े पैमाने पर भारतीय कंपनियों की सेवाओं को आउटसोर्स करती हैं। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय स्तर के विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सकीय सेवा, संचार आदि जैसे सेवा क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर खर्च किया जाता है।

तालिका 2: क्षेत्रवार रोजगार के स्वरूप में बदलाव

वर्ष	कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र	उद्योग	सेवाएं
1951	72.1	10.6	17.3
1991	66.9	12.7	20.4
2009-10	53.2	21.5	25.3

तालिका 2 से यह देखा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रोजगार संरचना विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के साथ मिलकर भी नहीं बदली है। जीडीपी में क्षेत्रवार योगदानों की यह व्याख्या तथा समय के साथ क्षेत्रवार रोजगार के स्वरूप इस बिंदु की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं कि भारत में विकास के सेवा क्षेत्र नीत तरीके ने विकास दर में बढ़ोतरी की है, हालांकि यह एक रोजगार विहीन विकास है तथा अब भी भारत में एक समानता पर आधारित विकास के सृजन से कोसों दूर है।

यह अब तक की वृद्धि से विषम लाभ की विसंगतियों को दूर करने के क्रम में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की दिशा में विकास का नेतृत्व करता है तथा बाज़ार निर्धारित सेवा क्षेत्र के बारे में हमारे तुलनात्मक लाभ से हमारे ध्यान को विस्तृत करने की जरूरत की तरफ इशारा करता है।

विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत

भारत अपनी जनसांख्यिकी और मांग स्वरूप में विशिष्ट है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत 3 डी यानी डेमोक्रेसी (लोकतंत्र), डिमांड (मांग) तथा डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी)

वाला एक अद्भुत देश है। यहां एक बड़ा घरेलू उपभोक्ता आधार है और घरेलू मांग की पर्याप्तता प्रति व्यक्ति आय में अच्छी वृद्धि द्वारा और मजबूत हो रही है। आपूर्ति के लिहाज से, 1991-2013 तक भारत में आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या का अनुपात 57.7 प्रतिशत से बढ़कर 63.3 प्रतिशत हो गया है (आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15), जो भारत की दुनिया के विनिर्माण कंपनियों में से एक के रूप में उभरने के लिए एक इष्टतम मांग-आपूर्ति का संयोजन प्रस्तुत करता है। यह उपलब्धि कई गुनी तब और बढ़ेगी, जब इस विनिर्माण गतिविधि का एक हिस्सा निर्यात क्षेत्र के लिए भी छलकेगा।

भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की तंदुरुस्ती

औद्योगिक उत्पादन के स्वातंत्र्योत्तर चरण से लेकर 1990 के दशक के आसपास अर्थव्यवस्था के खुलने तक, औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन पर आधारित अर्थव्यवस्था को सामान्यत: तीन चरणों में बांटा जा सकता है। शुरुआत में 1951-65 तक की अवधि औद्योगिक उत्पादन के त्वरित गति का गवाह रही है (महालनोबिस मॉडल पर आधारित); 1965-80 की अवधि ने सुस्त औद्योगिक प्रगति को देखा है तथा 1981-91 की अवधि के दौरान उद्योग में कुछ सुधार दर्ज किया गया था। बाद की अवधि से लेकर ग्यारहवीं योजनावधि तक औद्योगिक विकास दर 5-7 प्रतिशत की औसत वाली रही है, जहां तक विकास दर की औसत से सामान्य उद्योग तथा विशेष रूप से व निर्माण के जुड़ने का सवाल है तो यह अवधि मिश्रित परिणामों वाला रहा है। हालांकि, बारहवीं योजना की अवधि से (2012 के बाद) विनिर्माण में लगभग ठहराव रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 ने पाया था कि दो वर्ष क्रमश: 2012-13 दंक 2013-14 विनिर्माण क्षेत्र के लिए हताशा वाले थे, क्योंकि इस दौरान प्रतिवर्ष विकास औसत 0.2 प्रतिशत था।

हालांकि, सर्वेक्षण ने सावधान किया था कि सीएसओ द्वारा संशोधन की संभावना को देखते हुए पिछले दो वर्षों के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के विकास पर उपलब्ध आंकड़ों का सावधानीपूर्वक व्याख्या की जरूरत है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में मूल्य वर्धन के शुरुआती अनुमान आईआईपी पर आधारित हैं, जबकि द्वितीय तथा तृतीय संशोधित अनुमान उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) से लिए गए ज्यादा सूक्ष्म आंकड़ों पर आधारित हैं। विनिर्माण क्षेत्र में विकास अनुमान की ऊपरोल्लेखित समस्या आगे नई शृंखला आंकड़ों में शामिल कर ली गई है।

नये आधार के साथ विनिर्माण विकास की गणना

नई तथा पुरानी कार्यप्रणाली में दिखाए गए विनिर्माण क्षेत्र के विकास में बड़े पैमाने पर विसंगतियां रही हैं (2012-13 तथा 2013-14 में 5 प्रतिशत से ज्यादा)। यह अंतर वास्तविकता से ज्यादा सांख्यिकीय है तथा आंशिक रूप से एमसीए 21 के अंतर्गत कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत ई-गवर्नेंस पहल से लिए गए आंकड़ों को और अधिक व्यापक और विस्तृत आंकड़ों को हासिल करने के लिए मंत्रालय जिम्मेदार है। विनिर्माण क्षेत्र में ही विनिर्माण कंपनियों द्वारा लागू व्यापार को भी शामिल किया गया है, इसे पहले सेवा क्षेत्र के अंतर्गत गिना जाता था। विनिर्माण में वास्तविक विकास सही मायने में 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान वस्त्र, कपड़ा तथा चमड़ा उत्पाद में देखा गया क्योंकि औसत विकास इन क्षेत्रों में 17.7 प्रतिशत था। (आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15)।

'मेक इन इंडिया' भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने वाली एक समयबद्ध पहल है। नये निवेशकों को आकर्षित करने तथा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम हस्तक्षेप के जरिए विनिर्माण क्षेत्र में समस्याओं की पहचान करता है तथा उसका हल सामने लाता है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि उच्च उत्पादकता के साथ निबंधित विनिर्माण क्षेत्रों में उच्च दर सृजन के लिए रूपांतरण क्षेत्र होने की भरपूर संभावना है। अनिबंधित विनिर्माण क्षेत्र के मुकाबले निबंधित क्षेत्र की उत्पादकता 7.2 गुनी है (आर्थिक सर्वे 2014-15)।

विनिर्माण क्षेत्र की बाधाएं

विनिर्माण क्षेत्र अभी भी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास की समस्याओं, कई कानूनों और नियमों से बंधा हुआ है, उद्यमियों के सामने उसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, कारखाना लगाने के लिए मंजूरी की कई पेंचीदगियां हैं, विपणन रणनीतियों तथा निर्यात नीतियों का अभाव है तथा यह क्षेत्र बुनियादी ढांचों, ऊर्जा तथा जलापूर्ति की कमियों से भी जूझ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 बताता है कि विनिर्माण क्षेत्र में पिछली कुछ तिमाहियों में बड़ी संख्या में लगाए जाने वाले प्रोजोक्ट्स ठप्प पड़े हैं। इन प्रोजेक्ट्स में इस्पात, सीमेंट तथा खाद्य प्रस्संकरण हैं। 212 विनिर्माण प्रोजेक्ट्स कोषों की कमी, मांग और प्रतिकूल बाज़ार की स्थितियों के कारण ठप्प हैं।

विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली नीतियां

विनिर्माण क्षेत्र प्रमुख प्रतिभागियों, उद्यमियों और श्रमिकों वाले दो समूह के आसपास घूमता है। दोनों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा दोनों समूहों के बीच अंत:क्रिया को सुविधाजनक बनाने एवं उन्हें संतुलित करने के लिए सरकार इन दोनों के बीच आती है ताकि प्रणाली सुचारू रूप से जारी रहे। इस परस्पर क्रिया में सरकार द्वारा बनाए जा रहे या लागू किए जा रहे कार्यक्रमों तथा नीतियां आते हैं और समग्रता में ये विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं।

'मेक इन इंडिया' क्यों?

'मेक इन इंडिया' भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने वाली एक समयबद्ध पहल है। नये निवेशकों को आकर्षित करने तथा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम हस्तक्षेप के जरिए विनिर्माण क्षेत्र में समस्याओं की पहचान करता है तथा उसका हल सामना लाता है।

प्रक्रियात्मक विलंब को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदम: औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया को अबाध बनाने के लिए

तालिका 3: औद्योगिक विकास में बदलाव (स्थिर मूल्य) प्रतिशत

	2012-13		2013-14		2014-15 (AE)	
श्रेणी	2004-05	2011-12	2004-05	2011-12	2004-05	2011-12
विनिर्माण	1.1	6.2	-0.7	5.3	अनुपलब्ध	6.8
उद्योग	1.0	2.4	0.4	4.5	अनुपलब्ध	5.9

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15

चौबीसों घंटे काम करने वाले E-Biz पोर्टल कुछ बड़े हस्तक्षेपों में से एक है। पर्यावरण मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गाय है। इस नीति ने राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन को मंजूरी दे दी है, जिसमें एकल खिड़की मंजूरी के लिए प्रावधान उपलब्ध कराया जाएगा।

नये बाज़ार तथा कुशल श्रम का सृजन: नये स्मार्ट शहरों, औद्योगिक गलियारों और औद्योगिक समूहों के विकास के विचारों में कई स्तरों पर मानक विनिर्माण तकनीकों को बढ़ावा देने तथा आगे-पीछे के लिंकेज को जोड़ने की क्षमताएं हैं। कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम जैसे सीएमएलवी देशों में विनिर्माण केंद्रों की स्थापना को सहज बनाने के लिए प्रोजेक्ट विकास कंपनी के जरिए विश्व में भारतीय उत्पादों के लिए बाज़ार बेस तैयार करने की बेजोड़ संभावना है। इसके अलावा, इस पहल में नवयुवकों पर केंद्रित कार्यक्रम तथा कौशल विकास के लिए संस्थाएं शामिल हैं। एक सकारात्मक बदलाव कौशल विकास और उद्यमशीलता के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना के रूप में सामने आया है, जहां युवाओं के लिए कौशल विकास के नये तकनीक प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) तथा राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण है और इनके माध्यम से मंत्रालय विश्व के साथ संलग्न है। **स्किल इंडिया** को उन भारतीय युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो समूह व्यापक रूप से चमड़ा, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, जूट, रेशम उद्योग, हस्तशिल्प आदि जैसे उद्योगों में लगा हुआ है। कौशल विकास में प्रमुख प्रोत्साहन भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम को दिया गया है, ताकि प्रति वर्ष 1,44,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। 2011 में प्रस्तुत की गई **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी)** का लक्ष्य विनिर्माण पर बल देते हुए 2022 तक 10 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करना है, इससे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण के उभार को सुनिश्चित किया जाएगा।

उच्च मूल्य औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा: व्यापक वैश्विक भागीदार को प्रोत्साहन देने के लिए निवेश कैप्स तथा उच्च मूल्य औद्योगिक क्षेत्र को आसान बनाया गया है रक्षा क्षेत्र में, एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत किया गया है तथा रक्षा क्षेत्र में पोर्टफोलियो निवेश को स्वचालित मार्ग के तहत 24 प्रतिशत तक कर दिया गया है। मामले-दर-मामले पर, रक्षा में आधुनिक तथा कला प्रौद्योगिकी की स्थिति में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। रेलवे में, स्वचालित मार्ग के तहत निर्दिष्ट रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव के क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। ये क्षेत्र भारत को उच्च मूल्य के विनिर्माण क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल में मदद कर सकते हैं।

स्किल इंडिया को उन भारतीय युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो समूह व्यापक रूप से चमड़ा, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, जूट, रेशम उद्योग, हस्तशिल्प आदि जैसे उद्योगों में लगा हुआ है। कौशल विकास में प्रमुख प्रोत्साहन भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम को दिया गया है, ताकि प्रति वर्ष 1,44,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके।

श्रमिक/श्रम क्षेत्र से संबंधित सुधार: सभी गैर-जोखिम और गैर खतरनाक व्यवसाय की व्यवस्था के लिए स्व-प्रमाणन द्वारा अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हमारे संभावित कार्य बल से 5 प्रतिशत से भी कम के साथ ग्रामीण युवाओं के लिए सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना से एक बदलाव आएगा। इसके अलावा, जैसा कि अपने बजट भाषण में माननीय वित्तमंत्री ने बताया कि सभी मंत्रालयों में फैले राष्ट्रीय कौशल मिशन को कई कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए और मजबूत करने की जरूरत है।

मेक इन इंडिया में एमएसएमई की भूमिका: एमएसएमई रोजगार सृजन के मुद्दों, जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी तथा निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान देते हुए **'मेक इन इंडिया'** को सशक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस क्षेत्र की पहले से ही कुल विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत की भागीदारी है और देश के निर्यात में इसका लगभग 40 प्रतिशत का योगदान है।

अर्थव्यवस्था में समग्र मंदी तथा विनिर्माण में खासकर रही मंदी के बावजूद उत्पादन और रोजगार दोनों ही मामले में एमएसएमई का निरंतर योगदान रहा है। यद्यपि, वैश्विक बाज़ार के साथ पूंजी और ऋण सुविधा, प्रौद्योगिकी तकनीकी जानकारी का अभाव, सीमित पहुंच, जागरूकता और बातचीत तक ही सीमित पहुंच, सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे, श्रम कानूनों की बहुलता, उत्पादों के विनिर्माण और विपणन के लिए कुशल मानव शक्ति की कमी से जूझते क्षेत्र की समस्याओं की वजह से एमएसएमई चिंता के कारण बने रहे।

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम, ऋण गारंटी योजना, क्लस्टर विकास, और 20,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ शुरू किए गए माइक्रो इकाइयों के लिए विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) बैंक की घोषणा के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रहीं प्रमुख योजनाएं 'मेक इन इंडिया' में योगदान के लिए एक स्वागत योग्य कदम हैं। अपरेंटिस प्रोत्साहन योजना से विनिर्माण क्षेत्र एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा (एनएसआईसी) द्वारा समर्थित एक अभिनव पहल कम लागत और उच्च गुणवत्ता एमएसएमई उत्पादों का www.msmeshopping.com के माध्यम से ऑन लाइन वितरण प्रणाली का शुभारंभ हो गया है।

तालिका 4: एमएसएमई का विकास

वर्ष	कुल विनिर्माण उत्पादन में एमएसएमई की प्रतिशत हिस्सेदारी	एमएसएमई में रोजगार (लाख में)	कुल जीडीपी में एमएसएमई की प्रतिशत हिस्सेदारी
2006-07	42.02	805.23	7.73
2007-08	41.98	842.00	7.81
2008-09	40.79	880.84	7.52
2009-10	39.63	921.79	7.49
2010-11	38.48	965.15	7.42
2011-12	37.52	1011.80	7.28

स्रोत: एमएसएमई की वार्षिक रिपोर्ट 2013-14, एमएसएमई मंत्रालय

'मेक इन इंडिया' में व्यापार के प्रति सहजता: विश्व बैंक की व्यापार सहजता सूची 2015 में 189 देशों में भारत का स्थान 142वां था। यह चिंता का विषय है कि व्यापार को आसान बनाने के संदर्भ में वैश्विक रूप से प्रतिद्वंद्विता के बावजूद भारत अब भी बहुत पीछे है। 'मेक इन इंडिया' ने व्यापार को सुलभ बनाने का विशेष खयाल रखा है। पहली बार बने निवेशकों की सहायता के लिए मार्गदर्शन करने वाले समर्पित समूह बनाने का प्रावधान किया जाएगा तथा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम खोलने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, एक सरल, सुनिश्चित और गैर विरोधात्मक कर व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। वस्तु तथा सेवा कर के शुरुआती कदम भारत में किए जाने वाले व्यापार के रास्ते में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे।

विनिर्माण क्षेत्र: भावी रूप-रेखा

दुनिया भर में चल रहे गो-ग्रीन की परिघटना पर अपने आपको भुनाने को लेकर भारतीय निर्माताओं के लिए यह परिपक्व समय है, जिसका इस्तेमाल स्वदेशी वस्त्र, जूट उत्पादों को बढ़ावा देने में किया जा सकता है तथा सौर ऊर्जा एवं वायु ऊर्जा के सृजन के उपयोग में आने वाले अक्षय ऊर्जा उपकरण के निर्माण के प्रोत्साहन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

भारत तथा भारत के बाहर की दुनिया के बीच के जुड़ाव को सशक्त करने में यह महत्वपूर्ण है। सड़क का विस्तार, रेल तथा जलमार्ग की कनेक्टिविटी तथा भारत में विशाल समुद्रतटीय इलाकों को बेहतर बनाकर विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक मजबूत बुनियाद डाली जा सकती है। समर्पित लदान तथा औद्योगिक कॉरिडोर से संबंधित कार्यों में और तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा होने से विनिर्माण क्षेत्र में आपूर्ति तथा मांग दोनों ही क्षेत्रों में बहुस्तरीय ताकत मिलेगी। इससे निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मांग का एक सतत चक्र पैदा होगा।

स्वदेशी संस्कृति और परंपरा रोजगार के सृजन और विनिर्माण में मदद कर सकती है। कला और शिल्प की विविधता पर आधारभूत जानकारियों का समयबद्ध सुरक्षा, प्रोत्साहन तथा उन्हें बढ़ावा देने एवं बेहतर विपणन रणनीतियों के साथ उन्हें सुलभ कराने की आवश्यकता है, ताकि वैश्विक तथा घरेलू स्तर पर उपभोक्ताओं के बीच पहुंच बनाई जा सके। कश्मीर के ऊनी उत्पादों, पंजाब की फुल्कारी, राजस्थान का बंधोज, आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली, बंगाल का टांट और जमदानी, यूपी की बनारसी साड़ी आदि ऐसे कुछ स्वदेशी वस्त्र उत्पाद हैं, जिन्हें विश्व स्तर पर निरंतर आयोजित होते प्रदर्शनी, मेले तथा कला प्रदर्शनी के जरिए पूरे विश्व भर में लोकप्रिय बनाया जा सकता है। इसके अलावा, मौजूदा पीढ़ी ऑनलाइन मार्केटिंग की दीवानी है, लिहाजा ऐसे उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए विभिन्न ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता है। इस तरह के कदमों से युवा भी खुद के लिए रोजगार का सृजन कर सकता है। गुणवत्ता पर नियंत्रण रखकर और उत्पादों को बेचने की सुविधाजनक व्यवस्था देकर सरकार बनाने के द्वारा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के आसपास आय के स्रोत पैदा कर सकती है। इससे सुनिश्चित होगा कि विश्वस्त जनसांख्यिकीय लाभांश के फायदे की फसल बेहतर तरीके से काटा जा सकता है। ❑

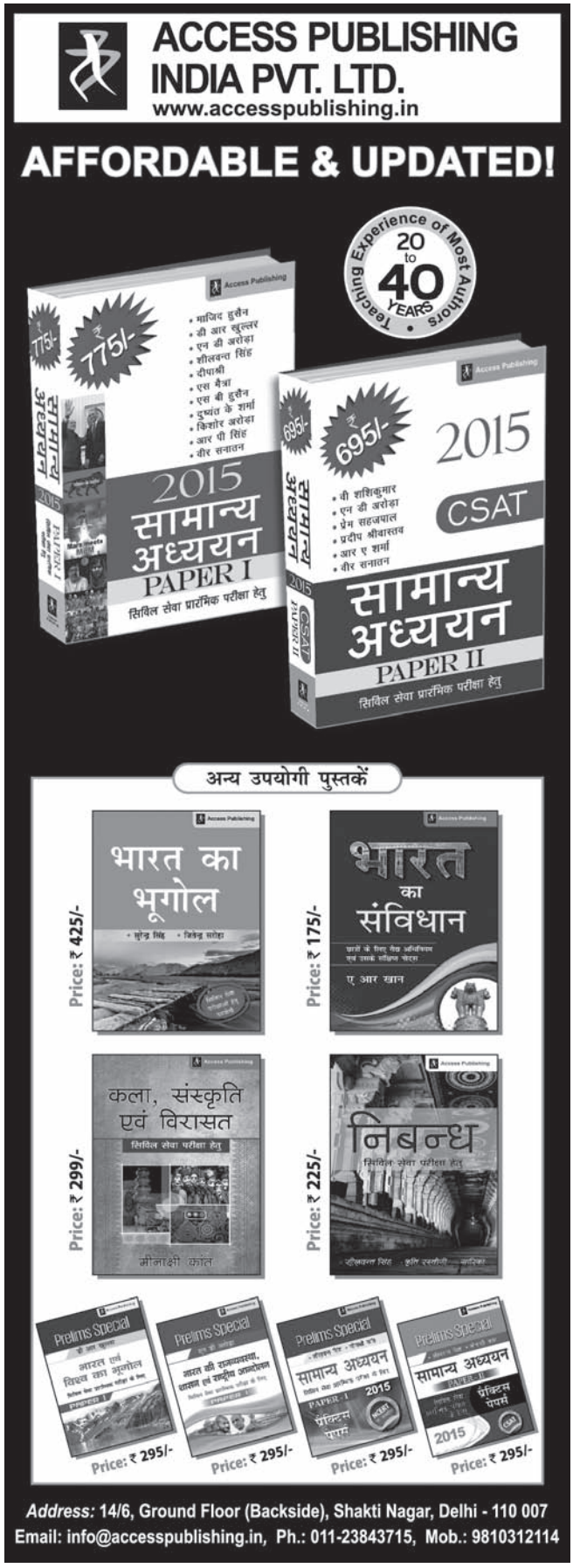

YH-375/2014

इग्नाइटेड माइण्ड्स IAS

दर्शनशास्त्र, एथिक्स (G.S. IV), निबंध एवं हिन्दी कॉम्प्रीहेंशन (C-SAT) के प्रशिक्षण का प्रामाणिक संस्थान

हिन्दी माध्यम में सबसे अधिक टॉपर्स देने वाला संस्थान

पिछले 6 वर्षों में सबसे अधिक हिन्दी माध्यम के IAS टॉपर्स को प्रशिक्षित करने वाला संस्थान

हमारे IAS टॉपर्स

इस वर्ष के हमारे टॉपर्स

शीतला पटले AIR-22nd 2013-14

निधि तिवारी AIR-96th 2013-14

राजा बांथिया AIR-149th 2013-14

पिछले वर्षों के हमारे टॉपर्स

शिव सहाय अवस्थी AIR-34th 2010-11

मिथिलेश मिश्र AIR-46th 2010-11

प्रियंका निरंजन AIR-20th 2012-13

धर्मेन्द्र कुमार AIR-25th 2012-13

10-15 वर्ष पुराने संस्थान प्रायः 2009-2010 के पूर्व के हिन्दी माध्यम के टॉपर्स का फोटो छाप कर अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हैं परन्तु 2010 के बाद से हिन्दी माध्यम का कोई भी संस्थान टॉपर्स देने के मामले में **हमसे मीलों पीछें हैं।**

हमारे PCS टॉपर्स

सुनील कुमार शर्मा Rank-1st छत्तीसगढ़, PCS

सदानन्द कुमार Rank-2nd बिहार, PCS

दिनेश मिश्रा Rank-3rd UPPCS,2012

सुशील सिंह Rank-3rd UPPCS,2010

अमित भट्ट Rank-4th UPPCS,2011

योगानन्द पाण्डेय Rank-7th UPPCS,2009

मुख्य मार्गदर्शक :- **अमित कुमार सिंह** के निर्देशन में...

Bilingual Classes

टॉपर्स देने का सिलसिला जारी अब आपकी बारी

नीतिशास्त्र सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

एथिक्स G.S. IV

दिल्ली विश्वविद्यालय में एथिक्स पढ़ा चुके शिक्षक, जिन्हें एथिक्स में 22 वर्षों के पठन-पाठन का अनुभव

दिल्ली केन्द्र: 15 April 6.30 PM | इलाहाबाद केन्द्र: 5 April 3 PM

हिन्दी माध्यम में एथिक्स का पूरे भारतवर्ष में सबसे बेहतर परिणाम देने वाला संस्थान

पिछले वर्ष हमारे द्वारा एथिक्स में प्रशिक्षित **66 विद्यार्थियों** ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में भाग लिया, इनमें से

12 को 100+ अंक
22 को 90+ अंक
32 को 80+ अंक

100+ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के एथिक्स में अंक

डॉ. दिव्यांग पटेल	112	भावेश घनानी	105
अनिल रानाबांसिया	112	डॉ. पर्थराज गोहिल	103
डॉ. राहुल परमार	110	पुलकेश सिंह	102
डॉ. अनिल थामेलिया	107	आशा गौड़	101
प्रदीप	106	व्योमेश सेठ	101
महेन्द्र देसाई	105	डॉ. कुरनाल राठौर	100

पूरे भारत में हिन्दी माध्यम में एथिक्स पढ़ाने वाले किसी भी संस्थान और शिक्षक का सबसे बेहतर परिणाम, यह एथिक्स में हमारे विशेषज्ञता एवं गुणवत्ता को स्वतः प्रमाणित करता है।

हमारी खुली चुनौती है कि हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले सामान्य अध्ययन के सभी संस्थान हमारे एथिक्स के परीक्षा परिणाम से हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। यदि किसी भी संस्थान के पास हमसे बेहतर परिणाम हो, तो केवल खोखले दावे करने के बजाय अपने परिणाम छाप कर उसे प्रमाणित करें।

(दर्शनशास्त्र के सभी टॉपर्स (हि.मा.) को पढ़ाने वाले एक मात्र शिक्षक)

दर्शनशास्त्र

सर्वाधिक लाभदायक, सबसे छोटा सिलेबस अंकदायी एवं सफलतादायी विषय

दिल्ली केन्द्र: 15 अप्रैल 3 PM | इलाहाबाद केन्द्र: 5 अप्रैल 5.40 PM

पिछले 6 वर्षों के सर्वोच्च अंक एवं रैंक (हिन्दी माध्यम) प्राप्तकर्ता हमारे संस्थान से

विशाल मलानी	378	(2009)	कर्मवीर शर्मा		28
कर्मवीर शर्मा	371	(2010)	शिवसहाय अवस्थी		34
अमर बहादुर	377	(2011)	मिथिलेश मिश्र		46
सुजाता	362	(2012)	प्रियंका निरंजन		20
मनोज कुमार	305	(2013)	धर्मेन्द्र कुमार		25
गौरव भारील	308	(2013)			

खुली चुनौती दर्शनशास्त्र पढ़ाने वाले किसी भी संस्थान को हमारी खुली चुनौती है कि यदि वह दर्शनशास्त्र का श्रेष्ठ संस्थान होने का दावा करता है तो उपर्युक्त तालिका में दिये गए अंकों से बेहतर अंक प्रस्तुत करके दिखायें। दर्शनशास्त्र ही नही किसी अन्य विषय में लगातार पाँच वर्षों में किसी एक ही संस्थान के विद्यार्थी को किसी विषय में सर्वोच्च अंक आये हो, ऐसा दूसरा उदाहरण आपको नही मिलेगा। यह दिखाता है कि सभी वैकल्पिक विषय पढ़ाने वाले संस्थानों में भी हम सर्वश्रेष्ठ है।

अन्य कार्यक्रम

ALLAHABAD CENTRE
- G.S. FOUNDATION
- C-SAT
- निबंध

IGNITED MINDS IAS

हिन्दी कॉम्प्रीहेंशन (C-SAT)

DELHI CENTRE: 1 मई 12 PM | ALLAHABAD CENTRE: 16 मई 8 AM

Head Off.- Delhi Centre :- A-2, 1st Floor Comm. Comp. Mukherji Nagar, Delhi-09
011-27654704, 08744082373, 09643760414

Bo-ALD. :- H-1, 1st Floor Madho Kunj Katra, Allahabad
09389376518, 09793022444

website : www.ignitedmindsias.com Email : ignitedmindsiasndls@gmail.com

YH-376/2014

ई-कॉमर्स: छोटे उद्यमी के लिए बड़ा बाजार

शिशिर सिन्हा

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने कारोबार को भौगोलिक सीमा से बाहर निकाल दिया है। सच पूछिए तो ये एक वैश्विक बाज़ार है जिसमें कोई भी कहीं से भी सामान बेच सकता है या खरीद सकता है। ना तो समय की पाबंदी है और ना ही जगह विशेष पर जाने की जरूरत। इस मामले में ये बात भी अहम हो जाती है कि जिस तरह से कारोबार की उम्मीदें बढ़ रही हैं, उस हिसाब से भौतिक स्थान उपलब्ध नहीं है

मॉरिशस में रहने वाले एक मित्र का कुछ दिन पहले फोन आया। सूचना दी कि उनकी शादी तय हो गई है और उनके माता-पिता पारंपरिक तरीके से शादी करना चाहते हैं। साथ ही चाहते हैं कि बिहार में होने वाली शादियों के मौके पर दूल्हे के सर पर सजने वाले 'मौरी' और दुल्हन के हाथों में 'लहठी' यहां दिखे। उसने कहा कि पहले तो ये सब कुछ आसानी से मिलना आसान नहीं लग रहा था लेकिन वेबसाइट खंगालने के बाद एक ही जगह पर मौरी और लहठी ही नहीं, खास रंग का सिंदूर और शादी के तमाम दूसरे सामान भी आसानी से मिल गए। वेबसाइट ने अगर हमारे मित्र के माता पिता की परंपरा निभाने की ललक पूरी की तो उसी के साथ छोटे उद्यमी के लिए व्यवसाय फैलाने का एक मौका दे दिया।

मौरी और लहठी जैसे अनगिनत पारंपरिक सामान हैं जिनके बाज़ार का आकलन नहीं किया जा सकता। ये वो सामान हैं जो बड़ी या यों कह लीजिए मझौले आकार की भी कंपनियां नहीं बनातीं। अत्यंत ही छोटे (सरकारी भाषा में जिन्हें सूक्ष्म या माइक्रो कहा जा जाता है) या कुछ छोटे उद्यमी ऐसे सामान बनाते हैं। परंपरा व चलन के हिसाब से इन सामान का बाज़ार भी स्थानीय ही समझा जाता रहा है लेकिन अब इस मामले में बदलते माहौल के हिसाब से बदलाव आया है।

दरअसल, आज जब जीविका या कोई और कारण किसी व्यक्ति को अपने मूल स्थान से देश में दूसरी जगह या विदेश ले जाता है तो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को भी साथ ले जाता है और कोशिश होती है कि उसे निभाया जाए। यही चाहत उसे वेबसाइट के जरिए अपने मूल निवास के पारंपरिक सामान बनाने वालों से जहां जुड़ने का मौका देती है, वहीं छोटे व्यवसायी को अपनी दुकान बड़ी करने का मौका भी मिलता है।

बहरहाल, इन बातों का ये कतई मतलब नहीं कि छोटे कारोबारी या उद्यमी बस यही छोटा-मोटा सामान ही बनाते हैं। आज की तारीख में ये उद्यमी रोज़मर्रा से लेकर फैशन, घर की साजों सजावट की जरूरतें और यहां तक कि कई अनूठी चीजें बनाते हैं। इन लोगों के लिए अगर सामान तैयार करना भारी मेहनत-मशक्कत का काम है तो उतनी ही मेहनत सामान के विपणन यानी मार्केटिंग में लगती है। इस काम के लिए बड़े उद्यमी या उद्यमियों की तरह प्रबंधक रखना या फिर शो रूम खोलना संभव नहीं। साथ ही एक ही जगह पर कई छोटे कारोबारी एक ही तरह का सामान बनाते हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच एक छोटा कारोबारी तभी कामयाब होगा जब उसका सामान औरों से कुछ हटकर हो और साथ ही वो बड़े बाज़ार में अपना सामान बेच सके।

यहां छोटे उद्यमी को डिजिटल बाज़ार यानी ई-कॉमर्स से मदद मिल सकती है। इस बाज़ार में आने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है, खुद की वेबसाइट बना कर सामान बेचा जाए लेकिन छोटे उद्यमी के लिए ये बहुत कामयाब नहीं। वजह वेबसाइट प्रबंधन के लिए टीम और फिर ग्राहकों तक पहुंचने के लिए बुनियादी सुविधा विकसित करने पर खासा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा वेबसाइट का नियमित प्रचार प्रसार नहीं हो तो वो लोगों की नजर में नहीं आती। दूसरा तरीका है, अपना सामान

लेखक द हिंदू बिजनेस लाइन में डिप्टी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। आर्थिक पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्षों से सक्रिय। सरकार की आर्थिक नीतियों और संसदीय गतिविधियों पर नियमित लेखन। ईमेल: hblshishir@gmail.com

ई-रिटेलर्स को बेचा जाए और फिर वो सामान आम ग्राहकों को बेचे। ई-रिटेल कुछ इसी तरह की व्यवस्था है।

ई-रिटेलर्स को आस पड़ोस के किराने की दुकान की तरह समझ सकते हैं जहां हर तरह का सामान उपलब्ध होता है। बस फर्क ये है कि ई-रिटेलर्स कोई ईंट-सीमेंट-पत्थर की दुकान नहीं जहां एक लाला जी बैठे होते हैं और छोटू या राजू को सामान निकालने का आदेश देते हैं, आपसे पैसे लेकर गल्ले में डालते हैं। दरअसल ई-रिटेल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सजी एक दुकान है जहां ग्राहक सामान चुनते हैं, ऑर्डर देते हैं, भुगतान का विकल्प चुनते हैं और फिर घर या दफ्तर में सामान हासिल करते हैं। सामान के लिए पैसा चुकाने के दो विकल्प हैं, या तो नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑर्डर देने के समय ही पैसा चुका दें, या सामान हासिल करते समय नकद पैसा चुकाएं। दूसरा तरीका समझ लीजिए डाक व्यवस्था के वीपीपी (Value Payable Post) की तरह है जब डाकिया आपसे सामान की कीमत लेता है। इस व्यवस्था को सुपुर्दगी समय नकद भुगतान यानी कैश आन डेलिवरी (COD) कहते हैं।

तीसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक मंडी, जिसका स्वरूप हम अमेजॉन और इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइटों पर देख सकते हैं। यहां पंजीकृत उत्पादकों से ग्राहकों का संपर्क होता है। पसंद आने पर सामान का ऑर्डर दीजिए और फिर घर या दफ्तर में उसे हासिल कीजिए। यहां भी ग्राहकों के लिए भुगतान के दो विकल्प हैं-ऑर्डर के साथ ही नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान या फिर सामान मिल जाने पर नकद भुगतान।

छोटे उद्यमी के बीच तीसरा तरीका काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है। यहां सरकार ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के जरिए खास पहल की है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत काम करने वाली ये संस्था ई-कॉमर्स के तहत छोटे उद्यमी को दो तरह की सुविधा मुहैया कराती है–

- बिजनेस टू बिजनेस (B2B) पोर्टल: यह एक सूचना मध्यस्थ सेवा है जो छोटे उद्यमी को दुनिया भर के बाज़ार से जोड़ती है ताकि वे अपने कारोबार का विस्तार कर सकें। यहां कारोबारी अपने बारे में सारी जानकारी देता है। इस आधार पर कोई भी दूसरा पक्ष पोर्टल के जरिए संपर्क साध कर कारोबारी रिश्ते बना सकता है।
- बिजनेस टू कस्टमर (B2C) पोर्टल: यह भी मध्यस्थ सेवा है जहां पंजीकृत छोटे कारोबारी खुदरा ग्राहकों के लिए अपना सामान प्रदर्शित करते हैं। पोर्टल का काम ग्राहक और आपूर्तिकर्ता को जोड़ना है। इसके लिए शुरुआती पंजीकरण शुल्क के बाद कोई कमीशन नहीं लिया जाता। सामान समय पर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपूर्तिकर्ता की है और भुगतान भी सीधे उसे जाता है।

इन दोनों ही पोर्टल के जरिए बहुत ही मामूली निवेश के साथ छोटे उद्यमी को ऑनलाइन कारोबार शुरू करने का मौका मिलता है। साथ ही उन्हें मार्केटिंग या लॉजिस्टिक्स की जरूरत नहीं पड़ती और बाकी ग्राहक सेवा ई-रिटेलर मुहैया करा देते हैं। इस व्यवस्था का फायदा केवल छोटे उद्यमी को ही नहीं मिलता, बल्कि ई-रिटेलर्स या ई-कामर्स में लगी कंपनियों को भी मिलता है, मसलन सस्ती और विविधता से पूर्ण आपूर्ति व्यवस्था।

इन दोनों ही पोर्टल के जरिए बहुत ही मामूली निवेश के साथ छोटे उद्यमी को ऑनलाइन कारोबार शुरू करने का मौका मिलता है। साथ ही उन्हें मार्केटिंग या लॉजिस्टिक्स की जरूरत नहीं पड़ती और बाकी ग्राहक सेवा ई-रिटेलर मुहैया करा देते हैं। इस व्यवस्था का फायदा केवल छोटे उद्यमी को ही नहीं मिलता, बल्कि ई-रिटेलर्स या ई-कामर्स में लगी कंपनियों को भी मिलता है, मसलन सस्ती और विविधता से पूर्ण आपूर्ति व्यवस्था।

शायद यही कारण है कि ई-कॉमर्स के कारोबार में लगी कंपनियां भी छोटे उद्यमी के साथ जुड़ने की हर संभव कोशिश में लगी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेजॉन ने इंफोसिस के सह संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति की निजी निवेश कंपनी के साथ करार किया है। करार का मकसद छोटे उद्यमी को ऑनलाइन आने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधा मुहैया कराने में मदद करना है। कुछ समय पहले ही छोटे और मझौले उद्यमी के संगठनों के साथ फ्लिपकार्ट ने करार किया जिससे उद्यमी को ग्राहक मिले और उनके उत्पाद के विपणन में मदद मिले। इसके अलावा शॉपक्ल्यूज डॉट कॉम, स्नैपडील और ट्रोडस जैसी ई-रिटेलर्स कंपनियां भी छोटे और मझौले उद्यमियों के साथ जुड़ चुकी हैं।

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का स्वरूप

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने कारोबार को भौगोलिक सीमा से बाहर निकाल दिया है। सच पूछिए तो ये एक वैश्विक बाज़ार है जिसमें कोई भी कहीं से भी सामान बेच सकता है या खरीद सकता है। ना तो समय की पाबंदी है और ना ही जगह विशेष पर जाने की जरूरत। इस मामले में ये बात भी अहम हो जाती है कि जिस तरह से कारोबार की उम्मीदें बढ़ रही हैं, उस हिसाब से भौतिक जगह उपलब्ध नहीं है। अपने ही देश में ले लीजिए। किसी भी व्यावसायिक जगह पर एक दुकान किराए पर लेना, काफी महंगा पड़ता है, उस पर चलाने का नियमित खर्च अलग से। ऐसे में डिजिटल दुनिया मददगार बनकर सामने आई है। जब ये बाज़ार खुदरा कारोबार करता है तो उसे ई-रिटेल या फिर ईटेल कहते हैं।

तालिका 1: इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स: आकार बढ़ने के आधार (अनुमानित)

प्रकृति	वर्ष	परिमाण	वर्ष	परिमाण
आकार	2011	10 अरब डॉलर	2016	30 अरब डॉलर
इंटरनेट प्रयोक्ता	2011	11 करोड़	2016	27.3 करोड़
क्रेडिट कार्ड प्रयोक्ता	2011	1.8 करोड़	2014	7.37 करोड़
डेबिट कार्ड प्रयोक्ता	2011	22.8 करोड़	2014	35.04 करोड़
थ्री जी प्रयोक्ता	2014	11.8 करोड़	2020	30.34 करोड़
इंटरनेट पर प्रति माह समय	2011	17.4 घंटा	2015	21 घंटे
ऑनलाइन लेन-देन	2011	1.1 करोड़ यूजर	2015	3.8 करोड़ यूजर

स्रोत : विभिन्न शोध के आधार पर आंकड़ों पर परिकलित, Rebirth of e-Commerce in India by EY

ये भी ना भूलिए कि देश में अगर इंटरनेट युक्त कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ी है तो उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से लोगों के पास स्मार्ट फोन आया है। इन दोनों ने भी देश में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को बढ़ावा दिया। उद्योग संगठन एसौचौम और बाज़ार पर शोध करने वाली संस्था प्राइस वाटरहाउस कूपर्स की एक साझा रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका और चीन जैसे देश में जहां ई-कॉमर्स के जरिए बिक्री 150 अरब अमरीकी डॉलर पर पहुंच चुकी है, वहीं भारत में 2013 तक यह 12.6 अरब डॉलर तक पहुंची।

हालांकि इस पूरे बाज़ार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भ्रमण/सैर सपाटे (ट्रैवल) की है, लेकिन सबसे तेजी से ई-रिटेल यानी इंटरनेट के जरिए होने वाला खुदरा कारोबार बढ़ रहा है। रिपोर्ट कहती है कि 2017 से 2020 के बीच अकेले ये क्षेत्र 10 से 20 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच सकता है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शोध संस्था ई-मार्केटियर का अनुमान है कि चालू वर्ष यानी 2015 के दौरान ई-रिटेल में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और ये 7.69 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच सकता है। 2014 में ये रकम 5.3 अरब अमरीकी डॉलर दर्ज की गई थी। एक और फर्म टेक्नोपैक का आंकलन है कि 2020 तक ये बाज़ार 32 अरब डॉलर का हो जाएगा।

भारत में इंटरनेट पर खुदरा कारोबार बढ़ने की कई वजह हैं। पहला तो घर बैठे उत्पादों के तमाम विकल्प मिलते हैं। दूसरी, भारी डिस्काउंट के अवसर मिलते हैं। और तीसरा, सामान पसंद ना आए तो घर आकर सामान वापस ले जाने की सुविधा भी ई-रिटेलर्स देते हैं। जाहिर है कि बड़ा उद्यमी हो या छोटा, इस माध्यम को नजरअंदाज कर कारोबार नहीं फैला सकता।

छोटे कारोबार की बड़ी भूमिका

बाज़ार के नए चलन के हिसाब से छोटे उद्यमी के कामकाज के तरीके में बदलाव की वजह सिर्फ ये नहीं कि इन्हें अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, बल्कि एक बड़ी वजह ऐसे कारोबार की अर्थवव्यस्था में बड़ी भूमिका भी है। आर्थिक व सामाजिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के महत्वपूर्ण योगदान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में यह क्षेत्र अकेले ही करीब 8 प्रतिशत का योगदान करता है।

क्या है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	
विनिर्माण क्षेत्र	
इकाई	**सयंत्र, व मशीन में निवेश की सीमा**
सूक्ष्म	25 लाख रुपये तक
लघु	कम से कम 25 लाख रुपये और ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ रुपये
मध्यम	कम से कम पांच करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ रुपये
सेवा क्षेत्र	
इकाई	**उपकरणों में निवेश की सीमा**
सूक्ष्म	10 लाख रुपये तक
लघु	कम से कम 10 लाख रुपये, ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ रुपये
मध्यम	कम से कम 2 करोड़ रुपये, ज्यादा से ज्यादा 45 करोड़ रुपये।

देश के कुल विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी करीब 45 प्रतिशत है। कुल निर्यात का करीब 40 प्रतिशत इसी क्षेत्र से आता है। चौथी अखिल भारतीय जनगणना के मुताबिक, देश में सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम इकाइयों की संख्या 361.76 लाख है। ये क्षेत्र आठ करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। हाल के वर्षों में पूरी अर्थव्यवस्था में भले ही गिरावट आ रही है, लेकिन सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की विकास दर औसतन 10 प्रतिशत के करीब रही।

अनुमान है कि चालू वर्ष यानी 2015 के दौरान ई-रिटेल में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और ये 7.69 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच सकता है। 2014 में ये रकम 5.3 अरब अमरीकी डॉलर दर्ज की गई थी। एक और फर्म टेक्नोपैक का आंकलन है कि 2020 तक ये बाज़ार 32 अरब डॉलर का हो जाएगा।

वैश्विक समझौता

अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र की अहमियत को अब बड़े उद्योग भी विश्व मंच पर नई पहचान दे रहे हैं। साथ ही बेहतरी के लिए वैश्विक समझौता भी कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में प्रमुख उद्योग संगठन, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने दुनिया की अव्वल ई-कॉमर्स कंपनियों में एक अलीबाबा डॉट कॉम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद भारत के लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक मंच प्रदान करना है। यह समझौता न केवल भारत और चीन के लघु और मध्यम उद्यमियों के बीच कारोबारी संबंध बेहतर करने में मदद करेगा, बल्कि आर्थिक अनुबंध को भी बढ़ावा देगा। अलीबाबा की कामयाबी किसी से छिपी नहीं है और ये बात भी सत्य है कि इसकी कामयाबी में चीन की लघु औद्योगिक इकाइयों की अहम हिस्सेदारी रही। अब सफलता के इसी मंत्र को भारतीय लघु और मध्यम उद्यम पर अपनाने की कोशिश है।

समझौते के मुताबिक, सीआईआई और अलीबाबा मिलकर लघु और मझौले उद्यमियों को प्रशिक्षित करेंगे। साथ ही ऐसी छोटी इकाइयों के लिए औद्योगिक समूह विकसित करने का काम करेंगे। इसके साथ ही अलीबाबा ई-सर्टिफिकेट कार्यक्रम भी भारत में चलाएगी। गौरतलब है कि अलीबाबा की वेबसाइट के जरिए ना केवल चीन, बल्कि भारत, पाकिस्तान और थाईलैंड के छोटे उद्यमी भी अपना सामान बेच सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए इस समझौते की बदौलत छोटे उद्यमियों की ई-कॉमर्स को लेकर होने वाली दिक्कतें दूर होंगी और वो इसका बेहतर तरीके से दोहन कर सकेंगे।

मेक इन इंडिया

डिजिटल बाज़ार में जगह मजबूत बने, ये तभी संभव होगा जब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को तमाम नई सहूलियतों में बड़े उद्योगों के बराबर की जगह मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, 'मेक इन इंडिया' में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को खास अहमियत दी गई। इस कार्यक्रम के ऐलान के बाद मंत्रालय ने क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से कोलेटरल मुक्त ऋण का प्रावधान करने, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) के माध्यम से आधुनिक मशीनरी लगाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान करने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा विनिर्माण के लिए विश्व बैंक की सहायता से 15 नये प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्लनस्टगरों की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) के माध्यम से इको-सिस्टम का निर्माण करने और मौजूदा 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों को नई प्रौद्योगिकी

(शेषांश पृष्ठ 31 पर)

SPACE IAS

उपेन्द्र अनमोल
(सुप्रसिद्ध प्रशासनिक मार्गदर्शक)

पिछले 10 वर्षों में 519 से अधिक UPSC में चयनित अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन

10 वर्षों से पूरे देश में GENERAL STUDIES में सबसे चर्चित रहे शिक्षक
उपेन्द्र अनमोल सर के नेतृत्व में

Batch starts on 11 APRIL

GS

Batch starts on 11 APRIL

FOUNDATION

Editors :

- Innovation Today
- Science Focus
- Economic Progress
- Female Today

उपेन्द्र अनमोल
(सुप्रसिद्ध प्रशासनिक मार्गदर्शक)

- पूरे देश में एक मात्र शिक्षक, जो पूरे General Studies के सभी भागों पर एक समान पकड़ रखते हैं।
- Basics से लेकर Advanced Understanding को सुनिश्चित करने वाले एक मात्र शिक्षक
- Answer Writing, Interview और Essay Writing की सर्वश्रेष्ठ कला विकसित करने वाले एकमात्र शिक्षक

उपेन्द्र अनमोल सर द्वारा लिखी गयी बुक
Inner Voice of Science and Technology को Science & Technology and Earth Science Ministry के द्वारा Science की Reference book माना गया है।

A-35-36, 203, 2nd Floor, Bhandari House, Above Post Office, Mukherjee Nagar

Mob. : 9136360007, 8802678660

YH-377/2014

भारतीय विनिर्माण में संपोषणीयता व नवाचार की आवश्यकता

बालकृष्ण सी राव

विनिर्माण के पारंपरिक क्षेत्रों में शोध के अलावा संपोषणीयता के हिसाब से देखें तो भारतीय अकादमिक जगत और उद्योग कुछ नवीन परिवर्तनशील तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 3-डी प्रिंटिग या योगज विनिर्माण तकनीक का आगमन एक ऐसी तकनीक है कि इसने हाल के दशक में कल-पुर्जों के विनिर्माण के कुछ ऐसे क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है जो मुख्यतः अधातु पदार्थों से बने हैं

दुनिया की कई स्वतंत्र संस्थाओं जैसे इंटरनेशनल इनर्जी एजेंसी (आईएईए), मिलेनियम इकोसिस्टम मैंनेजमेंट और जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी समिति द्वारा जलवायु परिवर्तन को वैज्ञानिक रूप से मानवता के लिए गंभीर खतरा माना गया है। ऐसा विभिन्न मानवीय गतिविधियों द्वारा दुनिया भर में कई वर्षों से ग्रीन हाउस गैस के सतत उत्सर्जन की वजह से हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो संसाधनों की कमी और अन्य संबंधित नकारात्मक प्रभाव, यहां का जनसंख्या घनत्व, विशाल समुद्री तट और आम जनता की भलाई के लिए प्रसांगिक अन्य कारकों की वजह से भारत के लिए यह जलवायु परिवर्तन बहुत ही ज्यादा होगा। ऐसी ही एक मानवीय गतिविधि विनिर्माण क्षेत्र है जो औद्योगिक क्रांति के समय से ही उद्योग-प्रधान देशों का मुख्य आधार रहा है और हाल में उभरते हुए बाज़ार चीन और भारत का भी। वैश्वीकरण की गति के आगे बढ़ने के साथ-साथ ही दुनिया की बहुत सारी विनिर्माण गतिविधियां इन्हीं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से संचालित की जा रही है और विकसित दुनिया की प्रमुख कंपनियों के विदेशी शाखाओं के तौर पर काम करती हैं। विनिर्माण गतिविधियों की इस आउटसोर्सिंग ने चीन और भारत जैसे उभरते हुए बाज़ारों के विशाल विनिर्माण ढांचे को भी समुन्नत किया है।

भारतीय विनिर्माण क्षेत्र ने एक लंबा सफर तय करते हुए वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में एक फीसदी की हिस्सेदारी हासिल कर ली जैसा कि सन् 2012 में एक रिपोर्ट में कहा गया (1) और इसने सन् 2014 में सकल घरेलू उत्पाद में 15 फीसदी का योगदान दिया। निकट भविष्य में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान दिख रहा है। तो ऐसे में भारतीय विनिर्माण उद्यमियों के लिए संपोषणीय विकास की अवधारणा को अपनाना महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसा इसलिए कि चीन के साथ ही भारत को ग्रीन हाउस गैसों के शीर्ष उत्सर्जकों में से देखा जाने लगा है। निकट भविष्य में ग्रीन हाउस गैसों के इस उच्च उत्सर्जन के जारी रहने की संभावना है और यह सरकार द्वारा प्रस्तावित संतुलनकारी कारकों को लागू किए जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा ताकि कार्बन-फुटप्रिंट को कम किया जा सके। इसके अलावा वैश्विक व्यापार को सुधारने के लिए संपोषणीय विकास के मानकों की भी आवश्यकता है, जो गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की मांग की वजह से है जिनका उत्पादन, इस्तेमाल और निष्पादन पर्यावरण-संरक्षण की दृष्टि से अनुकूल हो। इसलिए इन बातों के मद्देनजर संपोषणीय विकास के मानकों के अनुकूल तकनीक और सेवाओं के शुरुआती प्रयोग भारतीय विनिर्माण उद्यमियों को अपने प्रतिस्पर्धियों पर एक बढत प्रदान कर देगा।

संपोषणीयता और मेक इन इंडिया अभियान

संपोषणीय विकास खास तौर पर एक समग्र विकास की प्रक्रिया है जो पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन

लेखक आईआईटी मद्रास, चेन्नई में डिपार्टमेंट ऑफ इंजिनियरिंग डिज़ाईन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनके शोध की रुचियों में इनोवेशन, संपोषणीय और योगज विनिर्माण शामिल हैं। उन्होंने अमरीका के परड्यू यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजिनियरिंग में पीएच.डी की है। ईमेल: balkrish@iitm.a.in

और संसाधनों की कमी खासकर पानी की कमी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को इस अवधारणा के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि पृथ्वी को आने वाली पीढियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। संपोषणीय विकास, विनिर्माण में खास तरीके के उत्पादन से दूसरे खास तरीके के उत्पादन तक की यात्रा है जो पहले के उपयोग और निष्पादन की अवधारणा से अलग है। इसमें पुनर्चक्रण (बने हुए उत्पादों से फिर से कोई उत्पाद बनाना या उपयोगी बनाना) और फिर से इस्तेमाल और त्यक्त सामानों से पुनर्निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है ताकि इसके पर्यावरण पड़ पर रहे नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवा के द्वारा समाज के एक बड़े वर्ग के जीवन स्तर को भी सुधारा जा सके। इस बात को महत्व दिया जाना चाहिए कि क्रेडेल टू ग्रेव (निर्माण से निष्पादन) अवधारणा को वर्षों तक इस्तेमाल में लाया जाता रहा जिसमें वस्तुओं के निर्माण और फिर इस्तेमाल के बाद उसे त्याग दिया जाता था। संपोषणीय विकास की अवधारणा से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को बहुत फायदा होने वाला है। इस अवधारणा को अपनाने के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' अभियान में काफी लंबा सफर करना होगा जिसकी परिकल्पना भारतीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और इसे वास्तव में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए की गई है। ऐसा इसलिए कि चीन जैसे उभरते हुए औद्योगिक प्रतिस्पर्धी और जर्मनी जैसे औद्योगीकृत राष्ट्र जो कि अपनी ऊर्जा योजना इनर्जीवेंडे के साथ सामने आ रहा है, जिसमें वैसी तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहे है जो विनिर्माण समेत विविध क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के मानकों के अनुकूल हों। पृथ्वी की जलवायु संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए अपनाई जा रही इन हरित तकनीकों के शुरुआती इस्तेमाल ने इन देशों को विनिर्माण उपकरणों के निर्माण और प्रक्रियाओं के लिए एक शुरुआती बढ़त दे दी है कि उत्पादकता में सुधार भी पर्यावरण के अनुकूल हो सकता है। नतीजतन इन तकनीकों को विकसित किए जाने में इन देशों में जो प्रतिस्पर्धा होगी वो कम से कम विनिर्माण गतिविधियों की सक्षमता में सुधार लाएगी जो अंतत: विनिर्माण क्षेत्र की लागत को कम कर देगी और मुनाफा को बढ़ाएगी। इसलिए भारत जैसी एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वच्छ-पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण तकनीक पर्यावरण पर मंडरा रहे खतरों के बावजूद लाभप्रद ही होगा।

संपोषणीय विकास की अवधारणा से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को बहुत फायदा होने वाला है। इस अवधारणा को अपनाने के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' अभियान में काफी लंबा सफर करना होगा जिसकी परिकल्पना भारतीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और इसे वास्तव में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए की गई है।

भारतीय विनिर्माण में संपोषणीयता की अवधारणा को लागू करने की सफलता बेहतर प्रक्रियाओं और उच्चतर मशीनी उपकरणों के विकास की तरफ ले जा सकती है जिसकी जरूरत प्लेन वेनिला के फेब्रिकेशन और परिष्कृत उपकरणों में हो सकती है जो स्वचालित मशीनी उद्यमों से लेकर स्वास्थ्य और हवाई क्षेत्र तक फैले हुए हैं। खासकर भारतीय मशीन-उपकरण उद्योग को यह मौका कतई नहीं छोड़ना चाहिए और ऐसे उपकरण का डिज़ाईन और निर्माण करना चाहिए जो हरित मानकों के अनुकूल हों और विनिर्माण बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत कर सके। संपोषणीय विनिर्माण की अवधारणा में विज्ञान और इंजीनियरिंग में उच्च तकनीक का इस्तेमाल और साथ ही शोध व विकास को बढावा देना दोनों शामिल है ताकि उत्पाद गुणवत्ता और पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव हो सके। नतीजन, दुनिया में तकनीकी मोर्चे पर अग्रणी होने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही इससे विभिन्न स्तरों पर रोजगार के नये मौके भी उभर कर सामने आएंगे। इससे हमारे पास ऐसे कौशल व ज्ञान का भंडार जमा हो जाएगा जिसकी आवश्यकता दूसरे देशों को भी होगी लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि भारतीय विनिर्माण का ये आधुनिकीकरण देश को नागरिक और रक्षा उत्पादों के क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।

विनिर्माण क्षेत्र नई तकनीक के आविष्कार का भी बढ़िया मौका देता है जो उत्पादों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे अवसर तब आते हैं जब किसी उत्पाद के फैब्रिकेशन के काम को अंजाम देते समय डिज़ाईन में बाधाओं पर गौर किया जाता है। किसी उत्पाद को फिर से डिज़ाईन करना जो क्रमिक या अभिनव आविष्कार हो सकता है, वो इस तरह की बाधाओं को दूर कर सकता है। ऐसी बाधाएं उन प्रक्रियाओं को भी परिष्कृत कर सकती है या फैब्रिकेशन की एक नई प्रकिया को ही जन्म दे सकती है। दरअसल ऐसे आविष्कार महत्वपूर्ण रूप से विनिर्माण के अलावा अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकते हैं। अमरीका की वर्तमान सरकार इन क्षतियों का अनुभव कर रही है क्योंकि उसका बहुत सारा विनिर्माण दूसरे देशों में चला गया है। उसने हाल के वर्षों में एक नेशनल नेटवर्क फॉर मैनुफैक्चरिंग इनोवेशन (एनएनएमआई) का गठन किया है ताकि आंशिक रूप से विनिर्माण गतिविधियों को अमरीकी सीमा के अंदर ही प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा अभावों और सीमाओं में रहकर भारतीयों की आविष्कार करने की क्षमता को पहचानने और उसका हर संभव दोहन करने की आवश्यकता है ताकि तत्काल और कम खर्चे का आविष्कार किया जा सके। इस तरह के सस्ते उत्पादों को बनाने की महत्वपूर्ण और काफी संभावना है जो गुणवत्ता से परिपूर्ण हों और भारतीय समाज के व्यापक वर्गों के लिए सस्ते और सहज भी हों ताकि जीवनस्तर को बढ़ावा भी मिल सके। इन बातों के मद्देनजर इंजिनियरिंग में इन कम खर्चों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना और वो भी सिर्फ जमीनी स्तर की घटना के रूप में नहीं-बल्कि बड़े स्तर पर-एक महत्वपूर्ण बात है। इन आविष्कारों का इस तरह की अल्पव्ययी प्रकृति संपोषणीय विकास को भी मदद करेगी

अभावों और सीमाओं में रहकर भारतीयों की आविष्कार करने की क्षमता को पहचानने और उसका हर संभव दोहन करने की आवश्यकता है ताकि तत्काल और कम खर्चे का आविष्कार किया जा सके। इस तरह के सस्ते उत्पादों को बनाने की महत्वपूर्ण और काफी संभावना है जो गुणवत्ता से परिपूर्ण हों और भारतीय समाज के व्यापक वर्गों के लिए सस्ते और सहज भी हों ताकि जीवनस्तर को बढ़ावा भी मिल सके।

जो दुनिया भर की गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांश उत्पादों और सेवाओं में अंतर्निहित है।

ज्यादा शोध और विकास की जरूरत

कुल मिलाकर भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को ज्यादा स्वदेशी शोध और विकास की आवश्यकता है ताकि विनिर्माण को संपोषणीय विकास की अवधारणा के साथ जोड़ा जा सके। भारत की बढ़ती विकास जरूरतों को पूरा करने के अलावा इस तरह के शोध व विकास की गतिविधियां भारतीय विनिर्माण-कर्ताओं को चीन और अन्य विकसित देशों के साथ वैश्विक नेतृत्व भी प्रदान करेगी जो स्वच्छ हरित तकनीक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत में विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवन देने के लिए शानदार शोध संस्थान हैं जिनकी क्षमताओं का दोहन हो सकता है। जिन शोध केंद्रों का संदर्भ दिया जा सकता है उनमें आईआईटी, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साईंस और अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं जहां पर अकादमिक जगत के शानदार लोग और शोध प्रतिभाएं मौजूद हैं। साथ ही बहुत सारे प्रतिरक्षा और गैर-प्रतिरक्षा संस्थान भी हैं जिनसे जुड़ी हुई राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र-जिनमें से कईयों की इकाई तो विश्वस्तरीय कंपनियां हैं- राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और अकादमिक जगत मिलकर एक मजबूत गठजोड़ बना सकते हैं और लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।

संपोषणीय विनिर्माण के लिए संभावित क्षेत्र

विनिर्माण के पारंपरिक क्षेत्रों में शोध के अलावा संपोषणीयता के हिसाब से देखें तो भारतीय अकादमिक जगत और उद्योग कुछ नवीन परिवर्तनशील तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 3-डी प्रिंटिग या योगज विनिर्माण तकनीक के आगमन एक ऐसी तकनीक है कि इसने हाल के दशक में कल-पुर्जों के विनिर्माण के कुछ ऐसे क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है जो मुख्यत: अधातु पदार्थों से बने हैं। जहां तक धातु का संबंध है तो यह तकनीक अभी प्राथमिक अवस्था में ही है और खासकर उन धातु पदार्थों के लिए जिनका इस्तेमाल महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य या हवाई क्षेत्रों में किया जाता है। आशा है कि इस पर होने वाले शोध से निकट भविष्य में वो खाई भरने में कामयाबी हासिल होगी- जिन कलपुर्जों का उत्पादन पारंपरिक या कटाव वाले विनिर्माण प्रक्रियाओं के तहत होता था।

संपोषणीय विकास के भारतीय दृष्टिकोण से ज्यादा से ज्यादा शोध और विकास योगज विनिर्माण क्षेत्र की तरफ किया जा सकता है ताकि संभावित विनिर्माण की क्षमता का पूरा दोहन हो सके, कम से कम कार्बन फुटप्रिंट पैदा हो और सस्ते उत्पादों के विकास को संभव बनाने के लिए कम से कम मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता हो।

योगज विनिर्माण में ऐसी क्षमता है कि वह समय चक्र को कम कर सकता है और एक सकल आकार प्रदान कर सकता और फिर से पारंपरिक प्रक्रियाओं की तरफ ले जाकर कल-पुर्जों को आकार दे सकता है जैसा वर्तमान में 3-डी प्रिंडेट पुर्जों के फेब्रिकेशन में किया जाता है। ऐसा विविध क्षेत्र के उद्यमों में किया जाता है जिसमें एयरोस्पेश भी शामिल है। संपोषणीय विकास के भारतीय दृष्टिकोण से ज्यादा से ज्यादा शोध और विकास योगज विनिर्माण क्षेत्र की तरफ किया जा सकता है ताकि संभावित विनिर्माण की क्षमता का पूरा दोहन हो सके, कम से कम कार्बन फुटप्रिंट पैदा हो और सस्ते उत्पादों के विकास को संभव बनाने के लिए कम से कम मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता हो। इस तरह के शोध जिसमें मितव्ययिता, संपोषणीय विकास और चलित तकनीक का सम्मिश्रण हो-वो हमारा एक अलग सा लक्ष्य होना चाहिए जिसे दूसरे देशों को भी निर्यात किया जा सके। इसके अलावा योगज विनिर्माण का इस्तेमाल उन्हें बिना हटाए कल-पुर्जों को जोड़ने और ठीक करने में भी किया जा सकता है। इस तरह से पुर्जों को ठीक करने की सहजता क्रेडल टू क्रेडल यानी एक इस्तेमाल से दूसरे इस्तेमाल की अवधारणा में बिल्कुल उपयुक्त बैठती है। साथ ही योगज विनिर्माण तकनीक नये पदार्थों के निर्माण और उनकी जांच को भी बढ़ावा देता है जिनकी गुणवत्ता बेहतर होती है और जिनका नया इस्तेमाल किया जा सकता है।

कुछ वैसे क्षेत्र जिन पर ध्यान देने की जरूरत है वो है रोबोट के साथ ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़े आंकड़े और क्लाउड कंप्यूटिंग। ऐसे अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं। इनमें से हर क्षेत्र में वो क्षमता है कि वो भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का आधुनिकीकरण कर सके और संपोषणीय विकास के द्वारा हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। हालांकि इन नई अवधारणाओं को हमारे देश में उपलब्ध कौशल से परिपूर्ण विशाल श्रमिक वर्ग और विभिन्न स्तर पर श्रम के उचित इस्तेमाल से भी जोड़ने की जरूरत है। ❑

संदर्भ

- इंडियन ब्रैंड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ), बूस्टिंग इंडियाज मैनुफैक्चरिंग एक्सपोर्ट
- द इकनॉमिस्ट, रिवाइविंग इंडियाज इकनॉमी, 24 मई 2014

(पृष्ठ 27 का शेषांश)

और परीक्षण सुविधाओं से संवर्धित करने जैसे कदम उठाए हैं।

साथ ही प्रधान मंत्री के 'जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट' नारे को ध्यान में रखते हुए कोशिश है कौशल विकास पर खासा ध्यान दिया जाए। चूंकि बाज़ार चलन के मुताबिक उत्पाद श्रेणी में लगातार परिवर्तन होने चाहिए, इसके लिए शोध व विकास के साथ नवप्रवर्तन पर भी मंत्रालय का जोर है। गौर करने की बात है कि डिजिटल बाज़ार में विकार मुक्त उत्पाद और लगातार नए उत्पाद लाने वाले उद्यमी लगातार आगे बढ़ते हैं। लिहाजा मेक इन इंडिया के तहत 'जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट' को अपनाने वाली छोटी और अत्यंत छोटी औद्योगिक इकाइयों के लिए ई-कॉमर्स क्षेत्र में छा जाने का मौका है।

चलते-चलते एक बार फिर मौरी की चर्चा में आपको शामिल करते हैं। बिहार की राजधानी पटना के पुराने इलाके पटना सिटी का मच्छरहटा मोहल्ला मौरी बनाने का प्रमुख केंद्र है। एक अनुमान के मुताबिक करीब हजार लोग यहां पर नियमित तौर पर मौरी बनाने में जुटे हैं। लेकिन ज्यादातर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बेचने के लिए जरूरी व्यवस्था का अभाव होने की वजह से इन्हें मजबूरी में तैयार सामान औने पौने दाम पर खुदरा दुकानदारों को बेचना पड़ रहा था। फिलहाल उम्मीद है कि हालात जल्द बदलेंगे। क्योंकि मौरी बनाने वाले कुछ परिवारों की नई पीढ़ी अब इंटरनेट से जुड़ी और अपने उत्पाद को वेबसाइट पर रखा। इसी से मॉरिशस के मेरे मित्र को दूर देश में ही मौरी मिल पाया। छोटे उद्यमियों के लिए वाकई बाज़ार बड़ा होता जा रहा है। ❑

भारत में विधिक सहायता तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका

मनोज कुमार सिन्हा

कानूनी सहायता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों तथा विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय में कार्य कर रहे हैं। कानूनी सेवा प्राधिकारी अधिनियम, 1987 की धारा 12 में योग्य व्यक्तियों को कानूनी सेवा देने का मानदंड विहित है। कानूनी सेवा प्राधिकारी किसी आवेदक की योग्यता मानदंड की जांच करने तथा प्रथमदृष्ट्या स्थिति उसके पक्ष में होने पर राज्य के खर्च पर उसे वकील प्रदान करते हैं और मामले से जुड़े घटनाक्रमों के लिए समस्त खर्च का वहन करते हैं

न्याय प्राप्त करना आधारभूत मानव अधिकारों में से एक है और बिना इसकी समझ के बहुत सारे मानव अधिकार केवल कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम पत्र की धारा 14(3)(डी) में कहा गया है कि: "किसी व्यक्ति को उसकी उपस्थिति में सुनवाई का अधिकार, और स्वयं को व्यक्तिगत रूप से या अपने पसंद की कानूनी मदद से सुरक्षित करना, यदि उसके पास इस अधिकार के लिए कानूनी सहायता नहीं है, तो उसे सूचित किया जाना और किसी मामले में आवश्यकता पड़ने की दशा में, और किसी ऐसे मामले में जिसमें उसके पास कीमत चुकाने के लिए प्रर्याप्त साधन नहीं हों तो मुफ्त में उसे प्रदान की गई कानूनी सहायता प्राप्त करना आवश्यक है।"

कानूनी सहायता के लिए यह प्रावधान धारा 14(3) में पूर्ण बराबरी में, किसी आपराधिक दोष ठहराने के मामले में प्रत्येक व्यक्ति को दी गई न्यूनतम गारंटियों में शामिल किया गया है। इसलिए मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार समानता के विचार की जड़ों में है, हालांकि यह अधिकार केवल आपराधिक न्याय तंत्र के संदर्भ में ही लागू है।

भारतीय संविधान स्पष्टता से मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकार मौलिक, अधिकार के रूप में नहीं प्रदान करता है लेकिन ''राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों'' के तहत अनुच्छेद 39-ए निर्धन लोगों के लिए सभी मामलों में मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 39-ए कहता है: "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधि तंत्र के संचालन से समान अवसर के आधार पर न्याय व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, और विशेष तौर पर न्याय पाने के अवसर से कोई व्यक्ति आर्थिक अथवा किसी अन्य अयोग्यता[1] के कारण वंचित न रह जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता कोई उपयुक्त कानून बनाकर या योजनाओं या किसी अन्य प्रकार से प्रदान करेगा।"

सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि गरीबों और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता देना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसका उल्लेख संविधान की धारा 21 में किया गया है। *एमएच हॉस्कट बनाम महाराष्ट्र*[2], मामले में सर्वाच्च न्यायालय ने पाया कि एक नागरिक के लिए मुफ्त कानूनी सेवा धारा 21 में अंतर्निहित है और उचित, पक्षपातरहित और न्यायपूर्ण प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। इस मामले में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने पाया कि: "यदि किसी कैदी को जेल की सजा हो जाए तो सामान्य तौर पर वह अपील करने के अपने संवैधानिक और विधिक अधिकार का उपयोग नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में कानूनी सहायता के लिए संविधान की धारा 14, धारा 21 और 39-ए में कैदियों को एक कानूनी सलाहकार प्रदान करने की न्यायालय की शक्ति उल्लिखित है ताकि पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जा सके।[3]

लेखक भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक हैं। वह मानव अधिकार, मानवतावादी और शरणार्थी कानूनों, संवैधानिक कानूनों के क्षेत्र में व्यापक तौर पर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित पत्र-पत्रिकाओं में छप चुके हैं। वह विभिन्न पत्रिकाओं में संपादकीय बोर्ड के सदस्य के तौर पर सेवा दे रहे हैं तथा वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जूडिशियल साइंसेज, कोलकाता में कानून के पूर्णकालिक प्रोफेसर भी हैं। ईमेल: majoj_kumarsinha@yahoo.com

एक अन्य मामले *खत्री बनाम बिहार राज्य*[4], में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति के लिए मुफ्त कानूनी सेवा स्पष्ट रूप से उचित, पक्षपातरहित और न्यायपूर्ण प्रक्रिया का अहम हिस्सा है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। राज्य सरकार वित्तीय या प्रशासनिक अक्षमता दिखाकर गरीब दोषी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी मदद देने की अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। ऐसे किसी दोषी व्यक्ति जो गरीबी के कारण और कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए जो कुछ भी अन्य आवश्यकताएं हों, उसके अभाव में कानूनी सेवाएं लेने में अक्षम है, को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सभी प्रबंध राज्य द्वारा किए जाने का संविधान में उल्लेख किया गया है।

शीला बर्से बनाम भारतीय संघ,[6] में मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानूनी सहायता प्रदान करने की संवैधानिक बाध्यता

गरीब, अशिक्षित और हाशिये पर खड़े लोग तथा ऐसे लोग जो अपराध या गिरफ्तारी या कैद के मामले में फंसने पर उन्हें क्या करना चाहिए या कहां जाना चाहिए या किससे मिलना चाहिए, के बारे में कुछ नहीं जानते, वकीलों को निश्चित रूप से सकारात्मक होकर मानवता के इन वर्गों के पास पहुंचना चाहिए।

अनुच्छेद 14, 21 और 39ए में मिलती है। इस मामले में न्यायालय ने कुछ वकीलों के व्यवहार पर भी दुख जताया था, न्यायमूर्ति भगवती ने स्पष्ट रूप से जोर देकर कहा था कि वकीलों का काम परेशानी में फंसे लोगों की सहायता करना है। उन्होंने कहा: "गरीब, अशिक्षित और हाशिये पर खड़े लोग तथा ऐसे लोग जो अपराध या गिरफ्तारी या कैद के मामले में फंसने पर उन्हें क्या करना चाहिए या कहां जाना चाहिए या किससे मिलना चाहिए, के बारे में कुछ नहीं जानते, वकीलों को निश्चित रूप से सकारात्मक होकर मानवता के इन वर्गों के पास पहुंचना चाहिए। यदि वकील मुसीबत में फंसे लोगों के बचाव के स्थान पर उनका शोषण और उन्हें शिकार बनाने का कार्य करेंगे, तो कानून का पेशा विवादों में आ जाएगा और बड़ी संख्या में देश के लोगों का विश्वास वकीलों पर से उठ जाएगा, जिससे कि लोकतंत्र और कानून के शासन[7] में क्षरण होगा।"

सर्वोच्च न्यायालय ने *सुख दास बनाम अरुणाचल प्रदेश,*[8] के मामले में एक कदम आगे बढ़कर मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य की संवैधानिक बाध्यता की याद दिलाई और इस मामले का उचित हल प्रदान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गरीब आदमी का कानूनी सहायता हासिल करने का अधिकार उसके नहीं मांगने पर भी यथावत रहता है। किसी मामले में अभियुक्त द्वारा नहीं मांगे जाने पर भी अभियुक्त को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में नाकाम रहने पर जांच निरस्त हो जाती है। न्यायालय ने इस विवाद को भी नजरअंदाज कर दिया कानूनी सहायता ऐसे मामलों में जिनमें व्यक्ति आर्थिक अपराधों या देह व्यापार या बाल शोषण के लिए दोषी ठहराया गया हो, को नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने महसूस किया कि जब तक किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता वह अपराधी नहीं है, यदि यह धारणा सभी अभियुक्तों के लिए है, तो एक गरीब आदमी जिस पर दोष लगाए गए हैं, को भी मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।[9] अब यह निष्पक्ष रूप से स्थापित हो चुका है कि कानूनी सहायता और तीव्र जांच का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए मानव अधिकारों की गारंटी का हिस्सा है।[10]

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम

अनुच्छेद 39-ए के तहत कानूनी सेवा प्राधिकारी अधिनियम, 1987 (कानून) लागू किया गया। कानूनी सहायता कार्यक्रम को देश भर में वैधानिक आधार देने के लिए अधिनियम को लागू किया गया। पूर्ण रूप से अधिनियम 9 नवंबर, 1995 से प्रभावी हुआ। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नेशनल लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी– एनएएलएसए) 5 दिसंबर, 1995 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। एनएएलएसए का गठन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु नीतियों एवं सिद्धांतों की रचना करने तथा कानूनी सेवाओं के लिए सर्वाधिक प्रभावी और किफायती योजनाओं को तैयार करने के लिए किया गया था। राष्ट्र, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर अधिनियम कानूनी सेवा प्राधिकारणों की स्थापना करता है। अधिनियम के अनुभाग 3(2) (ए) में उल्लिखित है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश एनएएलएसए के मुख्य संरक्षणकर्ता होंगे और भारत के सर्वाच्च न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश एनएएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष नामित होंगे।[9] प्रत्येक राज्य में एनएएलएसए की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी करने के लिए और आम लोगों को कानूनी सहायता तथा राज्य में लोक अदालत के संचालन के लिए एक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है।[10] राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं जो इसके मुख्य संरक्षणकर्ता भी होते हैं।[11] उच्च न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष नामित होंगे। कानूनी सहायता कार्यक्रमों और योजनाओं को जिला स्तर पर लागू करने के लिए प्रत्येक जिले में

प्रत्येक तालुका या मंडल या तालुका या मंडल समूहों के लिए तालुका की कानूनी सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करने तथा लोक अदालत आयोजित करने के लिए तालुका कानूनी सेवा समितियों का भी गठन किया गया है। प्रत्येक तालुका कानूनी समिति के अध्यक्ष समिति के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश होते हैं, वही इसके पदेन अध्यक्ष भी होते हैं।

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है।[12] जिले के जिला न्यायाधीश इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।[13] प्रत्येक तालुका या मंडल या तालुका या मंडल समूहों के लिए तालुका की कानूनी सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करने तथा लोक अदालत आयोजित करने के लिए तालुका कानूनी सेवा समितियों का भी गठन किया गया है।[14] प्रत्येक तालुका कानूनी समिति के अध्यक्ष समिति के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश होते हैं, वही इसके पदेन अध्यक्ष भी होते हैं।

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त और प्रभावी कानूनी सेवाएं प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक एवं अन्य किसी अयोग्यता के कारण वे इससे वंचित नहीं हैं। ''कानूनी सेवाओं'' की परिभाषा अधिनियम के अनुच्छेद

2(1) (सी) में उल्लिखित है, जिसमें कहा गया है– किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के सामने किसी मामले के संचालन या अन्य वैधानिक कार्यवाही में किसी सेवा की व्याख्या करना और किसी वैधानिक मामले पर सुझाव देना है। एनएएलएसए गरीब और समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त में कानूनी सेवाएं प्रदान के प्रति उत्तरदायी है। कानूनी सहायता कैंप लगाने में भी सहायता करता है तथा लोक अदालत के माध्यम से झगड़ों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक कार्य याचिका के माध्यम से जरूरी कदम उठाने तथा विधायी कौशलों में सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए अधिनियम केंद्रीय प्राधिकारी को एक जिम्मेदारी सौंपता है।

यह नैदानिक विधायी शिक्षा कार्यक्रम और विश्वविद्यालयों, कानून महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करने के लिए भी सहायता प्रदान करता है। कानूनी सहायता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों तथा विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय कर कार्य कर रहे हैं। कानूनी सेवा प्राधिकारी अधिनियम, 1987 की धारा 12 में योग्य व्यक्तियों को कानूनी सेवा देने का मानदंड विहित है। विधिक सेवा प्राधिकरण किसी आवेदक की योग्यता मानदंड की जांच करने तथा प्रथमदृष्ट्या स्थिति उसके पक्ष में होने पर राज्य के खर्च पर उसे वकील प्रदान करता है, मामले के लिए आवश्यक न्यायालय शुल्क जमा करता है और मामले से जुड़े घटनाक्रमों के लिए समस्त खर्च का वहन करता है। एक बार कानूनी सेवा प्राधिकारी के द्वारा सहायता मिल जाने पर उस व्यक्ति को जिसे कानूनी सहायता प्रदान की गई है, याचिका के लिए किसी प्रकार के खर्च के निर्वहन के लिए नहीं कहा जाता है। मुफ्त और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एनएएलएसए ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवा) अधिनियम, 2010 बनाया है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, ऐसे मामले जिनमें व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता संकट में हो, के लिए नियमित शुल्क की अदायगी पर सक्षम वरिष्ठ वकीलों को शामिल करना।

निस्संदेह, कानूनी सेवा प्राधिकारी अधिनियम, 1987 के लागू होने के साथ ही कानूनी सहायता प्रदान करने की अवसंरचना पूर्ण रूप से व्यवस्थित हुई है। इसके आरंभ से एनएएलएसए कानूनी सेवा प्राधिकारी अधिनियम, 1987 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। न्यायालय संबंधी कानूनी सेवाओं के अलावा एनएलएसए वैकल्पिक विवाद समाधान (अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन– एडीआर) के अपने अभियान के हिस्से के रूप में देश भर में लोक अदालत के प्रभावी संचालन पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एनएलएसए ने बड़ी संख्या में राष्ट्रीय क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंसों, कार्यशालाओं और देश भर में जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया था। किस प्रकार से बृहत आबादी तक पहुंचा जाए जिन्हें अशिक्षा के कारण अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है यह एनएलएसए के सामने बड़ी चुनौती है। अत:, यह महत्वपूर्ण है कि एनएलएसए को विशेष सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और इस प्रकार के सभी लोगों को उनके घर तक कानूनी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए और इसे केवल पड़ोसी कानून स्कूलों और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को शामिल कर प्राप्त किया जा सकता है। कानूनी नियमों से संबंधित सूचनाएं कानून से प्रभावित लोगों के पास आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण आवेदक की योग्यता की जांच करने तथा प्रथमदृष्ट्या स्थिति उसके पक्ष में होने पर राज्य के खर्च पर उसे वकील प्रदान करता है, मामले के लिए आवश्यक न्यायालय शुल्क जमा करता है और मामले से जुड़े घटनाक्रमों के लिए समस्त खर्च का वहन करता है। एक बार कानूनी सेवा प्राधिकारी के द्वारा सहायता मिल जाने पर उस व्यक्ति को जिसे कानूनी सहायता प्रदान की गई है, याचिका के लिए किसी प्रकार के खर्च के निर्वहन के लिए नहीं कहा जाता है।

सारांश

अधिनियम में प्राकृतिक न्याय, निष्पक्षता और शुद्ध अंत:करण के सिद्धांतों के अनुरूप पक्षपात रहित न्याय प्रदान करने के लिए बेहतर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालत की अवधारणा को स्थायी और वैधानिक शुचिता प्रदान की गई है। सभी अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानव अधिकार साधन और विभिन्न मानव अधिकार संगठनों द्वारा विकसित न्यायाशास्त्र निश्चित करता है कि गरीबों के लिए न्याय तक की पहुंच और सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित कानूनी सहायता से बचना महत्वपूर्ण मानव अधिकार है। यदि राज्य अधिकार के निर्धारण में उत्पन्न विवादों में गरीब वादी को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने में असफल रहता है तो अधिकार दिखावा है। संरक्षित अधिकारों की गारंटी देने के लिए सरकार को कानूनी सहायता के लिए उचित कोष का निर्धारण करना जरूरी है।

महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने आपराधिक न्याय तंत्र तक में कानूनी सहायता तक पहुंच के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत और दिशानिर्देश अपनाया। सिद्धांत और दिशानिर्देश इस बात की पहचान पर आधारित हैं कि राज्यों को जहां कहीं भी उचित हो ठीक प्रकार से कार्य करने वाली कानूनी सहायता तंत्र को स्थापित करने के लिए कार्यों की श्रृंखला की शुरुआत करे। कानूनी सहायता का अधिकार न्याय तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने का आधार है। अनुच्छेद 21 की पहचान भारतीय संविधान में एक अपरिहार्य मानव अधिकार के रूप में की जा चुकी है। तथ्यात्मक रूप से इसके अंतर्गत सभी पहलू समाहित हैं। भारतीय न्यायपालिका ने गरीबों और शोषितों के हित में कानून लाने का प्रयास किया है।

संदर्भ

1. बयालीसवां संशोधन अधिनियम 1976 में धारा 39ए के तहत राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांतों में से एक के रूप में मुफ्त कानूनी सहायता को शामिल किया गया है।
2. एम. एच. हॉस्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1978 एससी 1548
3. वही, पृ. 1556
4. खत्री बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1981 एससी 928
5. वही, पृ. 928
6. शीला बर्से बनाम भारतीय संघ, एआईआर 1983 एससी 378 (पुलिस हिरासत में महिला कैदियों पर होने वाले हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका आई थी। याचिकाकर्ता महिला ने अपने पत्र में कहा था कि उन्होंने बॉम्बे सेंट्रल जेल में

(शेषांश पृष्ठ 54 पर)

भारतीय विनिर्माण क्षेत्र तथा श्रम कानून: सुधार की आवश्यकता

देवाशीष मित्रा

केंद्रीय सुधारों का लक्ष्य भविष्य निधि की गतिशीलता को बढ़ावा देना भी है ताकि जब कभी कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है, तो उसकी भविष्य निधि को भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, वर्तमान सरकार द्वारा प्रशिक्षुता अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, उससे कौशल गठन को प्रोत्साहन मिलेगा। विभिन्न राज्यों ने केंद्र द्वारा अधिनियमित श्रम कानून में विभिन्न तरीके से संशोधन किए हैं। इसके अलावा, उन्हें लागू करने के मानक भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं

श्रम-प्रचूरता वाले देश भारत में श्रम प्रधान विनिर्माण मुख्य रूप से लघु, 'असंगठित' या "अपंजीकृत" विनिर्माण कंपनियों में ही केंद्रित है, जो मुश्किल से तकनीकी सीमा में सीमित हैं, जबकि "औपचारिक" विनिर्माण क्षेत्र के भीतर उत्पादन गतिविधियों की अधिकांश फर्म पूंजी प्रधान हैं (पनगढ़िया, 2008 एवं कोचर, 2006)। इस प्रकार, अपनी श्रम प्रचुरता, अपनी विशाल जनसंख्या तथा अपनी बड़ी अर्थव्यवस्था के बावजूद भारत के हिस्से में दुनिया के श्रम प्रधान उत्पादों के बाज़ार का एक छोटा-सा ही हिस्सा है। कुछ टिप्पणीकारों ने इस खराब प्रदर्शन के लिए अपने प्रतिबंधात्मक श्रम नियमों से उत्पन्न भारत के कठोर श्रम बाज़ार पर दोष मढ़ दिया है, जबकि दूसरों का मानना है कि भारतीय कारोबार ने इन्हीं कानूनों के इर्द-गिर्द अपने रास्ते बनाए हैं। इस आलेख में, यदि इनमें से कोई भी कारण है, तो मैं भारत के विनिर्माण क्षेत्र में बाधा बनते श्रम नियमों की इस भूमिका तथा कुछ नीतिगत अनुसंशाओं के साथ-साथ श्रम सुधार के लिए संभावित जरूरतों को परखूंगा।

भारत में श्रम कानून

भारतीय श्रम बाज़ार की कठोरता मुख्य रूप से पुराने श्रम नियमों का परिणाम है। ये पुराने श्रम नियम अत्यधिक प्रतिबंधात्मक हैं, जिसमें वे मांग और प्रौद्योगिकी के जबरदस्त के जवाब में कंपनियों द्वारा श्रम समायोजन करते हैं। 52 केंद्रीय अधिनियमों सहित लगभग 200 श्रम कानूनों के अलावा, सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक, हालांकि एकमात्र प्रतिबंधात्मक नहीं, श्रम कानून औद्योगिक विवाद अधिनियम (आईडीए) (भगवती और पनगढ़िया, 2013) है। यह कानून 100 से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए यह आवश्यक बनाता है कि वो श्रमिकों की छंटनी या निकालने से संबंधित किसी भी निर्णय की अनुमति अपने संबद्ध राज्य की सरकारों से लें। हालांकि यह अनुमति शायद ही कभी दी जाती है। इसके अलावा, औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम कंपनी (कुछ राज्यों में 100 से अधिक श्रमिकों और अन्य राज्यों में 50 से अधिक श्रमिकों वाली कंपनियां) के भीतर नौकरी के विवरण संशोधनों और अंतर-संयंत्र स्थानांतरण को मुश्किल ही नहीं बल्कि वस्तुत: असंभव बनाते हैं। ट्रेड यूनियन अधिनियम यूनियन बनाने के लिए किसी कंपनी के भीतर किसी भी सात श्रमिकों को अनुमति देते हुए कई यूनियनों के गठन का रास्ता साफ करता है। कल्पना की जा सकती है कि नियोक्ता के लिए यूनियन की बहुलता प्रबंधित करने के खयाल से एक संभावित मुश्किल स्थिति पैदा होती है। ट्रेड यूनियन अधिनियम, यूनियनों को नियोक्ताओं के साथ कानूनी विवाद में श्रमिक हड़ताल करने और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व

देवाशीष मित्रा अमरीका, न्यूयार्क स्थित सिरैक्यूज विश्वविद्यालय के नागरिक तथा सार्वजनिक मामलों के मैक्सवेल विद्यापीठ में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं तथा वैश्विक मामलों के क्रेमर प्रोफेसर हैं। वह सीईएसीफो नेटवर्क तथा आईजेडए के मानद सदस्य हैं एवं म्यूनिख स्थित ईफो संस्थान में रिसर्च प्रोफेसर भी हैं। वह *इकॉनोमिक्स एंड पोलिटिक्स* के सहसंपादक हैं एवं *यूरोपियन इकॉनोमिक रिव्यू, जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकॉनोमिक्स, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल इकॉनोमिक्स, इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ इकॉनोमिक्स एंड फायनांस एंड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड इकॉनोमिक्स* के एसोसिएट संपादक हैं। उनके शोध क्षेत्र हैं– अंतरराष्ट्रीय व्यापार, राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा विकास अर्थशास्त्र और उनकी वर्तमान शोध रुचियां व्यापार एवं श्रम के इंटरफेस में हैं। द *अमेरिकन इकॉनोमिक रिव्यू, रिव्यू ऑफ इकॉनोमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इकॉनोमिक जर्नल, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल इकॉनोमिक्स, जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकॉनोमिक्स* आदि जैसी जानी मानी पत्रिकाओं में उनके शोध आलेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएच.डी. की है। ईमेल: dmitra@maxwell.syr.edu

करने का अधिकार भी प्रदान करता है क्योंकि इस कानून के मुताबिक यूनियन बनाने के लिए न्यूनतम सात श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह अधिनियम उन कंपनियों के साथ लागू नहीं होता है, जहां सात से कम श्रमिक हैं। इस तरह, यह अधिनियम, खासकर श्रमिक प्रधान उद्योगों में, श्रम कंपनियों को अपना आकार बेहद छोटा रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कारखाना अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य उपबंध अधिनियम, न्यूनतम वेतन, मातृत्व लाभ अधिनियम आदि जैसे कई अन्य श्रम अधिनियम हैं, जो रोजगार स्तर की विभिन्न सीमा रेखाओं के लिए उपयुक्त हैं तथा प्रतिष्ठानों के लिए व्यापक रूप से लागू होते हैं (भगवती एवं पनगढ़िया, 2013)।

साथ ही, संविदा श्रम अधिनियम भी है, जो ठेके पर रखे गए कर्मचारियों के मौजूद इस्तेमाल को अधिनियमित तथा प्रतिबंधित करता है, जिसके द्वारा ठेके पर रखे गए

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कारखाना अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य उपबंध अधिनियम, न्यूनतम वेतन, मातृत्व लाभ अधिनियम आदि जैसे कई अन्य श्रम अधिनियम हैं, जो रोजगार स्तर की विभिन्न सीमा रेखाओं के लिए उपयुक्त हैं

कर्मचारियों तथा स्थाई कर्मचारियों के बीच की निरंतरता को सीमित करता है, कम-से-कम कागज पर ही सही, यह एक महत्वपूर्ण जरिया है, जिसके द्वारा कंपनियां लागत घटाती हैं।

चूंकि औद्योगिक संबंधों वाला क्षेत्र भारतीय संविधान की समवर्ती सूची से जुड़ा हुआ विषय है, लिहाजा राज्य सरकारें, औद्योगिक विवाद अधिनियमों में अपने तरीके से संशोधन करने में सक्षम रही हैं, भले ही वह केंद्रीय (संघीय) कानून ही क्यों न हो। इसके अलावा, श्रम कानूनों का क्रियान्वयन राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर आता है। इस तरह, राज्यों के श्रम बाज़ार में काफी भिन्नता है।

श्रम सुधार की नवीन पहल

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के ज्यादातर वर्षों में राज्यों के भीतर श्रम कानूनों में संशोधन होते रहे हैं और ये संशोधन केंद्रीय नियमों के संदर्भ में या तो कर्मचारियों के हितों या नियोक्ताओं के हितों में होते रहे हैं तथा संशोधन इस बात पर निर्भर रहा है कि संबद्ध राज्य सरकारों की विचारधारा किस तरह की है। पहले की उलट, श्रम नियमों में जो बदलाव हो रहे हैं, वह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को आकर्षित किए जाने के संदर्भ में हैं और जिसका मकसद बुनियादी ढांचे में सुधार और अधिक उदार व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देना है।

हाल में राजस्थान सरकार ने जो संशोधन किया है, उसके मुताबिक आईडीए के अंतर्गत 100 से 300 श्रमिकों की छंटनी या उन्हें निकाले जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इससे कारखाना अधिनियम के तहत एक फर्म के पंजीकरण के लिए रोजगार की संभावना बढ़ जाती है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि कारखाना अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है, जो काम के घंटे, कार्य दिवस, न्यूनतम आयु की आवश्यकता आदि शर्तों पर जोर देता है। इसके अलावा, राजस्थान एक यूनियन के प्रतिनिधि के पंजीकरण के लिए 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की न्यूनतम सदस्यता का सवाल उठा रहा है। इस तरह का परिवर्तन उत्पादक प्रबंधकीय तथा आम सहमति निर्माण को समय रहते कम कर सकता है तथा कई यूनियनों के बीच के संघर्ष को भी हल कर सकता है। यह इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के प्रशिक्षु अधिनियम में संशोधन, कौशल विकास को प्रोत्साहित करता है, जिसे अर्थशास्त्री "मानव पूंजी निर्माण" कहते हैं।

केंद्र में, श्रम सुधारों की दिशा में बहुत ही कम काम किया गया है, इस तरह के सुधारों का बोझ राज्यों के कंधों पर डाला जाता रहा है। इस संदर्भ में केंद्र द्वारा जो थोड़ा बहुत जो कुछ किया गया है, वह है, एक एकीकृत वेब पोर्टल की हाल ही में स्थापना, जहां फर्म खुद 16 केंद्रीय श्रम अधिनियमों से संबंधित अपनी अनुपालन रिपोर्ट फाइल कर सकती हैं। इस तरह के एक वेब पोर्टल में निर्मित एक हल प्रणाली को हासिल करने की संभावना है, जो प्रणाली कंपनियों के निरीक्षकों के दौरे का निर्धारण करेगी। इसलिए यह इंस्पेक्टर राज से इतर एक आंदोलन है, क्योंकि इस संबंध में निरीक्षकों के विवेकाधिकार को कम कर दिया गया है तथा इससे उत्पीड़न एवं लगान की मांग में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसके अलावा, हाल फिलहाल में किए गए केंद्रीय सुधारों का लक्ष्य भविष्य निधि की गतिशीलता को बढ़ावा देना भी है ताकि जब कभी कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है, तो उसकी भविष्य निधि को भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, वर्तमान सरकार द्वारा प्रशिक्षुता अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, उससे कौशल गठन को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है कि अब एक नया मंत्रालय, 'कौशल विकास मंत्रालय' है, जो जल्द ही कौशल प्राप्ति के कई महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा करेगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि श्रमिकों को बाहर निकालने पर लगे प्रतिबंध भी वस्तुतः निकास बाधाओं का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, कानूनों के दिवालिएपन को हटाने की कमी के कारण भारत में कंपनियों ने हमेशा गंभीर प्रत्यक्ष निष्कासन बाधाओं का सामना किया है। ये निकास बाधाएं, बदले में, नई विदेशी तथा घरेलू कंपनियां बनाती हैं, जो भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने के लिहाज से अनिच्छुक रहती

राजस्थान सरकार ने जो संशोधन किया है, उसके मुताबिक आईडीए के अंतर्गत 100 से 300 श्रमिकों की छंटनी या उन्हें निकाले जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इससे कारखाना अधिनियम के तहत एक फर्म के पंजीकरण के लिए रोजगार की संभावना बढ़ जाती है।

हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक आधुनिक दिवालियापन नियमावली के डिजाइन के माध्यम से "दिवालियापन कानून सुधार" द्वारा इस समस्या को कम से कम किया जा सके। वित्त मंत्री के बजट भाषण के मुताबिक, "दिवालियापन कानून सुधार" से "कानूनी निश्चितता और गति" आएगी और आगामी वित्त वर्ष के लिए यह उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी।

आर्थिक प्रदर्शन पर श्रम नियमों का प्रभाव

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभिन्न राज्यों ने केंद्र द्वारा अधिनियमित श्रम कानून में विभिन्न तरीके से संशोधन किए हैं। इसके अलावा, उन्हें लागू करने के मानक भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। इससे राज्यों की श्रम बाज़ार कठोरता में भी भिन्नता आती है, जिसका उपयोग शोधार्थी अपने अध्ययन में यह पता लगाने के लिए करते हैं

श्रम प्रधान उद्योगों की कंपनियों में कुल कारक उत्पादकता के साथ-साथ उद्योगों में अत्यधिक अस्थिर मांग का सामना करना पड़ रहा था तथा यह मांग दूसरों की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक श्रम कानूनों वाले राज्यों में औसत रूप से 11-14 प्रतिशत ज्यादा हैं।

कि विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन किस तरह कंपनी/प्लांट स्तर या उद्योग या फिर यहां तक कि समग्र स्तर पर राज्यों में अलग-अलग है, जो राज्यों के अपने श्रम बाज़ारों के लचीलनेपन में भी भिन्नता लाता है। इस तरह का पहला अध्ययन बेसले एवं बर्गीज का अध्ययन (2004) था। कुल पंजीकृत विनिर्माण उत्पादन, निवेश, रोजगार और उत्पादकता पर राज्य स्तरीय आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पाया कि कर्मचारी समर्थक (प्रतिबंधात्मक या कठोर) श्रम विनियमन के साथ इन सभी चार घटकों में कमी आती है। अनौपचारिक (अपंजीकृत) विनिर्माण के लिए संबद्ध समुच्चय ने इस तरह के श्रम विनियमन के साथ ठीक विपरीत संबंध यह दिखाते हुए दर्शाया कि अनौपचारिक क्षेत्र विकास को ऊपर उठाता है, जो औपचारिक क्षेत्र में श्रम बाज़ार की कठोरता द्वारा दबा दिया जाता है। बाद के अध्ययन इस कार्य को ज्यादा से ज्यादा अलग-अलग आंकड़ों का उपयोग करते हुए विस्तार देते हैं।

हसन, गुप्ता एवं कुमार (2009) का अध्ययन राज्य द्वारा उद्योग के स्तर पर किया गया एक अध्ययन है। वो पाते हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत प्रतिबंधात्मक श्रम नियमों ने श्रम प्रधान उद्योगों की धीमी वृद्धि और उनके समग्र रोजगार का अनुभव किया है। यहां तक कि ज्यादा अलग-अलग अध्ययन हसन और जन्डॉक (2013) का है, जहां वो औपचारिक तथा अनौपचारिक विनिर्माण कंपनियों पर आंकड़े इक्ट्ठा करते हैं। वो वस्तुत: प्रतिबंधात्मक श्रम राज्यों तथा अन्य राज्यों के बीच फर्म नियोजन वितरण को लेकर कोई अंतर नहीं पाते हैं। हालांकि, सिर्फ जब श्रम प्रधान क्षेत्रों पर सख्त ध्यान केंद्रित करते हैं, तो पाते हैं कि 0-9 कर्मचारियों वाली फर्म की नियोजन हिस्सेदारी अन्य (कर्मचारी समर्थक) राज्यों (लगभग 60 बनाम 40 प्रतिशत) की तुलना में प्रतिबंधात्मक श्रम विनियमन (श्रम प्रधान) वाले राज्यों में कहीं उच्चतर है। यह श्रेणी उन राज्यों के लिए आरक्षित है, जिनके पास 200 से ज्यादा कर्मचारी (मोटे तौर पर 10 बनाम 25 प्रतिशत) आते हैं। वो तब उतना प्रभावशाली नहीं पाते हैं, जब उच्च और निम्न बुनियादी सुविधाओं वाले राज्यों के बीच एक समान तुलना करते हैं। उनके अध्ययन का एक दिलचस्प निष्कर्ष है कि भारतीय परिधान उद्योग में रोजगार (कम से कम नौ श्रमिकों में से प्रत्येक को रोजगार देने वाली कंपनी) छोटी कंपनियों में केंद्रित है, जबकि चीनी परिधान उद्योग में यह बहुत बड़ी कंपनियों में केंद्रित है (प्रत्येक 2000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली कंपनी)।

डॉर्टी, फ्रीसैंको रोबल्स तथा कृष्णा द्वारा हाल ही में एक पत्र तैयार किया गया है। इसमें वो ओईसीडी नियोजन सुरक्षा उपायों (औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों को शामिल करने के साथ सबसे व्यापक होना और विभिन्न कार्यों के लिए सम्मान और उनके कार्यान्वयन और निगरानी पर उन्होंने विचार किया जाता है) के साथ प्लांट-स्तरीय आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए दिखाते हैं कि श्रम प्रधान उद्योगों की कंपनियों में कुल कारक उत्पादकता के साथ-साथ उद्योगों में अत्यधिक अस्थिर मांग का सामना करना पड़ रहा था तथा यह मांग दूसरों की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक श्रम कानूनों वाले राज्यों में औसत रूप से 11-14 प्रतिशत ज्यादा हैं।

श्रम नियमों और वैश्वीकरण के बीच संबंध सिद्धांत और साक्ष्य

प्रतिबंधात्मक श्रम नियमों के नकारात्मक प्रभावों पर उपर्युक्त साक्ष्य को देखते हुए यह अचरज वाली बात नहीं है कि भारत के प्रमुख व्यापार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्थाओं में सुधार, श्रम प्रधान उद्योगों में छोटे पैमाने के उद्योंगों के संरक्षण, लाइसेंस समाप्ति और मल्टी फाइबर व्यवस्था के बावजूद भारत में श्रम प्रधान उद्यम में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है (देखें भगवती और पनगढ़िया, 2013)। इसके अलावा, खाद्य और पेय पदार्थ, परिधान, कपड़ा, फर्नीचर आदि जैसे अकुशल श्रम प्रधान क्षेत्रों ने पिछले दो दशकों में सकल घरेलू उत्पाद को एक स्थिर या थोड़ी गिरावट के साथ साझीदारी की है, जबकि ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इंजीनियरिंग पदार्थ, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, वित्त, सॉफ्टवेयर जैसे कौशल प्रधान और पूंजी प्रधान उद्योग आदि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और 1990-91 में 41 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2007-08 में 65 प्रतिशत तक भारत के निर्यात में वृद्धि हुई है। इसके ठीक विपरीत, भारत में श्रम प्रचुरता को देखते हुए व्यापार उदारीकरण (जो सामान्य तौर पर उत्पादन के कारकों या पर्याप्त आदानों के उपयोग में गहन क्रियाओं की विशेषज्ञता को लाता है) को बाकी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में श्रम प्रधान विनिर्माण का विस्तार करना चाहिए था। सचाई यह है कि परिधान के विश्व बाज़ार की हिस्सेदारी में भारत बांग्लादेश के मुकाबले धीरे-धीरे पिछड़ रहा है, जबकि चीन के मुकाबले बड़ी तेजी से पिछड़ रहा है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारतीय परिधान उद्योग में रोजगार (कम से कम नौ श्रमिकों में से प्रत्येक को रोजगार देने वाली कंपनी) छोटी कंपनियों में केंद्रित है, जबकि चीनी परिधान उद्योग में यह बहुत बड़ी कंपनियों में केंद्रित है (प्रत्येक 2000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली कंपनी), इससे बड़े पैमाने की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का बलिदान कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि परिधान क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन उच्च गरीबी दर, खराब बुनियादी सुविधाएं तथा उच्च भ्रष्टाचार स्तर वाले बहुत गरीब मुल्क देश बांग्लादेश के मुकाबले बेहद खराब है। यह तुलना भारत के सख्त श्रम विनियमों द्वारा निभाई गई नकारात्मक भूमिका का एक बड़ा इशारा है।

भारत का सख्त श्रम विनियमन किस तरह से विश्व के अन्य हिस्सों के मुकाबले भारत में श्रम प्रधान कंपनियों के तुलनात्मक लाभ तथा उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है? जैसा कि ऊपर इसकी व्याख्या की गई है कि प्रत्यक्ष रूप से बढ़ती हुई श्रम लागत के अलावा, सख्त श्रम विनियम कंपनियों के आकार को छोटा कर रहे हैं (देखें, पनगढ़िया, 2001)। श्रम प्रधान फर्मों के छोटे आकार, श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्र में इस प्रकार भारत के तुलनात्मक लाभ को कम करते हैं और

प्रत्यक्ष रूप से बढ़ती हुई श्रम लागत के अलावा, सख्त श्रम विनियम कंपनियों के आकार को छोटा कर रहे हैं (देखें, पनगढ़िया, 2001)। श्रम प्रधान फर्मों के छोटे आकार, श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्र में इस प्रकार भारत के तुलनात्मक लाभ को कम करते हैं और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था में कमी लाते हैं।

बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था में कमी लाते हैं।

हाल ही में कुछ टिप्पणीकारों द्वारा किए गए अनुमान के विपरीत, इन कानूनों के साथ जुड़े रोजगार की संभावनाओं पर फर्मों के बड़े पैमाने की गैरमौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि इन नियमों द्वारा थोपे गए अवरोध बाध्यकारी नहीं हैं। इस तरह के विनियमन द्वारा श्रम प्रधान कंपनियों में प्रौद्योगिकी या उत्पाद किस्म का बड़े पैमाने पर उत्पादनों को हतोत्साहन मिलता है। छोटे पैमाने पर उत्पादन तकनीक या उत्पाद किस्में, जिसे कंपनियां इन्हें इन नियमों के तहत चुनने के लिए बाध्य हैं, वहां एक वैकल्पिक नियोजन आकार हो सकता था, जबकि वहां अपेक्षा से कहीं कम रोजगार है, उदाहरण के रूप में आईडीए को पेश किया जा सकता है। इसके अलावा, इन नियमों को जैसे-तैसे लागू किया जाता है। इसका मतलब है कि कानूनी सीमा रेखा का छोटा-सा अतिक्रमण पर या तो ध्यान ही नहीं दिया जाता है या फिर निरीक्षकों द्वारा उसकी अवहेलना की जाती है।

प्रतिबंधात्मक श्रम विनियम, कंपनियों की मांग और उसकी प्रौद्योगिकी के झटके के जवाब में अपने आदानों के आवश्यक समायोजन बनाने से रोकते हैं। व्यापार की मौजूदगी में, देश की उन कंपनियों में, जहां श्रम बाज़ार की सख्ती कोई समस्या नहीं है, उनके मुकाबले यह घरेलू कंपनियों को लाचार कर सकता है। व्यापार के लाभदायक प्रभाव की समझ को उद्योगों में श्रम के पुनर्आवंटन की अच्छी खासी मात्रा के साथ-साथ उद्योगों के भीतर सारी कंपनियों की आवश्यकता है। दोनों तरह के पुनर्आवंटन, चाहे वह उद्योग समूह के भीतर हों या फिर एक उद्योग विशेष के भीतर का हो, दोनों तरह के उद्योगों में प्रतिबंधात्मक श्रम विनियम द्वारा बाधित होते हैं। ये कानून कंनपियों को बड़े पैमाने पर स्थाई कर्मचारियों को रखने को लेकर भी हतोत्साहित करते हैं और उन्हें उन रास्तों पर आने के लिए बाध्य करते हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा आकस्मिक या ठेके पर रखे गए श्रमिक हों और उन श्रमिकों के पास नौकरी करते हुए अपनी कुशलता या कंपनी आधारित विशेषज्ञता बढ़ाने का विकल्प बेहद सीमित होता है। इसके अलावा, ये विनियम कंपनियों को श्रम के बदले प्रतिस्थापित पूंजी के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करेंगे यानी, वो उत्पादन की ज्यादा पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए खत्म हो जाएंगे और प्रत्येक उद्योग के भीतर उत्पादों की अपेक्षाकृति ज्यादा पूंजी प्रधान विविधता वाले उत्पादों का उत्पादन करेंगे। इस प्रकार, ये श्रम कानून भारत के बहुतायत कारक आधारित तुलनात्मक लाभ के खिलाफ काम करते रहेंगे, जो श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्र में हैं और जो व्यापार से अपना लाभ हासिल करने के लिए विवश होंगे।

हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार और श्रम कानूनों के बीच अंत:क्रिया के संदर्भ में अनुभवजन्य साक्ष्य तथा फर्मों के प्रदर्शन के निर्धारण में इस अंत:क्रिया के प्रभाव को लेकर आगे बढ़ते हैं। मित्रा एवं उराल (2008) 1988-2000 की अवधि के लिए 15 सबसे बड़े राज्यों में बड़ी संख्या में विभिन्न उद्योगों के व्यापार सुधारों की एक उत्पादकता के बढ़ते प्रभाव को महसूस करते हैं, इस प्रभाव के साथ, बाकियों की तुलना में, अपेक्षाकृत लचीला श्रम बाज़ार वाले राज्यों में 33 प्रतिशत अधिक उत्पादकता है। मात्रात्मक रूप से, इसी तरह के प्रभाव रोजगार, उत्पादन, मूल्य वर्धित, शेयर पूंजी और निवेश के मामले में भी पाए जाते हैं। इसलिए यह हैरानी की बात नहीं कि सुंदरम, एहसान तथा मित्रा (2013) पाते हैं कि व्यापार उदारीकरण रोजगार को बढ़ा देता है, पांच कर्मचारियों से ज्यादा के साथ अनौपचारिक उद्यमों के लिए सख्त श्रम बाज़ार राज्यों (लचीला श्रम बाज़ार राज्यों की तुलना में) में उत्पादन और मूल्यवर्धन को भी बढ़ावा मिलता है। यह इस बात का संकेत है कि प्रतिबंधात्मक श्रम बाज़ार विनियमों द्वारा बाधित औपचारिक निर्माण के व्यापार प्रेरित विकास को कुछ हद तक अनौपचारिक विनिर्माण क्षेत्र द्वारा अपनाया जाता है।

व्यापार उदारीकरण रोजगार को बढ़ा देता है, पांच कर्मचारियों से ज्यादा के साथ अनौपचारिक उद्यमों के लिए सख्त श्रम बाज़ार राज्यों (लचीला श्रम बाज़ार राज्यों की तुलना में) में उत्पादन और मूल्यवर्धन को भी बढ़ावा मिलता है। यह इस बात का संकेत है कि प्रतिबंधात्मक श्रम बाज़ार विनियमों द्वारा बाधित औपचारिक निर्माण के व्यापार प्रेरित विकास को कुछ हद तक अनौपचारिक विनिर्माण क्षेत्र द्वारा अपनाया जाता है।

जैसा कि ऊपर व्याख्या की गई है कि व्यापार और श्रम विनियमन के बीच के रिश्ते को घटक तीव्रताओं पर श्रम विनियमों के प्रभाव को देखते हुए समझा जा सकता है, चूंकि बहुतायत वाले कारक के साथ संयोजन में तीव्रता वाला कारक है, जो तुलनात्मक लाभ तथा व्यापार तथा बदले में व्यापार से लाभ के अंतर्गत विशेषज्ञता को सुनिश्चित करता है। लंबे समय से कई देशों और उद्योगों पर ध्यान रखते हुए, हसन, मित्रा तथा सुंदरम (2013) पाते हैं कि प्रतिबंधात्मक श्रम विनियम और खासकर काम पर रखने और बाहर निकालने वाले विनियम से श्रम बाज़ार की बढ़ती खामियां, न्यूनतम मजदूरी विनियमन और बेरोजगारी लाभ सही मायने में विनिर्माण क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में पूंजी तीव्रता में बढ़ोतरी के साथ जुड़े हुए हैं, विशेषकर अकुशल श्रम तीव्रता उद्योगों तथा उन उद्योगों में, जहां श्रम समायोजन की लगातार होती मांग से मांग और प्रौद्योगिकी परिवर्तनशील हैं। इसलिए, अचरज नहीं कि हसन, मित्रा एवं सुंदरम (2013बी) पाते हैं कि भारत अपने विकास स्तर के अनुमानित उत्पादन से ज्यादा उत्पादन की पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है तथा कागज और छपाई, चमड़े, रबर और प्लास्टिक, रसायन, अधातु खनिज, मूल धातुओं, धातु उत्पादों, बिजली के उपकरण और यंत्र, पेट्रोलियम आदि जैसे बहुत सारे उद्योगों में चीन द्वारा उपयोग किए जा रहे प्रौद्योगिकी से भी ज्यादा इस्तेमाल करता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण श्रम बाज़ार चर, जिसे हम व्यापार तथा श्रम बाज़ार कठोरता से प्रभावित पाते हैं, वह बेरोजगारी दर है। हसन, मित्रा, रंजन एवं अहसान (2012) लचीले श्रम बाज़ार के साथ राज्यों में व्यापार उदारीकरण के बेरोजगारी घटाने वाले प्रभाव के साक्ष्य पाते हैं और वर्तमान बेरोजगारी गिरावट के साथ मोटे तौर पर 37 प्रतिशत गिरावट संभवत: व्यापार उदारीकरण के कारण संभव हो पाया है, ऐसा वो पाते हैं। बेरोजगारी पर पड़ने वाले ये परिणाम स्थाई हैं, 1988-97 की अवधि के लिए राज्यों द्वारा उपलब्ध दो अंकों वाले उद्योग स्तर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए हसन, मित्रा तथा रामास्वामी (2007) के अध्ययन के परिणामों के साथ हम पाते हैं कि व्यापार सुधार से लचीले श्रम बाज़ार के साथ राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक से अधिक इस जवाबदेही के साथ वेतन वृद्धि में कटौती के लिए रोजगार की जवाबदेही में एक सांख्यिकीय महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई और (व्यापार उदारीकरण के कारण) उसमें वृद्धि (कम प्रतिबंधात्मक श्रम कानूनों के साथ) हुई। जैसा

कि रॉड्रिक (1997) ने तर्क दिया है कि यह जवाबदेही विपरीत ढंग से श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को दर्शाती है, जो व्यापार उदारीकरण के कारण कम होती है। एक तरीका काफी सीधा है और ज्यादा सस्ता होने के कारण और आदानों की एक व्यापक विविधता के कारण व्यापार उदारीकरण के बाद घरेलू श्रम की सेवा के साथ आगे बढ़ सकता है। दूसरा तरीका बेहद सूक्ष्म है तथा इस सच्चाई से उत्पन्न होता है कि घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु व्यापार उदारीकरण के बाद विदेशों में उत्पादित वस्तु की तुलना में ज्यादा चुनौती का सामना करती है। इसका मतलब है कि वेतन में किसी भी तरह की बढ़ोतरी, जो लागत को बढ़ाती है तथा बदले में आखिरकार मूल्य बढ़ोतरी के रूप में सामने आती है, अब इससे आदानों की मांग की मात्रा में बड़ी कटौती होती है, लिहाजा रोजगार में भी कटौती होती है। इससे सौदेबाजी से मंजूर मजदूरी में कमी आ सकती है, जिससे भी बेरोजगारी में कमी हो सकती है। उम्मीद की जाती है कि यह तरीका अपेक्षाकृत एक लचीले श्रम बाज़ार की उपस्थिति में अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा।

नीति अनुसंशा और निहितार्थ

इस दृष्टिकोण के समर्थन के लिए स्पष्टत: पर्याप्त सुबूत हैं कि भारत के घिसे पिटे तथा प्रतिबंधात्मक श्रम कानून देश के विनिर्माण क्षेत्र के विकास में बड़ी बाधा हैं, खासकर अपेक्षाकृत उस क्षेत्र के भीतर श्रम प्रधान उद्योगों की राह में यह बड़ी रुकावट हैं। ये नियम कंपनियों को विनिर्माण क्षेत्र में अपने आकार को छोटा करने के लिए तथा बड़े पैमाने वाली महत्वपूर्ण संभावित अर्थव्यवस्थाओं से उन्हें वंचित रखने के लिए विवश करते हैं। ये उन्हें उत्पादन की अपेक्षाकृत पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तथा प्रत्येक उद्योग के भीतर उत्पादों की पूंजी प्रधान विविधता के उत्पादन को चुनने के लिए भी मजबूर करते हैं, जिससे उन्हें भारत के बहुतायत कारक आधारित तुलनात्मक लाभ के लिए प्रत्युत्तर के लिए तैयार किया जा सके। इसके साथ-साथ, ये कानून अस्थाई श्रमिकों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिन श्रमिकों के पास काम पर रहते हुए बहुत कुछ सीखने की गुंजाईश नहीं है तथा जिनमें कंपनी किसी भी तरह से निवेश करने के लिए अपनी रुचि नहीं दिखाती है। इस प्रकार, भारतीय विनिर्माण कंपनियां, खासकर कपड़ा तथा वस्त्र जैसे श्रम प्रधान उद्योगों में चीन, बांग्लादेश, वियतनाम आदि के मुकाबले अलाभकर स्थिति में हैं, जहां श्रम बाज़ार बेहद लचीले हैं।

स्पष्टत: भारत की विशाल कार्यशील जनसंख्या को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने का एकमात्र तरीका श्रम प्रधान विनिर्माण का विस्तार है। हाल फिलहाल में, भारत के सेवा क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन इस बिंदु के आगे यह विकास का मुख्य इंजिन नहीं हो सकता है, क्योंकि यह शिक्षित श्रमिकों की सीमित उपलब्धता द्वारा थोपी गई सीमा रेखाओं में ही चलेंगे। निरंतर सेवा वाले विकास के लिए कार्य बल का रूपांतरण आवश्यक है और ऐसा होने के लिए अभी दशकों लगेंगे। इस प्रकार, श्रम कानून में सुधार लाए जाने की आवश्यकता है।

भारत अपने विकास स्तर के अनुमानित उत्पादन से ज्यादा उत्पादन की पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है तथा कागज और छपाई, चमड़े, रबर और प्लास्टिक, रसायन, अधातु खनिज, मूल धातुओं, धातु उत्पादों, बिजली के उपकरण और यंत्र, पेट्रोलियम आदि जैसे बहुत सारे उद्योगों में चीन द्वारा उपयोग किए जा रहे प्रौद्योगिकी से भी ज्यादा इस्तेमाल करता है।

आखिरकार किसी तरह के श्रम सुधारों की जरूरत है? आईडीए नियोजन को राजस्थान में 100 से 300 कर दिया गया है, यह उपयोगी हो सकता है और इसे कदम-दर-कदम उच्च स्तर तक ले जाया जाना चाहिए तथा आखिर में इस सीमा को पूरी तरह खत्म कर दिया जाना चाहिए। और सुधारों को आईडीए के अध्याय वीबी से परे जाने की जरूरत है, जिस पर ज्यादातर टिप्पणीकारों की नजर है। आईडीए के ही अध्याय वीबी के संशोधन के संबंध में, भगवती एवं पनगढ़िया (2013) छंटनी की परिभाषा से, एक सिकुड़ती मांग या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक परिवर्तन के जवाब में रोजगार के घटते आकार तथा परिवीक्षा पर एक कर्मचारी की गैर पुष्टि को छोड़ते हुए सुझाव देते हैं। इसके साथ ही, वो तर्क देते हैं कि औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम को बदला जाना चाहिए तथा इस बात की गुंजाईश बननी चाहिए कि एक कर्मचारी को अपने काम के संबंध में उसे जहां तहां आने-जाने का लचीलापन हासिल होना चाहिए, जिसके लिए वह शिक्षित है।

मैं अनुसंशा करूंगा कि किसी कंपनी के भीतर कई यूनियनों को अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे दूषित माहौल बन सकता है तथा इससे उत्पादकता के लिहाज से व्यापक नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि वेब पोर्टल पर नियमों के अनुपालन की नई शुरू की गई खुद की रिपोर्टिंग से इंस्पेक्टर राज का समापन होगा। इस योजना के तहत आने वाले नियमों की संख्या के विस्तार की जरूरत है।

भारत के प्रतिबंधात्मक श्रम नियमों की आर्थिक लागत व्यापक रूप से स्वीकृत है, लेकिन उनके सुधारों को राजनीतिक रूप से व्यवहारिक रूप से नहीं देखा जाता है। श्रमिक संघों को राजनीतिक रूप से बहुत संगठित रूप में देखा जाता है तथा राजनीतिक प्रक्रिया में इसे एक केंद्रीय बिंदु के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि, हाल के अनुभवजन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि इस राजनीतिक बाधा को प्रदत्त रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, इस बात का सुबूत है कि अधिक से अधिक व्यापार खुलापन भारत में औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति में गिरावट लाता है और साथ ही साथ यूनियन की उपस्थिति तथा यूनियन की सदस्यता की घोषणा के रूप में उन्हें असंगठित करता है (देखें, अहसान एवं मित्रा, 2014 तथा अहसान, घोष एवं मित्रा, 2015)। इस प्रकार, श्रम नियमों का क्रमिक सुधारों के साथ, न सिर्फ राजनीतिक रूप से इन सुधार कानूनों के विरोध में रहे लोग इसका समर्थन करेंगे, बल्कि श्रमिकों में इन सुधारों को लेकर यह अहसास भी बढ़ता जाएगा कि इस तरह के सुधारों के सबसे बड़े लाभार्थी वही हैं। ❑

संदर्भ

अहसान, रशद एन तथा देवाशीष मित्रा, 2014: "व्यापार उदारीकरण एवं श्रम के वृत्त का टुकड़ा: भारतीय फर्म से साक्ष्य, "जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकॉनोमिक्स 108, 1-16.

एहसान, रशद एन, अर्घ्य घोष तथा देवाशीष मित्रा, 2015: "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा एकीकरण: सिद्धांत और साक्ष्य "मीमिओ, अर्थशास्त्र विभाग, सिरैक्यूज विश्वविद्यालय।

अमिरापु, अमृत एवं माइकल जेचर, 2014:

(शेषांश पृष्ठ 54 पर)

IAS

सम्पूर्ण, समर्पित, अनुभवी एवं सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों की स्थायी टीम...

PCS

अशोक सिंह, अभय कुमार, राजेश मिश्रा, आर. कुमार, प्रो. पुष्पेश पंत, प्रो. माजिद हुसैन, मणिकांत सिंह

दीपक कुमार | वी. के. त्रिवेदी | प्रो. माजिद हुसैन सर को सम्मानित करते हुए नीरज सिंह (MD) एवं विव्यसेन सिंह

सुबोध मिश्रा
(Aastha IAS)

पंकज मिश्रा
(Aastha IAS)

Our VSAT Centres

* Gorakhpur	* Jodhpur	* Udaipur
* Gwalior	* Jaipur	* Varanasi
* Bilaspur	* Patna	* Ranchi
* Raipur	* Bareilly	* Jamshedpur

Our Programme

1. GS हिन्दी माध्यम, GS English Medium, CSAT हिन्दी/English Med.
2. Class Room Test Series (Hindi/Eng. Pre+Mains) Online Test.
4. पत्राचार कार्यक्रम (Correspondence Course)

Delhi Centre

सामान्य अध्ययन

13 मार्च 6:30 PM — फाउंडेशन बैच

18 मार्च 3:00 PM — Pre. Exclusive Batch

Allahabad Centre

सामान्य अध्ययन

18 मार्च 3:00 PM — Pre. Exclusive Batch

20 मार्च — फाउंडेशन बैच

For Enquiry Allahabad Centre:- Ph:. 08726027579

Face to Face Centres • Delhi • Allahabad • Indore

GS World & GSI

Committed To Excellence

Head Office:- 705, IIND FLOOR, MUKHERJEE NAGAR, MAIN ROAD OPP. BATRA CINEMA, DELHI-9

Ph:. 011- 27658013, 7042772062/63, 9868365322

Regional Centres:- Allahabad, Indore, Lucknow (Coming Soon...)

YH-346/2014

लघु व मध्यम उद्यमों की चुनौतीपूर्ण डगर

ऋषभ कृष्ण सक्सेना

देश के विकास और युवाओं के रोजगार के लिहाज से छोटे उद्योग बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। विडंबना यह है कि इनकी दशा शोचनीय है और ये विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बुरी तरह घिरे हैं। हालांकि हाल के वर्षों में केंद्र और राज्य के स्तर पर सरकारों ने एमएसएमई नीतियां बनाकर इस क्षेत्र को सहारा देने के प्रयास किए हैं और इस बार के आम बजट में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, किंतु इन उद्योगों की समस्याएं अभी दूर होती नहीं दिखतीं

प्रधानमंत्री ने जब से 'मेक इन इंडिया' की घोषणा की है तभी से देश के विनिर्माण क्षेत्र को लेकर चर्चा बढ़ गई हैं। सरकार की अपेक्षा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देसी विनिर्माण उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के मौकों में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी लेकिन यह चर्चा प्राय: बड़ी कंपनियों अथवा उद्योगों तक ही सीमित रहती हैं। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के जरिए विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने का आमंत्रण दिया है। वास्तविकता यह है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले और सबसे अधिक ध्यान सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्यमों (एमएसएमई) पर देने की आवश्यकता है, जिन्हें आमतौर पर छोटे उद्योग कहा जाता है। छोटे उद्योग प्राय: चर्चा में नहीं रहते हैं और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान पर भी हमारा ध्यान नहीं जाता लेकिन वास्तव में छोटे उद्योग रोजगार के बहुत बड़े स्रोत हैं। देश में इस समय कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार इसी क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में भी इनका योगदान उल्लेखनीय है।

मार्च 2014 में देश में लगभग 4.60 करोड़ छोटे उद्योग अथवा एमएसएमई काम कर रहे थे। इन उद्यमों में 6,000 से भी अधिक उत्पाद तैयार हो रहे थे और जीडीपी में इनकी लगभग 8 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। देश में होने वाले कुल औद्योगिक उत्पादन में भी इन उद्योगों की लगभग 45 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और भारत से होने वाले निर्यात में इनकी 40 प्रतिशत भागीदारी रही। सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा रोजगार का है। इन उद्योगों में उस समय लगभग 10.6 करोड़ लोग काम कर रहे थे। हालांकि देश में लगभग 94 प्रतिशत एमएसएमई पंजीकृत नहीं हैं, लेकिन देश के आर्थिक विकास में वे लगातार योगदान कर रहे हैं। जीडीपी में इनका योगदान 11.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ता जा रहा है। (1) वास्तव में यह 8 प्रतिशत की वांछित जीडीपी वृद्धि दर से भी कहीं ज्यादा है और यह केवल 2013-14 की कहानी नहीं रही बल्कि पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र ने शानदार प्रदर्शन किया है और आर्थिक मंदी को इसने मुंहतोड़ जवाब दिया है।

रोजगार प्रदान करने के मामले में भारतीय एमएसएमई दूसरे देशों से अब भी काफी पीछे हैं। उदाहरण के लिए ब्राजील में लगभग 67 प्रतिशत रोजगार एमएसएमई से ही मिलता है। इसी प्रकार फ्रांस में आंकड़ा 63 प्रतिशत और जर्मनी में 62 प्रतिशत है। यहां तक कि अमरीका जैसी विकसित अर्थव्यवस्था में भी लगभग 53 प्रतिशत रोजगार के मौके एमएसएमई से ही मिलते हैं। इनकी अपेक्षा भारत में केवल 28 प्रतिशत रोजगार इन उद्यमों से प्राप्त होता है। (2) अलबत्ता इस क्षेत्र के जानकार मानते हैं कि भारतीय एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार की अकूत संभावनाएं मौजूद हैं और अगले दशक में इस क्षेत्र में रोजगार के मौकों में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार कई उद्योग संगठनों का अनुमान है कि देसी एमएसएमई में से बड़े आकार के कम से कम 2,500 कारोबार अर्थात् कंपनियां खड़ी हो सकती हैं। उनका कारोबार भी लगभग 10 लाख करोड़ रुपये (200 अरब

लेखक आर्थिक दैनिक समाचार पत्र *बिजनेस स्टैंडर्ड* में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। इससे पूर्व संवाद समिति 'यूनीवार्ता' में काम कर चुके हैं। गुरु जांभेश्वर विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध मीडिया संस्थानों में अध्यापन कर चुके हैं। ईमेल: rishabhakrishna@gmail.com

डॉलर) होगा, जो वास्तव में जीडीपी में बड़ा योगदान होगा। (3)

स्पष्ट है कि देश के विकास और युवाओं के रोजगार के लिहाज से छोटे उद्योग बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। विडंबना यह है कि इनकी दशा शोचनीय है और ये विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बुरी तरह घिरे हैं। हालांकि हाल के वर्षों में केंद्र और राज्य के स्तर पर सरकारों ने एमएसएमई नीतियां बनाकर इस क्षेत्र को सहारा देने के प्रयास किए हैं और इस बार के आम बजट में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, किंतु इन उद्योगों की समस्याएं अभी दूर होती नहीं दिखतीं। लेकिन उन पर बात करने से पहले हमें एक बार समझना चाहिए कि एमएसएमई क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। इसमें 25 लाख रुपये तक निवेश करने वाली विनिर्माण इकाई सूक्ष्म उद्यम, 25 लाख से 5 करोड़ रुपये के बीच की इकाई लघु उद्यम और 5 से 10 करोड़ रुपये की इकाई मझोला उद्यम कहलाती है। सेवा क्षेत्र के लिए निवेश की सीमा क्रमशः 10 लाख रुपये, 10 लाख से 2 करोड़ रुपये और 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये रखी गई है।

एक अनुमान के अनुसार भारत में एएमएसएमई क्षेत्र को लगभग 32.5 लाख करोड़ रुपये की रकम की जरूरत है, जिसमें से कम से कम 26 लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में चाहिए। किंतु वित्तीय संस्थान अधिक जोखिम की वजह से तथा पर्याप्त जमानत नहीं होने के कारण उन्हें ऋण देने से कतराते हैं।

सबसे पहले तो एमएसएमई को इस परिभाषा से ही दिक्कत है। वे इसमें केवल निवेश को मानक माने जाने के विरोध में हैं। वे चाहते हैं कि भारत में भी चीन और दूसरे देशों की तर्ज पर राजस्व यानी वार्षिक कारोबार को एमएसएमई के लिए मानक बनाया जाए और उसी के अनुरूप नीतियां बनाई जाएं। उनका तर्क गलत भी नहीं है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अक्सर बेहद कम निवेश के साथ बेहतर कारोबार वाला उद्यम खड़ा किया जा सकता है लेकिन निवेश कम होने के कारण उसे सूक्ष्म अथवा लघु उद्योग के दायरे में रखा जाता है। इसी तरह संयंत्र, मशीनरी आदि पर बहुत अधिक निवेश करने वाला विनिर्माण उद्यम कम वार्षिक कारोबार के बाद भी मझोले उद्यम में रखा जाता है। उद्यमी इन विसंगतियों को दूर करना चाहते हैं। परिभाषा अथवा वर्गीकरण को छोड़ दें तो इन उद्योगों के सामने सबसे प्रमुख और गंभीर समस्याएं हैं– वित्त की किल्लत और जटिल करों का बोझ। इनके कारण पिछले कुछ समय में कई एमएसएमई को दिवालिया होना पड़ा है अथवा बीमार उद्यम बनकर रह जाना पड़ा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं पिछले वित्त वर्ष के अंत में देश में 4 लाख से भी अधिक बीमार एमएसएमई इकाइयां थीं। इनमें सबसे अधिक 63,268 इकाइयां उत्तर प्रदेश में थीं और 48,000 बीमार इकाइयां गुजरात में थीं। (4)

वित्त की कमी

किसी भी छोटे उद्यमी से बात करें तो सबसे पहले वह वित्त यानी आर्थिक सहायता नहीं मिलने की बात ही कहेगा। वास्तव में इस उद्योग के लिए इस समय यह सबसे बड़ी समस्या है कि ऋण प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को भगीरथ प्रयत्न करने पड़ते हैं। उन्हें पर्याप्त रकम नहीं मिलती और उससे भी बड़ी समस्या है कि समय पर नहीं मिलती। यही कारण है कि बड़ी संख्या में एमएसएमई इकाइयां स्वयं ही रकम की व्यवस्था करने को विवश हो जाती हैं। इसके लिए उद्यमी रिश्तेदारों से उधार लेते हैं अथवा साहूकार के चंगुल में फंस जाते हैं। बची खुची कसर उन्हें असंगठित ऋण बाज़ार से ऊंचे ब्याज पर उधार लेकर पूरी करनी पड़ती है, जिसका सीधा असर उनके मार्जिन और लाभ पर पड़ता है। (5) वास्तव में भारत में लगभग 14 लाख इकाइयों को रकम की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है, जो ऋण लेने वाली इकाइयों के 87 प्रतिशत से भी अधिक आंकड़ा है। बमुश्किल 11 प्रतिशत को संस्थागत स्रोतों अर्थात् बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से ऋण मिल पाता है। शेष एमएसएमई असंस्थागत स्रोतों से रकम लेते हैं। (6)

एक अनुमान के अनुसार भारत में एमएसएमई क्षेत्र को लगभग 32.5 लाख करोड़ रुपये की रकम की जरूरत है, जिसमें से कम से कम 26 लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में चाहिए। (6) किंतु वित्तीय संस्थान अधिक जोखिम की वजह से तथा पर्याप्त जमानत नहीं होने के कारण उन्हें ऋण देने से कतराते हैं। इन संस्थानों का अनुमान है कि लगभग 37 प्रतिशत ऋण का डूबना तय है। लगभग 25 प्रतिशत ऋण की मांग सूक्ष्म उद्यमों की ओर से आती है, जिन्हें वित्तीय संस्थानों की बेरुखी देखकर अनौपचारिक स्रोतों से ही ऋण लेना पड़ता है। कुल मिलाकर 38 प्रतिशत ऋण मांग को ही बैंक जैसे वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं। (7) ऐसी स्थिति में गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा के बीच एमएसएमई के लिए अस्तित्व बचाए रखना भी कठिन हो रहा है। हालांकि एमएसएमई को प्राथमिकता के साथ ऋण देने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के कड़े दिशानिर्देशों और सरकार की पहल के कारण बैंकों ने एमएसएमई को ऋण देने में अधिक सक्रियता दिखाई है, लेकिन अब भी इस क्षेत्र को लगभग 20.9 लाख करोड़ रुपये के ऋण की कमी झेलनी पड़ रही है। (8) लगभग 1.13 करोड़ एमएसएमई इकाइयों को ऋण की जबरदस्त किल्लत से गुजरना पड़ रहा है और इनमें से जिनको बैंक आदि संस्थाओं से ऋण मिलते हैं, उनकी भी 40 से 70 प्रतिशत आवश्यकता ही पूरी हो पाती है।

वित्त संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। पिछले बजट में स्टार्ट-अप उद्यमों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष की घोषणा की गई और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का ऐलान भी किया गया। इसी तरह इस फरवरी में आए बजट में भी वित्त मंत्री ने 'माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)' जैसी अनूठी पहल की है।

यद्यपि पिछले वर्ष जुलाई में आए बजट और इस बार के पूर्ण बजट में इस क्षेत्र की वित्त संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए पिछले बजट में स्टार्ट-अप उद्यमों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष की घोषणा की गई और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का ऐलान भी किया गया। इसी तरह इस फरवरी में आए बजट में भी वित्त मंत्री ने 'माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)' जैसी अनूठी पहल की है। इसके पास

करीब 20,000 करोड़ रुपये का कोष होगा, जिससे एमएसएमई को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी तरह एसएमई के लिए 3,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कोष भी तैयार किया जा रहा है। इससे कार्यशील पूंजी और ऋण की किल्लत काफी हद तक कम होने की संभावना है। लेकिन इन दोनों के गठन में देर की गई तो इनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसी तरह नये उद्यमों अर्थात् स्टार्ट-अप के लिए भी सेल्फ इंप्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन (सेतु) कोष बनाया गया है, जो मूलत: छोटे और मंझोले उद्यमों पर ही केंद्रित होगा।

छोटे उद्यमियों को प्राय: भुगतान की समस्याओं से भी दो-चार होना पड़ता है। वे ठेके पूरे कर देते हैं, माल पहुंचा दिया जाता है, लेकिन भुगतान होने में 6-6 महीने और कभी-कभी तो पूरे वर्ष का समय लग जाता है। ऐसे में उनके लिए कारोबार में आगे रकम लगाना अथवा अगले ठेके के लिए कच्चा माल खरीदना आदि मुश्किल हो जाता है। इस बार सरकार ने इसके लिए भी एक व्यवस्था करने की घोषणा की है, जिसमें वित्तीय संस्थान भुगतान में आने वाली राशि का काफी हिस्सा ऋण के रूप में देंगे ताकि उद्यमी को काम रोकना नहीं पड़े और रकम की व्यवस्था करने के लिए ऊंचे ब्याज पर ऋण नहीं लेना पड़े। लेकिन छोटे उद्यमियों को इसका लाभ तभी होगा, जब इन्हें जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाए ताकि चीन और बंग्लादेश आदि पड़ोसी देशों से मिल रहे मुकाबले में भारतीय एमएसएमई का पलड़ा भारी हो सके।

सरकार पिछले कुछ समय से एमएसएमई के लिए मैट की दर को अन्य कंपनियों के लिए मैट से काफी रखने पर विचार कर रही है, लेकिन इस बार के बजट में इस पर कोई घोषणा नहीं की गई। इसके उलट बजट में सेवा कर की दर को 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया।

करों का बोझ

भारत में एमएसएमई इकाइयां यदि कहीं से वित्त की व्यवस्था कर भी लें तो करों की गुत्थी उन्हें बुरी तरह उलझाकर रखती है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में भारत को कारोबारी सुगमता अर्थात् व्यापार करने के मामले में आसानी की रैंकिंग में नीचे कर दिया गया है और 2014 की 140वीं रैंकिंग के बजाय इस वर्ष उसे 142वीं रैंकिंग मिली है। उसमें ऋण मिलने के मामले में तो भारत को नीचे किया ही गया है, नये कारोबार आरंभ करने के मामले में भी उसकी रैंकिंग नीचे हो गई है। (9) जाहिर है कि इसके विभिन्न पहलुओं में करों का बोझ और अन्य प्रशासनिक झंझट भी शामिल हैं।

एमएसएमई क्षेत्र में परेशानी भरा पहलू यह भी है कि प्राय: इसमें उद्यम के मालिक को ही लगभग प्रत्येक कार्य करना पड़ता है। रकम की व्यवस्था करनी हो, कच्चा माल खरीदना हो, श्रमिक लगाने हों अथवा बहीखाते संभालने हों, सब कुछ उद्यमी को ही करना होता है क्योंकि उसकी सीमित लागत उसे अधिक कर्मचारी रखने की अनुमति नहीं देती। ऐसे में उसे मंजूरी प्राप्त करने, करों के दस्तावेज संबंधित अधिकारियों तक ले जाने और कर जमा करने जैसे कामों में भी समय देना पड़ता है, जिसका सीधा असर उसके कारोबार पर पड़ता है।

इसके बाद असली समस्या करों से होती है, जिनके कारण लाभ और मार्जिन भी कम हो जाता है और उपलब्ध वित्त भी। विभिन्न उत्पादों के अनुसार उद्यमों से विभिन्न प्रकार के कर वसूले जाते हैं, जिनमें उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, प्रवेश शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, आयकर आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) भी है, जिसकी दर लगभग 18.5 प्रतिशत है, लेकिन विभिन्न प्रकार के शुल्क और अधिभार आदि मिलाने के बाद उसकी दर काफी अधिक बैठती है। हालांकि सरकार पिछले कुछ समय से एमएसएमई के लिए मैट की दर को अन्य कंपनियों के लिए मैट से काफी रखने पर विचार कर रही है, लेकिन इस बार के बजट में इस पर कोई घोषणा नहीं की गई। इसके उलट बजट में सेवा कर की दर को 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया, जिसकी तपिश एमएसएमई पर भी पड़ेगी और कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के बीच उन्हें अपने मार्जिन में और भी कटौती करनी पड़ सकती है। यदि किसी उद्यमी को कच्चे माल पर सीमा शुल्क देना पड़े, तैयार माल पर उत्पाद शुल्क देना पड़े, दूसरे राज्य में उत्पाद भेजने पर प्रवेश शुल्क देना पड़े और सेवा कर भी चुकाना पड़े तो उस पर पड़ने वाले बोझ का अंदाजा लगाना आसान है।

इसके अलावा एक अन्य मसला इन्वर्टेड शुल्क ढांचे का भी है। इसमें कच्चे माल पर अधिक शुल्क वसूला जाता है और उस कच्चे माल से तैयार होने वाले उत्पाद पर कम शुल्क वसूला जाता है। दरअसल कच्चे माल पर सीमा शुल्क आदि भी शामिल होते हैं, जो करों की कुल दर को अधिक कर देते हैं। कई बार पड़ोसी देशों के साथ हुए समझौतों के कारण भी ऐसा हो जाता है। उद्यमियों की लंबे समय से इसे सही करने की मांग रही है ताकि देसी उद्योग की लागत कम हो सके और भारत में तैयार होने वाले कच्चे माल का निर्यात रोका जा सके। निर्यात नहीं होगा तो कम कीमत पर वह माल देसी उद्यमों को ही मिलेगा। यद्यपि वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में कई प्रकार के कच्चे माल पर सीमा शुल्क में राहत दी है। देसी विनिर्माण उद्योग में प्रयोग होने वाली 22 वस्तुओं पर सीमा शुल्क अब पहले से कम है। इसके अलावा देश में तैयार होने वाले कई उत्पादों पर भी शुल्क में राहत मिली है।

जीएसटी वसूला जाएगा, जिसकी निश्चित दर होगी। इसमें भी कर की दर पूरे भारत में एक समान होगी। उद्यमियों के इसके बाद चुंगी, प्रवेश शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि से मुक्ति मिल जाएगी। उन्हें न तो कर विभागों के चक्कर लगाने होंगे और न ही विभिन्न प्रकार के दस्तावेज संभालने होंगे।

यद्यपि बजट में सीमा शुल्क में चुनिंदा राहत मिली है किंतु एक अन्य मसला कर प्रशासन का है। उद्यमियों और विशेष रूप से निर्यातोन्मुखी इकाइयों के स्वामियों को प्राय: करों में छूट प्रतिपूर्ति के रूप में मिलती है। इसका अर्थ है कि वे उत्पाद करने के समय और ठेके निपटाते समय सभी प्रकार के शुल्क चुका देते हैं और आवेदन करने पर उन्हें सरकार से कुछ कर और शुल्क वापस मिल जाते हैं। लेकिन रकम की वापसी में प्राय: लंबा समय लग जाता है। कई मामलों में तो 6 से 9 महीने के बाद ही रकम वापस मिल पाती है। स्पष्ट है कि इस स्थिति में उद्यमियों को रकम की जबरदस्त किल्लत हो जाती है।

इस मामले में एक बार फिर पड़ोसी देश

चीन को देखा जा सकता है। चीन में छोटे उद्योगों को अर्थव्यवथा की रीढ़ कहा जाए तो बेमानी नहीं होगा। वहां आर्थिक विकास की दर में हल्की झोल दिखते ही छोटे कारोबारों के अनुकूल नीतियां बनाना तेज कर दिया गया। पिछले वर्ष ही वहां विशेष आयकर नीति लागू की गई थी, जिसके तहत कम आय वाले एसएमई को आयकर में वैसी ही छूट दी गई, जैसी बड़ी कंपनियों को मिलती है। उन्हें मूल्य वर्द्धित अथवा कारोबार कर से भी मुक्त कर दिया गया। चीन की अर्थव्यवस्था 2014 में पिछले 24 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर रह गई लेकिन उद्योगों को राहत देने के उसके इस कदम का कितना व्यापक प्रभाव पड़ा है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि से लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को पिछले वर्ष करों में कुल मिलाकर 10 अरब डॉलर (लगभग 60,000 करोड़ रुपये) की रियायत दी गई। चीन की सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ के अनुसार चीन के निर्यात की रीढ़ मानी जाने वाली छोटी कंपनियां शहरों में लगभग 80 प्रतिशत युवाओं को छोटी कंपनियों में ही रोजगार प्राप्त हो रहा है, जिन्हें चीन के निर्यात की रीढ़ माना जाता है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स (सैट) ने इसी फरवरी के दूसरे पखवाड़े में जारी आंकड़ों में बताया कि कुल 61.2 अरब युआन की कर छूट में से करीब 24.6 लाख छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को व्यापार आयकर में लगभग 10.1 अरब युआन की रियायत दी गई क्योंकि एक लाख युआन से कम वार्षिक आय वाले उद्यमों को कर में 50 प्रतिशत छूट दी जाती है। (10)

इसके अलावा एक अन्य मसला इन्वर्टेड शुल्क ढांचे का भी है। इसमें कच्चे माल पर अधिक शुल्क वसूला जाता है और उस कच्चे माल से तैयार होने वाले उत्पाद पर कम शुल्क वसूला जाता है। दरअसल कच्चे माल पर सीमा शुल्क आदि भी शामिल होते हैं, जो करों की कुल दर को अधिक कर देते हैं।

किंतु भारत में करों में इस प्रकार की रियायत की अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि इस क्षेत्र के प्रति उपेक्षा पिछली कई सरकारों की परंपरा जैसी रही है। यद्यपि वर्तमान सरकार इस मामले में कुछ ठोस कदम उठाने की इच्छा प्रदर्शित कर रही है और उद्यमी करों के मकड़जाल से मुक्त होने की आशा कर सकते हैं क्योंकि सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अगले वर्ष लागू करने का पूरा प्रयास कर रही है। जीएसटी लागू होने के साथ ही सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, केंद्रीय अधिभार एवं उपकर, राज्य मूल्य वर्द्धित कर (वैट), राज्य बिक्री कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर, लॉटरी पर कर, विज्ञापन पर कर तथा राज्यों के उपकर एवं अधिभार पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और केवल जीएसटी वसूला जाएगा, जिसकी निश्चित दर होगी। इसमें भी कर की दर पूरे भारत में एक समान होगी। उद्यमियों को इसके बाद चुंगी, प्रवेश शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि से मुक्ति मिल जाएगी। उन्हें न तो कर विभागों के चक्कर लगाने होंगे और न ही विभिन्न प्रकार के दस्तावेज संभालने होंगे। (देखें बॉक्स) स्वाभाविक तौर पर ऐसे में वे अपने कारोबार पर अधिक ध्यान दे सकेंगे और उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त उनके उत्पाद का मूल्य भी कम होगा, जिससे उनका कारोबार बढ़ेगा। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर)

वर्तमान केंद्र सरकार सड़कों, रेल मार्ग और बंदरगाहों पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार ने प्रतिदिन 30 किलोमीटर सड़क निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने भी लगभग 60,000 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण ठेके अगले 3 से 6 महीने में देने का निर्णय ले लिया है।

जीएसटी: एक नजर में

क्या है जीएसटी?

जीएसटी एक समान दर से वसूला जाने वाला कर होगा, जो वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर केंद्र तथा राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कई करों को खत्म कर उनकी जगह लागू होगा। जीएसटी किसी भी वस्तु की बिक्री के समय वसूला जाएगा, उसके उत्पादन के समय या उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के समय नहीं। किसी भी वस्तु पर पूरे देश में जीएसटी की दर एक ही होगी।

इसका लाभ क्या है?

फिलहाल केंद्र और राज्य दोनों को ही कर तय करने और वसूलने का अधिकार है। इसीलिए कारोबारियों को विभिन्न राज्यों में उत्पाद बेचते समय ढेर सारे कर चुकाने पड़ते हैं, जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ती जाती है और खमियाजा उपभोक्ता भुगतता है। जीएसटी सभी करों को खत्म कर देगा, जिससे उत्पाद की कीमत कम हो जाएगी।

किन उत्पादों पर जीएसटी लगेगा?

जीएसटी विधेयक के अनुसार एल्कोहल और पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगेगा। लेकिन केंद्र और राज्य की रियायती सूची में मौजूद उत्पादों और सेवाओं को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।

जीएसटी कैसे काम करेगा?

जीसटी में तीन घटक होंगे: केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और एकीकृत जीएसटी। राज्य जीएसटी को राज्य वसूलेंगे और बाकी दोनों केंद्र के खाते में जाएंगे।

एकीकृत जीएसटी क्या है?

यह वस्तुओं और सेवाओं की एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति होने पर वसूला जाएगा। इसे केंद्र वसूलेगा और एक निश्चित हिस्सा उस राज्य को दिया जाएगा, जहां वस्तु या सेवा का उपभोग हो रहा है।

जीएसटी और वैट में क्या फर्क है?

जीएसटी और वैट एकसमान दिखते हैं, लेकिन मार्के की बात है कि जीएसटी आने पर बाकी सभी कर समाप्त हो जाएंगे यानी कई करों की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। वैट दो बार वसूला जाता है। वस्तु की बिक्री के समय राज्य वैट वसूलता है और उसी के उत्पादन के समय केंद्र सरकार सेनवैट वसूलती है। लेकिन जीएसटी केवल एक बार वसूला जाएगा।

का अनुमान है कि जीएसटी लागू होने से देश के सकल घरेलू उत्पाद में 0.9 से 1.7 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है क्योंकि जटिल कर प्रणाली के कारण अभी उत्पादन पूरी क्षमता से नहीं हो पाता है।

चुनौतियों का अंबार

वित्त की किल्लत और अतार्किक कर ढांचा ही छोटे उद्योगों की इकलौती समस्या नहीं हैं। उनके अलावा बुनियादी ढांचे की बुरी स्थिति, प्रौद्योगिकी नहीं होना और श्रमिकों की कमी भी इनकी वृद्धि की राह में रोड़ा बन रही है। देश में सड़कों की स्थिति खासी खराब है और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में तो उद्यमी इसी की शिकायत करते रहते हैं। सड़क बनने की गति भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है। यद्यपि वर्तमान केंद्र सरकार सड़कों, रेल मार्ग और बंदरगाहों पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार ने प्रतिदिन 30 किलोमीटर सड़क निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने भी लगभग 60,000 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण ठेके अगले 3 से 6 महीने में देने का निर्णय ले लिया है। (12) यदि सड़कों की स्थिति सुधारती है तो छोटे उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा।

बिजली की स्थिति भी देश में बहुत अच्छी नहीं है। विभिन्न राज्य बिजली की किल्लत से जूझते रहते हैं और दुष्परिणाम उद्यमियों को भुगतना पड़ता है क्योंकि उनके उत्पादन पर इसका गहरा प्रभाव होता है। सरकार का अनुमान है कि देश भर में प्रतिदिन लगभग 30,000 मेगावाट बिजली की कमी रहती है। पिछले वर्ष जून में तो सर्वोच्च मांग के समय बिजली की किल्लत 3.7 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। यह स्थिति तब है, जब 940 यूनिट बिजली की प्रति व्यक्ति वार्षिक मांग के साथ भारत चीन (4,000 यूनिट प्रति व्यक्ति वार्षिक) जैसे देशों से बहुत पीछे है। देश में लगभग 2.5 लाख मेगावाट प्रतिदिन बिजली उत्पादन की क्षमता है, लेकिन केवल 1.35 लाख मेगावाट उत्पादन ही हो पाता है। (13) सरकार को इसमें भी ठोस सुधार करने होंगे ताकि उद्योगों को गति मिल सके। ❑

संदर्भ

1. सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2013-14
2. सीआईआई-केपीएमजी की रिपोर्ट 'दि न्यू वेव इंडियन एमएसएमई - 2014'
3. 'नैसकॉम पर्सपेक्टिव 2020: ट्रांसफॉर्म बिजनेस, ट्रांसफॉर्म इंडिया' रिपोर्ट
4. केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र द्वारा लोकसभा में 8 दिसंबर 2014 को प्रस्तुत आंकड़े
5. फर्स्टबिज-ग्रेहाउंड नॉलेज ग्रुप एमसएमई सर्वे, 2014
6. एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना, 2011
7. एमएसएमई पर इंटेलकैप-आईएफसी रिसर्च रिपोर्ट 2013
8. भारतीय रिजर्व बैंक के 2013-14 के ऋण संबंधी आंकड़े
9. विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/india)
10. दि इकनॉमिक टाइम्स (http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-02-22/news/59386554_1_tax-incentives-tax-burden-smes)
11. दि इकनॉमिक टाइम्स (http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-12-04/news/56723493_1_rakesh-arora-growth-rate-ncaer)
12. मैक्वायर रिसर्च की रिपोर्ट : 'इंडिया स्ट्रैटेजी आउटलुक 2015: फ्रॉम प्रॉमिस टु परफॉर्मेंस'
13. मिंट (अंग्रेजी दैनिक) (http://www.livemint.com/industry/tnV2NUSAK8PbFs7pSzoL0l/India-faces-daily-power-outage-of-3000-MW.html)

अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू तेल मूल्य निर्धारण का गणित

हिरण्मॉय रॉय
अनिल कुमार
विजय शेखावत

तेल क़ीमतों के महत्वपूर्ण निर्धारक यानी मांग झटका, आपूर्ति झटका, वायदा मूल्य, विनिमय दर और अनुमान आपस में पूरी तरह से अलग नहीं हैं बल्कि एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और कई मायनों में एक-दूसरे के पूरक भी हैं। हालांकि, भारत में तेल क़ीमतों के निर्धारण में आपूर्ति पक्ष वाले कारक ज़्यादा प्रासंगिक हैं, चूंकि एक आपूर्तिकर्ता के बाधा पैदा करने की स्थिति में हमें अन्य नये आपूर्तिकर्ता की तलाश भी करनी होगी। अन्य महत्वपूर्ण कारक, जैसे, सरकारी नीति और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संबंध भी भारत में तेल क़ीमतों के अभियान में बड़ा योगदान देने वाले कारक हैं

तेल की क़ीमत में उतार-चढ़ाव एक ऐतिहासिक मिसाल की तरह है। यह 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध और 1980 के दशक की शुरुआत के बीच की अवधि रही होगी, जब इस पिछले दशक के दरमियान क़ीमतों में भारी उछाल से पश्चिमी तेल उत्पादन में तेजी आई और संसाधनों एवं क्षेत्रों के विकास में गति आई, जो कि तक़नीकी रूप से चुनौतीपूर्ण या कम क़ीमतों के आलोक में व्यावसायिक रूप से अलाभकारी थे। 1970 के दशक के बाद से अलास्का और उत्तरी सागर से निकला तेल ज़बरदस्ती तेल बाज़ार में प्रविष्ट किया गया, जो कि वैश्विक मांग में वृद्धि को पूरा करते हुए और आपूर्ति में आई तेजी के कारण बाज़ारों में आगामी ठहराव के साथ सहस्राब्दि के अंत तक चला।

1973 में तेल की क़ीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद से ओपेक ने बाज़ार नियामक की भूमिका निभाई, इसका प्रभावी अर्थ है कि ओपेक के पास लाखों बैरल के अनुकूल एक अतिरिक्त उत्पादक क्षमता थी, जिस कारण जहां कहीं भी आवश्यकता हुई, उसने आपूर्ति और मांग में संतुलन लाने में मदद की। तेल की क़ीमतों में 1973 में वृद्धि होने के साथ, 1980 के दशक के आरंभ तक, अतिरिक्त वैश्विक उत्पादन क्षमता कमोवेश ओपेक की अतिरिक्त क्षमता थी, जबकि यूएस, कनाडा और रूस जैसे संगठन से बाहर के उत्पादकों ने क़ीमतों की परवाह किए बिना अपने भंडारण के अनुकूल ज़्यादा से ज़्यादा तेल बाज़ार में उतार दिया।

अतिरिक्त उत्पादक क्षमता का सबसे ज़्यादा हिस्सा सऊदी अरब के पास था और सऊदी अरब ने संरक्षित क़ीमतों को देखते हुए 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में बहुत हद तक अपने निर्यात को घटा दिया था। बाज़ार को नियंत्रित करने के सबसे बेहतर तरीके को लेकर सऊदी अरब और ओपेक के बीच एक विवाद था। ओपेक को सहमति के माध्यम से उत्पादन पर नियंत्रण और उसे बढ़ाने या घटाने को लेकर कोटा तय करना पसंद था जबकि सऊदी अरब इस दृष्टिकोण का विरोध करता था और एक निश्चित मूल्य का बचाव करने के बजाय आपूर्ति के स्तर को नियंत्रित करने में उसका ज़्यादा विश्वास था। दूसरे शब्दों में, सऊदी अरब ने उपयुक्त समझी जाने वाली क़ीमत पर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की पेशकश की और अपनी क़ीमत के आधार पर की गई मांग के अनुसार अपने उत्पादन को समायोजित किया। इस वजह से सऊदी अरब 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में 10 मिलियन बैरल के उत्पादन से नीचे आकर 1985 में 3 मिलियन बैरल उत्पादन तक कमी करने के लिए मजबूर हुआ।

इस परिदृश्य में, क़ीमतों में गिरावट को लेकर कुछ सीमाएं हैं, जिसमें, महंगे क्षेत्रों के साथ शुरू होकर खपत क्षेत्रों से दूर इन सीमाओं के बाद उत्पादन का गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा जब होता है, तब मूल्य गतिशीलता की धारा उलटी हो जाती है और बाज़ार पर पड़ते दबावों से राहत मिलती है। इस कारण

हिरण्यमय रॉय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग, देहरादून से संबद्ध हैं। उनकी तीन पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इन पुस्तकों में हैं: 'एनर्जी कंपटीशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट: सीनैरियो 2020। राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनके लगभग तीस शोध-पत्र प्रकाशित हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में उन्होंने तीस के आसपास अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। ईमेल: h.roy10@gmail.com
विजय शेखावत आस्ट्रेलियाई उच्च आयोग, नई दिल्ली, से संबद्ध हैं। ईमेल: vijay.shekawat@gmail.com

से, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब का लक्ष्य सुविधाजनक स्तर तक तेल की क़ीमत बनाए रखना है ताकि बाज़ार में बिना किसी हो हंगामे और पश्चिम में ऊर्जा कंपनियों को किसी आशंका में लाए बिना आपूर्ति को सीमित किया जा सके।

इन दिनों, हालात बिल्कुल अलग हैं। सऊदी अरब के पास अतिरिक्त उत्पादक क्षमता बिल्कुल नहीं है और इस कारण से वह अतिरिक्त निर्यात के माध्यम से बाज़ार को तेल से लबालब नहीं कर पाएगा। सही मायने में, कई विशेषज्ञ तो यह मानते हैं कि हाल के वर्षों में सऊदी अरब का तेल उत्पादन या तो उसकी अधिकतम उत्पादक क्षमता के बराबर है या उसके आस-पास है और शायद 1990 के दशक के बाद से तेल बाज़ार में हो रही सबसे महत्वपूर्ण प्रगति, विशेष रूप से इस बिंदु के आसपास ही घूमती है। वास्तविकता यह है कि कोटा पर सदस्य देशों के बीच विवादों के वर्षों बाद ओपेक ने अपना उत्पादक गतिशीलता लाभ खो दिया है, जो कभी उसके पास हुआ करता था। इसका मतलब है कि आपूर्ति को लेकर ओपेक की हस्तक्षेप करने की क्षमता न्यूनतम है, जैसा कि ओपेक को अच्छी तरह पता है कि गंभीर कटौती को लेकर अपने सदस्य देशों की स्वीकृति को हासिल करना और उनका पालन करा लेना असंभव है।

हम पाते हैं कि 1980 के मध्य से वास्तविक तेल क़ीमत का प्रमुख उर्ध्व संचालक व्यापक आर्थिक झटके रहे हैं, वित्तीय झटकों ने भी 2000 के शुरुआती दशक और बहुत हद तक 2000 के दशक के मध्य से सीमित रूप से सही मगर योगदान दिए हैं। वित्तीय झटकों के बावजूद 2004-2010 की अवधि के दौरान 65 प्रतिशत वास्तविक तेल क़ीमत में 44 प्रतिशत का योगदान हुआ, तीसरा तेल क़ीमत झटका एक वृहद वित्तीय प्रकरण था, व्यापक आर्थिक झटके वास्तव में काफी हद तक 2007-2008 तेल की क़ीमत की अस्थिरता के लिए जिम्मेदार थे। हम असली तेल क़ीमत निर्धारण की मांग वाले पक्ष के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं जबकि हम पहले से साहित्य में वर्णित झटकों की तुलना में वित्तीय झटके की एक बहुत बड़ी भूमिका पाते हैं।

2003 से क़ीमत बढ़ गई है, बदले में, इस समय ज़्यादातर गैर-परंपरागत संसाधनों से विशेषकर एक प्रकार के शीस्ट तेल और गैस, राल रेत और भारी मात्रा में तेल के अन्य प्रकार के कारण पश्चिमी उत्पादन में एक समान उछाल सामने आया है, जो हाल तक निष्कर्षण के ख्याल से असंभव माना जाता था या फिर अनार्थिक माना जाता था। इन नये संसाधनों के दोहन के साथ, उच्च क़ीमतों के अलावा नई प्रौद्योगिकियों के द्वारा ऐसा संभव हो पाया, जिससे भूमिगत चट्टानों में फंसे भारी तेल का निषर्कण संभव हो सका, जबकि अमरीका के तेल उत्पादन में प्रवृत्ति ठीक इसके उलट थी। अमरीका के तेल उत्पादन में 1970 के दशक के बाद से ही लगातार गिरावट आ रही थी, आज के प्रतिदिन 8.5 मिलियन बैरल की तुलना में 2008 में प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल तक उत्पादन पहुंच गया था। पूर्वानुमान है कि अमरीकी उत्पादन 2016 में प्रतिदिन 9.5 बैरल को पार कर जाएगा और अतिरिक्त उत्पादन का ज़्यादातर हिस्सा गैर-परंपरागत तेल से हासिल हुआ है।

नये संसाधनों के दोहन के साथ, उच्च क़ीमतों के अलावा नई प्रौद्योगिकियों के द्वारा ऐसा संभव हो पाया, जिससे भूमिगत चट्टानों में फंसे भारी तेल का निर्ष्कण संभव हो सका, जबकि अमरीका के तेल उत्पादन में प्रवृत्ति ठीक इसके उलट थी। अमरीका के तेल उत्पादन में 1970 के दशक के बाद से ही लगातार गिरावट आ रही थी, आज के प्रतिदिन 8.5 मिलियन बैरल की तुलना में 2008 में प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल तक उत्पादन पहुंच गया था।

अमरीका के उत्पादन में यह वृद्धि, बाज़ार के लिए इराकी उत्पादन की वापसी के अलावा और अंगोला जैसे अफ्रीकी देशों के नये प्रमुख उत्पादकों के उभार, अचर्चित स्तरों तक रूस के बढ़ते उत्पादन, बाद के वर्षों में जिसे रूस ने हासिल कर लिया, वो आज के बाज़ार में संतृप्तता से पीछे है।

बहुत सारे विश्लेषक, जिन्होंने राजनीतिक मंशा पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्लेषण किया है, उनका ध्यान इस बात पर नहीं है कि तेल के मूल्य निर्धारण के उल्टे होने की संभावना है, जिसमें अत्यधिक जटिल समीकरण और कई उपाय शामिल हैं। हमेशा ही मूल्य की एक सीमा रेखा होती है, जो बाज़ार में उस समय संरचनात्मक बदलाव लाती है, जब तेल की क़ीमत में नाटकीय रूप से उतार-चढ़ाव आता है।

इन कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक भारी तेल की निकासी करना है। सऊदी अरब में एक बैरल तेल निकालने की लागत तीन डॉलर से अधिक नहीं है, जबकि भूमिगत चट्टानों या हीटिंग राल रेत में फंसे तेल को उद्दीप्त करते हुए उन्हें द्रवीभूत करना एक बेहद महंगी प्रक्रिया है, जिसमें संसाधनों और ऊर्जा के एक बड़े हिस्से की खपत होती है। इस कारण से, तेल की क़ीमतों में तेजी से और निरंतर गिरावट इन तेल के प्रकारों को बाज़ार से बाहर कर देते हैं, इससे बड़ी संख्या में वो ऊर्जा उत्पादक कंपनियां मटियामेट हो जाती हैं, जो सामान्य रूप से 100 डॉलर प्रति बैरेल से ज़्यादा क़ीमत पर आधारित ऋण के माध्यम से अपने परिचालनों का वित्तपोषण करती हैं।

ऊर्जा परामर्श फर्म, मैकिन्से एंड कंपनी के अनुसार, अमरीका में शीस्ट तेल उत्पादकों का बहुमत इस बात पर सहमत है कि उनकी लाभप्रदता को बनाए रखने के लिए प्रति बैरल 75 डॉलर की क़ीमत की आवश्यकता होती है। ऊर्जा उद्योग के सूत्रों का कहना है कि जैसे ही क़ीमत 85 डॉलर के नीचे आ गिरेगी, वैसे वैसे बंद होते निम्न उत्पादन वाले तेल के कुएं के अलावा निवेश भी धीरे धीरे वापस हो जाएगा। अमरीका से पहले, संकट के प्रभाव को पहले से ही महसूस कर लेने वाला कनाडाई भारी तेल होगा। गैर-परंपरागत कनाडाई तेल की समस्या सिर्फ उसकी उच्च उत्पादन लागत ही नहीं है, बल्कि उसके उत्पादन की लागत भी है : अरब की खाड़ी से तेल परिवहन की लागत प्रति बैरल 3 डॉलर से अधिक नहीं है, जबकि पश्चिमी कनाडा से आने वाले तेल पर लागत 12 डॉलर से 15 डॉलर के बीच है।

इसका कारण यह है कि उत्पादन तटीय क्षेत्रों और निर्यात टर्मिनल से अंदरूनी क्षेत्रों में होता है और यह भी एक वास्तविकता है कि टार और डामर से निकाला गया कनाडा का तेल भारी और घना है, इसे मैक्सिको की खाड़ी या अमरीका के पूर्वी तट तक पाइपलाइनों के ज़रिये हज़ारों मील तक स्थानांतरित करने के लिए बड़े पंप शक्ति की आवश्यकता होती है। आखिरकार, अपनी निम्न गुणवत्ता के कारण यह तेल पहले से ही क़ीमतों में छूट के साथ बेचा जाता है और इसमें बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी तभी होती है जब बाज़ार कमजोर होता है और आपूर्ति बढ़ जाती है।

2003-08 और 2010-2011 के दौरान कच्चे तेल के हाजिर भाव में अभूतपूर्व वृद्धि से तेल की क़ीमत के निर्धारकों के बारे में एक गर्मागर्म सार्वजनिक बहस छिड़ गई। एक लोकप्रिय दृष्टिकोण यह था कि 2003-08 और 2010-2011 के दौरान तेल की क़ीमत में हुई वृद्धि को आर्थिक बुनियादी बातों से नहीं समझाया जा सकता है। इसके बावजूद, यह संकट क़ीमतों में सट्टेबाजों के एक प्रमुख निर्धारक बनने के साथ तेल के वायदा बाज़ारों के 'वित्तीयकरण' कहे जाने वाले कारण से पैदा हुआ था। इस व्याख्या ने तेल वायदा बाज़ारों को विनियमित करने के लिए राजनीतिज्ञों से पहल करने की मांग की।

सिद्धांत में, जहां वास्तविक तेल ख़रीदा और बेचा जाता है, वहां वायदा बाज़ार पर क़ीमत हाजिर बाज़ार पर क़ीमत को बढ़ा सकती है। कुछ अध्ययन (कॉफमैन एवं उलमैन, 2009) इस बात का संकेत (या तो संकेत देते हैं या फिर सुबूत उपलब्ध कराते हैं) देते हैं कि हाज़िर बाज़ार और वायदा बाज़ारों के बीच के रिश्तों में बदलाव को वर्षों से देखा जाता है और मौलिक बाज़ार के घटनाक्रम से आई क़ीमतों में लंबी अवधि वाली प्रवृत्ति अटकलों द्वारा प्रभावित की गई हैं। ट्रीउल्जी, डीएक्लेसिया और बेंसिवेंगा (2010) उपभोक्ताओं की उस चिंता की पुष्टि करते हैं जिसमें उपभोक्ता अटकलों से और डॉलर/यूरो विनिमय दर की अनियमित प्रवृत्ति से प्रेरित तेल की क़ीमत के चरम अस्थिरता के बारे में अपनी चिंता जताते हैं। इसके अलावा, स्टीवेंस एवं सेशंस (2008) तथा आचार्या (2009) इसके लिए प्रमाण भी मुहैया कराते हैं कि कच्चे तेल सूची होल्डिंग्स और वायदा क़ीमतों में एक सकारात्मक संबंध दिखता है और इस प्रकार यह हाज़िर बाज़ार की क़ीमतों को भी प्रभावित करता है। बुयुक्शीन (2011) ने बताया कि ''मौलिक आंकड़ों के साथ साथ बचत किए गए धन की बढ़ोतरी की गतिविधियां और अन्य वित्तीय बाज़ार के भागीदार पास और दूर शर्तों के साथ वायदा अनुबंध के मज़बूत सहएकीकरण के लिए जिम्मेदार हैं।''

हालांकि ज़्यादातर अध्ययन इस बात का अनुमोदन नहीं करते हैं कि तेल की क़ीमतों में वृद्धि के कारण अटकलें हैं, अलक्विस्ट एवं जरवैस (2011) की व्याख्या है कि बड़े और लगातार होने वाली मांग के झटके के मामले में तेल की क़ीमत में उतार-चढ़ाव आपूर्ति में कमी की उपस्थिति में वैश्विक वास्तविक गतिविधि में वृद्धि से संबंधित हैं। अर्थशास्त्री लुट्ज कीलियन, बैसम फ़ैटफ़ एवं लवन महादेवा द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण पर रिपोर्ट (2012) इस बात पर ज़ोर देती है कि वायदा और हाजिर क़ीमतें ''आम आर्थिक बुनियादी बातों'' को प्रतिबिंबित करते हैं। इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि हाज़िर और वायदा क़ीमतों के बीच सह-आंदोलन तेल वायदा बाज़ारों के वित्तीयकरण के बजाय आम आर्थिक बुनियादी बातों को दर्शाता है। तेल की वास्तविक क़ीमत में 2005 तक अच्छी प्रगति सिर्फ उसकी उछाल ही नहीं थी, बल्कि एशिया से कच्चे तेल के लिए अप्रत्याशित रूप से बढ़ती मांग के रूप में आर्थिक बुनियादी बातों की क्षमती भी थी।

तेल क़ीमतों के महत्वपूर्ण निर्धारक यानी मांग झटका, आपूर्ति झटका, वायदा मूल्य, विनिमय दर और अनुमान आपस में आवश्यक रूप से अलग नहीं हैं बल्कि एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और कई मायनों में एक-दूसरे के पूरक भी हैं।

जहां वास्तविक तेल ख़रीदा और बेचा जाता है, वहां वायदा बाज़ार पर क़ीमत हाजिर बाज़ार पर क़ीमत को बढ़ा सकती है। कुछ अध्ययन (कॉफमैन एवं उलमैन, 2009) इस बात का संकेत (या तो संकेत देते हैं या फिर सुबूत उपलब्ध कराते हैं) देते हैं कि हाज़िर बाज़ार और वायदा बाज़ारों के बीच के रिश्तों में बदलाव को वर्षों से देखा जाता है और मौलिक बाज़ार के घटनाक्रम से आई क़ीमतों में लंबी अवधि वाली प्रवृत्ति अटकलों द्वारा प्रभावित की गई हैं।

1997 और 2011 के बीच कच्चे तेल की क़ीमत में परिवर्तन की व्याख्या आपूर्ति/मांग संतुलन से संबंधित केवल बुनियादी बातों के साथ समझाने के लिए मुश्किल हो गया है। यह विश्लेषण अतिरिक्त कारकों की जांच करता है, जिसका तेल की क़ीमत में वृद्धि करने में योगदान हो सकता है। इस तरह का विश्लेषण इस बात का समर्थन नहीं करता है कि सट्टा गतिविधि ने तेल की क़ीमतों में बदलाव को प्रभावित किया है। सट्टेबाज तरलता उपलब्ध कराने के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मूल्य की खोज में सहायता करते हैं; हालांकि, इसके छोटे-से-कोई सबूत भी नहीं है कि सट्टेबाजों की बढ़ती भूमिका क़ीमतों को संचालित करती है। जनवरी 1997 और दिसंबर 2011 के बीच तेल की क़ीमतों में परिवर्तन मौलिक आपूर्ति और मांग के कारकों के कारण बड़े पैमाने पर हुआ।

भारत में, इन दिनों तेल क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी बाज़ार प्रणाली के कारण तेल की क़ीमतों का उच्चावचन वैश्विक मूल्यों के साथ पटरी पर आ गया है। अत: ऊपर्युक्त सभी कारक अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के लिए प्रासंगिक हैं और भारत में भी तेल की क़ीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए ये कारक प्रभावशाली हैं। हालांकि, भारत में तेल क़ीमतों के निर्धारण में आपूर्ति पक्ष वाले कारक ज़्यादा प्रासंगिक हैं, चूंकि एक आपूर्तिकर्ता के बाधा पैदा करने की स्थिति में हमें अन्य नये आपूर्तिकर्ता की तलाश भी करनी होगी। अन्य महत्वपूर्ण कारक, जैसे, सरकारी नीति और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संबंध भी भारत में तेल क़ीमतों के अभियान में बड़ा योगदान देने वाले कारक हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में हालिया तेल जासूसी घटना यह दिखाती है कि भारतीय बाज़ार में तेल मूल्यों को प्रभावित करने में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी प्रभावी रूप से कार्य करती है। इसलिए, 2015 के केंद्रीय बजट से तेल क्षेत्र यह आशा करता है कि सरकार तेल मूल्य प्रणाली में समग्र प्रगति हेतु तेल की जबरदस्त मांग और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को ध्यान में रखते हुए तथा एक टिकाऊ नीति का निर्धारण करे, क्योंकि स्थायित्व और संवृद्धि के लिए तेल एक आवश्यक निवेश है।

इस विश्लेषण की मुख्य उपलब्धि दिखाती है कि रेखांकित अवधि में तेल बाज़ार उतना सक्षम साबित नहीं हुआ जितना कि बाज़ार की परिकल्पना के तहत उसकी भविष्यवाणी की गई थी। इसके अलावा, सट्टेबाजी, अत्यधिक व्यापार और बढ़ती क़ीमतों में अस्थिरता जैसी बाज़ार की कई घटनाओं ने इस बात का संकेत दिया कि बाज़ार ने एक काल्पनिक बुलबुले के इशारे को प्रदर्शित किया। व्यवहार सिद्धांत की अंतर्दृष्टि लागू करते हुए देखी गई प्रवृत्ति के बुनियादी वाहकों की चर्चा की गई। आश्चर्य की कोई बात नहीं कि इन सिद्धांतों की व्याख्यात्मक शक्ति पर्याप्त थी और इस सिद्धांत ने निवेशक के व्यवहार के पीछे के कारणों के साथ साथ, लंबे समय तक खिंची गलत क़ीमत निर्धारण की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों को समझने में योगदान दिया। ❑

भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यः अतीत और वर्तमान

शाइन जैकब

हालांकि इंडियन क्रूड ऑयल बॉस्केट और पेट्रोलियम पदार्थों के बीच कोई संबंध नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार और किसी खास उत्पादों के मांग-आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर है। पेट्रोल का मूल्य सिंगापुर क्षेत्र के मूल्य और डीज़ल, किरोसीन तथा एलपीजी का मूल्य अरब-खाड़ी देशों के मूल्य पर निर्भर है

कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का प्रभाव भारत में वित्तीय घाटे से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तक लगभग सभी चीजों पर पड़ता है।

आम आदमी के लिए, हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत हमेशा ही एक पहेली रही है। इंडियन बास्केट क्रूड ऑयल और व्यापार समतुल्यता मूल्य तंत्र (ट्रेड पैरिटि प्राइसिंग सिस्टम) जैसे शब्द उलझन पैदा करते हैं जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के पूर्व शोधन मूल्य का हिसाब रखने के लिए किया जाता है।

पेट्रोलियम कारोबार क्षेत्र को मूल रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है– 1) अपस्ट्रीम- इसके तहत कच्चे तेल और गैस का अन्वेषण और उत्पादन है तथा 2) डाउनस्ट्रीम– इसके तहत परिष्करण और विपणन को शामिल किया गया है। देश में कच्चे तेल का उत्पादन गत वित्त वर्ष में 337.88 लाख टन रहा जिसमें 2012-13 के 378.62 लाख टन के तुलना में 0.20 प्रतिशत की मामूली कमी आई। इस मामले में भारत की बड़ी चिंता कच्चे तेल के पुराने हो रहे क्षेत्र और प्रौद्योगिकी की कमी है वहीं राजस्थान और कृष्णा-गोदावरी के जल के भीतर उपलब्ध ब्लॉकों से उत्पादन के क्षेत्र में आशा की एक झलक मिलती है जबकि गत वित्त वर्ष में शोधन क्षमता 2150.66 लाख टन प्रति वर्ष पर पहुंच गया और 2017 तक इसे 3070 लाख टन पर पहुंच जाने की संभावना है। पेट्रोलियम मूल्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कच्चे तेल की कीमत, मांग एवं आपूर्ति असंतुलन, कर एवं शुल्क, बाज़ार की परिस्थितियां, उत्पादन और खपत, संग्रह, आयात, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, रियायत और स्थानीय प्रभाव हैं। वर्तमान मूल्य प्रक्रिया की कवायद को समझने के लिए कच्चे तेल से संबंधित हलचल और भारत में ईंधन के मूल्य निर्धारण के इतिहास को समझना होगा।

इंडियन बास्केट क्रूड ऑयल

कच्चे तेल का निर्माण लाखों वर्षों में प्लवक और शैवाल के अवशेषों से वायु की अनुपस्थिति में हुआ है। इसके उद्गम स्थल के आधार पर कच्चे तेल को वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ब्रेंट, दुबई या मीनास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं दूसरी तरफ परिष्करणकर्ता भी 'मीठा' (सल्फर की कम मात्रा के साथ) या 'खट्टा' (सल्फर की अधिक मात्रा के साथ, 2.5 प्रतिशत सल्फर वाले कच्चे तेल को उपयोग योग्य बनाने लिए अधिक परिशोधन की आवश्यकता पड़ती है), भार या श्यानता (गाढ़ेपन) के आधार पर पेट्रो पदार्थों का वर्गीकृत करते हैं।

इंडियन बास्केट क्रूड का निर्माण देश में खट्टे और मीठे कच्चे तेल के कुल प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) से होता है। यह भारतीय शोधशालाओं द्वारा कच्चे तेल के परिष्करण का औसत होता है जो कि एक वर्ष में मीठे कच्चे तेल और खट्टे कच्चे तेल के वास्तविक

लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं और इन दिनों अंग्रेजी दैनिक बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ कार्यरत हैं। ईमेलः shinejac@gmail.com

परिष्करण के अनुपात में होता है। मीठे कच्चे तेल के मूल्य निर्धारण के लिए कच्चा तेल 'ब्रेंट' को मानदंड के रूप में माना गया है। खट्टे कच्चे तेल के मूल्य निर्धारण के लिए 'दुबई' और 'ओमान' को मानदंड निर्धारित किया गया है। गत वित्त वर्ष के दौरान इंडियन बास्केट क्रूड मूल्य के निर्धारण के लिए ब्रेंट के मूल्य का प्रतिदिन मूल्यांकन किया गया और दुबई और ओमान का अनुपात 30.1:69.9 के औसत में निकाला गया। भारतीय शोधशालाओं द्वारा अधिक से अधिक खट्टे तेल को उपभोग शुरू करने से हाल के वर्षों में भारतीय बास्केट में ओमान और दुबई के कच्चे तेल का महत्व बढ़ा है। हाल के समय तक, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मूल्य में भारी गिरावट आने से पहले भारत में तेल की कीमतों में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा था। इंडियन बास्केंट क्रूड ऑयल के औसत मूल्य में 2003-04 में 27.97 डॉलर प्रति बैरल से 2013-14 में 105.52 डॉलर प्रति बैरल की लगभग तिगुनी उछाल देखी गई (तालिका 1)।

हालांकि इंडियन क्रूड ऑयल बॉस्केट और पेट्रोलियम पदार्थों के बीच कोई संबंध नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार और किसी खास उत्पादों के मांग-आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर है। पेट्रोल का मूल्य सिंगापुर क्षेत्र के मूल्य और डीज़ल, किरोसीन तथा एलपीजी का मूल्य अरब-खाड़ी देशों के मूल्य पर निर्भर है।

मूल्य और इसका इतिहास

भारत में तेल कीमतों के इतिहास पर नजर डालने से पता चलता है कि सरकार ने पहली बार मूल्य नियंत्रित करने का प्रयास 1948 में बर्मा समझौता के तहत किया था। यहां समझौता शेल थ्रू वैल्यूड अकाउंट (वीएसए) व्यवस्था पर आधारित था। वीएसए समझौता एक सूत्र पर आधारित था जो कि नि:शुल्क लदान (एफओबी), समुद्री चार्ज, बीमा, समुद्री क्षति, आयात कर, ब्याज और अन्य शुल्कों का समावेश था।

समूची मूल्य प्रक्रिया के नियमन के संबंध में गहन विचार-विमर्श के बाद सरकार जुलाई, 1975 में प्रशासित मूल्य प्रणाली (एपीएम) लेकर आई। हालांकि इसे तेल कंपनियों का विकास कछुए की चाल से करने की आलोचना के बाद अप्रैल 2002 में समाप्त कर दिया गया। उपर्युक्त व्यवस्था में तेल कंपनियां ऊर्जा

तालिका 1: भारतीय बॉस्केट कच्चा तेल कीमत (डॉलर प्रति बैरल)

वर्ष	औसत
2003-04	27.97
2004-05	39.21
2005-06	55.72
2006-07	62.46
2007-08	79.25
2008-09	83.57
2009-10	69.76
2010-11	85.09
2011-12	111.89
2012-13	107.97
2013-14	105.52

सुरक्षा में जरूरी निवेश के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाने में असमर्थ थे।

उसके बाद देश में अप्रैल 2002 से जनवरी 2004 तक आंशिक तौर पर नियंत्रण हटा लिया गया था जिसके तहत तेल कंपनियां बाज़ार के कारकों के आधार पर पेट्रोल, डीज़ल और घरेलू उपयोग में आने वाली लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के घरेलू उपभोक्ता मूल्य में बदलाव किया। वहीं किरोसीन तेल को इससे अछूता रखा गया। इस दौरान मूल्य बैंड प्रक्रिया पर प्रयोग किया गया, जहां सरकार ने तेल व्यापार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और फ्रेट शुल्कों के आधार पर एक विशेष सीमा के तहत सीमित छूट प्रदान की।

व्यापार समतुल्यता मूल्य (ट्रेड पैरिटी प्राइसिंग-टीपीपी)

केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2005 में व्यापक मूल्य संरचना का सुझाव देने के लिए सी.रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस पैनल ने परिष्करण और खुदरा के स्तर पर पेट्रोल और डीज़ल के लिए व्यापार समतुल्यता मूल्य (टीपीपी) के सूत्र की संस्तुति की। यह सूत्र आयात समतुल्य मूल्य (आईपीपी) और निर्यात समतुल्य मूल्य (ईपीपी) का औसत था जिसमें 80:20 का अनुपात रखा गया था। देश ने व्यापार समतुल्यता के दौर में 16 जून, 2006 को कदम रखा। जिसके तहत रिफाइनरी गेट प्राइस (आरजीपी), वह मूल्य जिस पर कोई पदार्थ शोधशाला से तेल विपणन कंपनियों के विपणन विभाग को बेचा जाता है, का निर्धारण होता है।

आयात समतुल्य मूल्य और निर्यात समतुल्य मूल्य क्या है?- आयात समतुल्य व्यवस्था से आशय किसी आयातकर्ता द्वारा भारतीय पत्तन पर चुकाए जाने वाले मूल्य से है, जो कि नि:शुल्क लदान (एफओबी), समुद्री माल भाड़ा, बीमा, समुद्री क्षति, आयात कर एवं अन्य शुल्कों का योग होता है। दूसरी तरफ, निर्यात समतुल्य व्यवस्था वह मूल्य जो तेल कंपनियों को अपने परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से प्राप्त होता है। ईपीपी के संघटकों में एफओबी मूल्य और एडवांस लाइसेंस लाभ शामिल हैं। पेट्रोलिय उत्पादों के निर्यात में देश की हिस्सेदारी बढ़ने पर निर्यात समतुल्यता को मूल्य का हिस्सा बनाया गया। पिछले वित्त वर्ष में, भारत ने 3,68,279 करोड़ रुपये के 678.64 लाख टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया।

इस व्यवस्था के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलिय कॉर्पोरेशन जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां जब 15 दिन पर पेट्रोल और डीज़ल का क्रय करती हैं तब व्यापार समतुल्यता मूल्य अदा करती हैं जबकि एलपीजी और किरोसिन के मूल्यों का निर्धारण आयात समतुल्यता के आधार पर किया जाता है और महीने के पहले दिन ही तय किया जाता है, वहीं शेष पेट्रोलियम उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

वर्तमान रुझान

इस क्षेत्र में सुधार करने के लिए, तेल कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और विनिमय दर पर जून, 2010 में पेट्रोल मूल्य का निर्धारण स्वयं से करने की अनुमति दी गई। बढ़ते अंडर रिकवरी (व्यापार समतुल्यता/आयात समतुल्यता पर आधारित आवश्यक मूल्य और वास्वविक विक्रय मूल्य के अंतर को ओएमसी की अंडर रिकवरी कहते हैं) को कम करने के लिए क्रमिक रूप से डीज़ल को अनियंत्रित करने की शुरुआत जनवरी, 2013 से की गई। हालांकि उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य में तेज वृद्धि से इस प्रयास को धक्का लगा। पिछले वर्ष के अंत से मूल्यों में गिरावट आने लगी, जब सरकार ने अक्टूबर, 2014 में डीज़ल के मूल्य को पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर कर दिया।

डीज़ल को नियंत्रणमुक्त करने के साथ ही अंडर रिकवरी कम करने के लिए पिछले वित्त वर्ष के शुरुआती नौ महीनों में अप्रैल से दिसंबर तक बेहतर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और रुपये की मजबूती से संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर समग्र रूप से अंडर रिकवरी को 67,091 करोड़ रुपये कम करने में सहायता मिली। वित्त वर्ष 2013-14 में रियायत 1,39,869 करोड़ रुपये के आसपास और वित्त वर्ष 2012-13 में 1,61,029 करोड़ रुपये के आसपास था। (तालिका 2 देखें)।

पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण सेल (पीपीएसी) के मुताबिक, इंडियन बॉस्केट क्रूड ऑयल का मूल्य पिछले महीने छह वर्षों के न्यूनतम स्तर 49 डॉलर प्रति बैरल था, जो 27 फरवरी को 59.19 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। किरोसिन के मामले में फरवरी

तालिका 2: वर्षवार रियायत

वर्ष	रियायत
2005-06	40000
2006-07	49387
2007-08	77123
2008-09	103292
2009-10	46051
2010-11	78190
2011-12	138541
2012-13	161029
2013-14	139869

महीने में अंडर रिकवरी 13.32 प्रति लीटर था। जून, 2014 तक ब्रेंट क्रूड का मूल्य 115 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ था, उसके मद्देनजर यह अब भी भारत के

तालिका 3: भारतीय बॉस्केट कच्चा तेल मूल्य– 2014-15

माह	औसत कच्चा मूल्य (डॉलर/बैरल)
अप्रैल	105.56
मई	106.85
जून	109.05
जुलाई	106.30
अगस्त	101.89
सितंबर	96.96
अक्टूबर	86.83
नवंबर	77.58
दिसंबर	61.21
जनवरी	61.21

*(**स्रोत:** तेल मंत्रालय एवं पीपीएसी)*

लिए एक राहत की बात है। भारत जैसे देश जो अपनी आवश्यकता का 80 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, उस स्थिति में भी यह एक अच्छी खबर है।

2013-14 के दौरान कच्चे तेल का आयात 8,64,875 करोड़ रुपये का 1892.38 लाख टन था जबकि 2012-13 में यह 7,84,652 करोड़ का 1847.95 लाख टन था। इस प्रकार मात्रा के स्तर पर इसमें 2.40 प्रतिशत और राशि के स्तर पर 10.22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। आयातकर्ता होने के कारण तेल मूल्य में कमी आने से सरकार को अपने रियायत बोझ को कम करने में मदद मिली साथ ही वर्तमान वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखने में भी राहत मिली और इससे रुपये पर दबाव कम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में यह कमी मुख्य रूप से अमरीका और कनाडा में शेल ऑयल से अपरंपरागत रूप से तेल उत्पादन में भारी बढ़ोतरी के कारण हुआ।

जब मूल्य में भारी कमी आई तब मूल्य को फिर से बढ़ाने के लिए विश्व के सबसे बड़ा तेल उत्पादक संघ ओपेक से उत्पादन में कमी करने की उम्मीद की गई थी। हालांकि, सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता होने के कारण सऊदी अरब ने अपने बाज़ार शेयर देने में अनिश्चितता व्यक्त की थी। उसे उम्मीद थी की कम मूल्य से अमरीका के शेल उत्पादन में कटौती होगी। जिसके कारण मूल्य पिछले छह वर्षों के न्यूनतम स्तर पर चला गया।

वहीं यह रूस, सऊदी अरब और वेनेजुएला जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के लिए कठिन समय है, भारत, जापान जैसे उभोक्ता देशों के लिए उनकी संकट की घड़ी में यह एक वरदान साबित हुआ है। इसके कारण से भारतीय बॉस्केट में कच्चे तेल की कीमत अप्रैल में 105.56 डॉलर प्रति बैरल से जनवरी में 46.59 डॉलर प्रति बैरल हो जाने से 56 प्रतिशत की औसत कटौती दर्ज की गई है। हालांकि, विशेषज्ञों को डर है कि पेट्रोल और डीज़ल के अनियंत्रित मूल्य से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में उछाल और बढ़ोतरी भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। इस चिंता को सही ठहराते हुए वित्त मंत्री के पूर्ण आम बजट पेश करने के कुछ ही घंटों के बाद पेट्रोल और डीज़ल के मूल्य में क्रमश: 3.18 रुपये और 3.09 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई।

हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था और तेल कंपनियों के लिए यह मौका वैश्विक मूल्य में आई गिरावट का अधिक से अधिक लाभ उठाने का है। ❑

योजना

आगामी अंक

मई 2015

पर्यटन क्षेत्र

जून 2015

वैकल्पिक चिकित्सा

विनिर्माण क्षेत्र के विकास में प्रवासियों की भूमिका

नितिन प्रधान

वर्ष 2012 में खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों ने करीब सत्तर अरब डालर की राशि भारत भेजी। इस समूह की संपन्नता का पूरा लाभ उठाने के लिए ही अब सरकार इस वर्ग को देश के विनिर्माण क्षेत्र की तरफ लाने में जुटी है। विदेशों में रह रहे अपने देशवासियों की घरेलू उद्योगों में हिस्सेदारी बढ़ाने के मामले में अब तक सबसे ज्यादा सफलता चीन ने प्राप्त की है। हांगकांग और ताइवान के जरिए विदेशी चीनी नागरिकों को औद्योगिक इकाइयों से जोड़ा गया है

देश की अर्थव्यवस्था के विकास का आधार उस देश की विनिर्माण क्षमता होती है। सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी ही तय करती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद कितनी मजबूत है। युवाओं को रोजगार दिलाने से लेकर देश में विदेशी मुद्रा के प्रवाह को बनाए रखना इसी बात पर निर्भर करता है कि विनिर्माण क्षेत्र के विकास की रफ्तार कैसी है। यही वजह है कि आर्थिक उन्नति को एक निश्चित मुकाम तक ले जाने और देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करने के लिए जरूरी है कि देश की विनिर्माण क्षमता को मजबूत बनाया जाए। बीते दो साल में देश की अर्थव्यवस्था में ठहराव आने का सर्वाधिक असर विनिर्माण क्षेत्र पर ही हुआ है। चूंकि औद्योगिक उत्पादन में दो तिहाई हिस्सेदारी इसी क्षेत्र की होती है लिहाजा विनिर्माण क्षेत्र के पिछड़ने से औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार भी खिसकती चली गई। बीते साल मई में केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद से एक बार फिर विनिर्माण क्षेत्र को औद्योगिक उत्पादन की ही नहीं देश की आर्थिक विकास की धुरी फिर से बनाने के प्रयास शुरू हुए हैं।

सरकार ने मेक इन इंडिया के नारे के साथ विनिर्माण क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाने की कोशिश शुरू की है। इसके लिए न केवल घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने की पहल की जा रही है बल्कि विदेशी निवेशकों और प्रवासी भारतीयों को भी देश के विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की मौजूदा हिस्सेदारी मात्र 15 फीसद है। सरकार चाहती है कि अगले पांच साल में इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर पच्चीस फीसद तक लाया जाए। देश की आर्थिक विकास दर को दस फीसद के ऊचे स्तर तक लाने के लिए यह जरूरी है कि विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जीडीपी में अपेक्षित रूप से बढ़ता रहे लेकिन इसके लिए आवश्यकता है बड़ी मात्रा में निवेश की।

यह निवेश कहां से आएगा? घरेलू उद्योगों के हाथ बंधे हैं क्योंकि न तो अभी देश में उनके उत्पादों की मांग बढ़ रही है और न ही विस्तार के लिए उनके पास सस्ते संसाधन उपलब्ध हैं। यही वजह है कि सरकार घरेलू उद्योगों को विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में माहौल तैयार कर रही है तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वार खोलने के साथ साथ प्रवासी भारतीयों में इसकी संभावनाएं तलाश कर रही है। प्रवासी भारतीयों को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के प्रयास पिछली कई सरकारें करती रही हैं। इसके लिए सरकारों ने कई घोषणाएं भी कीं। किंतु अभी तक इन प्रयासों के अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं। समय समय पर प्रवासी भारतीयों ने खुद भी इसके लिए कई प्रयास किए हैं लेकिन लालफीताशाही और जटिल नियमों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था से उनकी दूरी लगातार बनी रही। केंद्र की

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। संप्रति दैनिक जागरण समाचार पत्र में ब्यूरो प्रमुख हैं। इससे पूर्व स्टार न्यूज और सीएनबीसी आवाज टीवी चैनलों में वरिष्ठ संपादकीय पदों पर कार्य कर चुके हैं। ईमेल: pradhnitin@gmail.com

तालिका 1: औद्योगिक उत्पादन में विनिर्माण की हिस्सेदारी (प्रतिशत)

अवधि	खनन	विनिर्माण	बिजली	कुल
योगदान	14.2	75.5	10.3	100
2005-06	2.3	10.3	5.2	8.6
2006-07	5.2	15	7.3	12.9
2007-08	4.6	18.4	6.3	15.5
2008-09	2.6	2.5	2.7	2.5
2009-10	7.9	4.8	6.1	5.3
2010-11	5.2	8.9	5.5	8.2
2011-12	-2.0	3	8.2	2.9
2012-13	-2.3	1.3	4	1.1
2013-14	-0.8	-0.8	6.1	-0.1

स्रोत: *वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय*

सरकार ने एक बार फिर इसके लिए प्रयास शुरू किए हैं।

बीते एक दशक में विदेशों में बसे हुए भारतीयों की संपन्नता में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इन प्रवासी भारतीयों की कुल संख्या देश की जनसंख्या का मात्र दो फीसद हैं लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इन दो फीसद भारतीयों के पास एक खरब डालर से अधिक की संपत्ति है। साल 2012 में देश की कुल जीडीपी दो खरब डॉलर थी। संपत्ति के अलावा इस समूह की आमदनी भी देश की जीडीपी के बीस फीसद के बराबर है। यह समूह करीब चार सौ अरब डॉलर सालाना की आमदनी करता है। इस समूह में प्रवासी श्रमिक से लेकर अमरीका में सीनेटर और बड़े उद्योगपति तक शामिल हैं। इन आंकड़ों से प्रवासी भारतीयों की निवेश की क्षमता का अंदाज लगाया जा सकता है। देश अभी तक इस समूह की वित्तीय क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा पाया है। देश की अर्थव्यवस्था में इनकी भागीदारी अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है। देश के विनिर्माण क्षेत्र में भारी मात्रा में इस समूह से निवेश आने के बजाए अभी तक देश खाड़ी देशों में काम कर रहे प्रवासी भारतीयों की तरफ से देश में आने वाली आमदनी से ही संतोष कर रहा है। वर्ष 2012 में खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों ने करीब सत्तर अरब डालर की राशि भारत भेजी। इस समूह की संपन्नता का पूरा लाभ उठाने के लिए ही अब सरकार इस वर्ग को देश के विनिर्माण क्षेत्र की तरफ लाने में जुटी है।

विदेशों में रह रहे अपने देशवासियों की घरेलू उद्योगों में हिस्सेदारी बढ़ाने के मामले में अब तक सबसे ज्यादा सफलता चीन ने प्राप्त की है। हांगकांग और ताइवान के जरिए विदेशी चीनी नागरिकों को औद्योगिक इकाइयों से जोड़ा गया है। इसकी एक वजह यह रही है कि चीन ने अपने देश में उद्योग लगाने के नियमों को बेहद आसान बनाया है। औद्योगिक मंजूरियां लेने से लेकर वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए वहां महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ता। भारत में अभी भी एक परियोजना लगाने के लिए पचासों अलग अलग मंजूरियों की आवश्यकता पड़ती है जिसमें महीनों और कई बार तो वर्षों लग जाते हैं लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस के जरिए वहां औद्योगिक इकाई लगाने के लिए मंजूरी कुछ दिनों में ही मिल जाती है। यही वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी अभी भी भारत में मात्र पंद्रह फीसद तक सीमित है। चीन ही नहीं थाईलैंड और मलेशिया जैसे छोटे छोटे देशों में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी इनकी कुल जीडीपी के एक तिहाई तक पहुंच चुकी है।

एक अनुमान के मुताबिक इन दो फीसद भारतीयों के पास एक खरब डालर से अधिक की संपत्ति है। साल 2012 में देश की कुल जीडीपी दो खरब डॉलर थी। संपत्ति के अलावा इस समूह की आमदनी भी देश की जीडीपी के बीस फीसद के बराबर है। यह समूह करीब चार सौ अरब डॉलर सालाना की आमदनी करता है। इस समूह में प्रवासी श्रमिक से लेकर अमरीका में सीनेटर और बड़े उद्योगपति तक शामिल हैं।

प्रवासी भारतीयों की भारतीय अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी और विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में भागीदारी से दूरी बनने की प्रमुख वजह सरकारी नियम कायदों में जटिलता और मंजूरी लेने की दुरूह व्यवस्था ही रही है। प्रमुख प्रवासी उद्योगपति जीपी हिंदुजा ने एक बिजनेस पत्रिका को दिए साक्षात्कार में इस बात को स्वीकार भी किया है कि भारत में नौकरशाही अड़चनों के चलते ही प्रवासी भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने से हिचकते हैं। उनके मुताबिक दो चीजें ही प्रवासी भारतीयों को विनिर्माण क्षेत्र में निवेश से रोकती हैं। पहला, आवश्यक मंजूरियों में लगने वाला समय और दूसरा, पारदर्शिता का अभाव। संभवत: यही वजह है कि प्रवासी भारतीयों की तरफ से आने वाला निवेश अधिकतर पोर्टफोलियो निवेश यानी शेयर बाज़ारों में होता है। इसमें पारदर्शिता भी बनी रहती है और निवेश पर रिटर्न की दर भी अधिक रहती है। यह बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवासी भारतीयों का भरोसा तो है लेकिन इसमें भागीदारी का रास्ता उनका दूसरा है।

बीते कुछ महीनों में सरकार ने इस समूह से हो सकने वाले संभावित निवेश को देश में लाने के उपायों की रफ्तार बढ़ाई है। इसमें विदेशी नागरिकता यानी पीआइओ कार्ड से लेकर एनआरआई खातों के जरिए देश में धन लाना आसान बनाने के उपाय भी शामिल हैं। सरकार चाहती है कि यह वर्ग खुले दिल से देश के विनिर्माण क्षेत्र के विकास में भागीदार बने। प्रवासी भारतीयों को देश के विनिर्माण क्षेत्र में इकाइयां लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस जैसे आयोजन सरकार की नीति रीति से लगातार इस समूह को अवगत कराते रहे हैं लेकिन इस वर्ष सरकार ने पीआइओ कार्ड के सपने को हकीकत में बदलकर इस समूह के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। मेक इन इंडिया अभियान के जरिए सरकार विनिर्माण क्षेत्र को रफ्तार देने की कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से हो रहे इन बदलावों से अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में इसके संकेत भी मिलना शुरू हुए हैं लेकिन रास्ता अभी काफी लंबा है।

प्रवासी भारतीयों की संपन्नता की हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ाने के लिए सरकार को अभी बहुत से उपाय करने होंगे। इसके लिए जरूरी है कि सरकार विनिर्माण क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी इस समूह के निवेश को प्रोत्साहन दे ताकि प्रवासी भारतीयों का देश की अर्थव्यवस्था में चौमुखी योगदान संभव हो सके। यह समूह लगातार देश के शिक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश के नियम आसान बनाने की सलाह देता रहा है। भारतीय मूल के डाक्टर, इंजीनियर आदि पेशेवर व्यवसायिकों का एक बड़ा समूह अमरीका, कनाडा और यूके जैसे संपन्न देशों में रहता है। लिहाजा यह वर्ग देश के शिक्षा क्षेत्र से जुड़ने का इच्छुक रहता है। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों को आकर्षित करने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र को इनके लिए खोला जा सकता है। इस क्षेत्र में आने वाला निवेश न केवल देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ाएगा बल्कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए कुशल कामगारों की आवश्यकता भी पूरी करेगा। विनिर्माण के विकास के साथ साथ कौशल विकास भी उतना ही आवश्यक माना जा रहा है। हालांकि सरकार ने इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय गठित किया है लेकिन अभी इस क्षेत्र में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की स्पष्टता का इंतजार इस वर्ग को है।

सरकार घोषणा कर चुकी है कि निर्यात वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया की सफलता बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्षेत्र में भी प्रवासी भारतीयों का योगदान अहम हो सकता है। विदेशी बाज़ारों में मांग की अच्छी समझ रखने वाले प्रवासी भारतीयों को देश में मेक इन इंडिया के जरिए निर्यातोन्मुख उत्पादों की इकाइयां लगाने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्पेशल इकोनोमिक जोन के जरिए सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने की जो कोशिश शुरू की है, वह प्रवासी भारतीयों को साथ ले पूरी की जा सकती है। हालांकि एसईजेड के नियमों में बदलाव के संकेत दे सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस प्रयास को आगे ले जाना चाहती है। ❑

(पृष्ठ 34 का शेषांश)

पंद्रह महिला कैदियों का साक्षात्कार किया, जिनमें से पांच ने यह माना की कि पुलिस हिरासत में पुलिस ने उनके साथ जोर-जबरदस्ती की।)

7. वही, पृ. 380, पैरा 2.
8. (1986)2 एससीसी 401
9. विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 के तहत, कानूनी सहायता निश्चित आय से कम (कानूनी सहायता के लिए ऊपरी वित्तीय सीमा राज्यों के आधार पर अलग अलग है) आमदनी वाले गरीबों, महिलाओं, बच्चों, धारा 12 के अंतर्गत किसी भी आमदनी वाले पिछड़ी जातियों और पिछड़ी जनजातियों को उपलब्ध है। मुफ्त कानूनी सहायता निम्नलिखित को भी उपलब्ध है।

(a) मानव तस्करी के शिकार या भिखारी जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित है;

(b) मानसिक रूप से बीमार या निशक्त व्यक्ति;

(c) व्यापक आपदा, नस्ली हिंसा, जाति प्रताड़ना, बाढ़, अकाल, भूकंप या औद्योगिक आपदा के शिकार व्यक्ति;

(d) औद्योगिक कर्मचारी; और

(e) अनैतिक आवागमन (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (छ) या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के खंड (छ) या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ में मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग होम, सुरक्षात्मक गृह में कैद सहित हिरासत में व्यक्ति।

10. महाराष्ट्र राज्य बनाम मनुभाई प्रगति वशी, एआईआर 1996 एससीआई। अप्रैल 1982 से पूर्वव्यापी रूप से राज्य में गैर-सरकारी कानून महाविद्यालयों में अनुदान राशि योजना में बढ़ोतरी करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को दिशानिर्देश देने का निवेदन किया गया था।
11. प्राधिकरण के मुख्य-संरक्षक भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश न्यामूर्ति एच.एल. दत्तु हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
12. अधिनियम की धारा 6(1)
13. अधिनियम की धारा 6(2)
14. अधिनियम की धारा 9(1)
15. अधिनियम की धारा 9(2)
16. अधिनियम की धारा 11(ए) ❑

(पृष्ठ 39 का शेषांश)

"भारतीय श्रम अधिनियम तथा भ्रष्टाचार की लागत: फर्म आकार वितरण से साक्ष्य, "मीमियो, अर्थशास्त्र विभाग, बॉस्टन विश्वविद्यालय।

बर्धन, प्रणब, 2014: "श्रम सुधार मिथक" भारत के लिए विचार, सितंबर 14।

बेस्ले, टिमोथी एवं रॉबिन बर्गीज, 2004: ''श्रम अधिनियम क्या आर्थिक प्रदर्शन रोक सकता है? भारत से साक्ष्य," क्वार्टर्ली जर्नल ऑफ इकॉनोमिक्स 119 (1), 91-134।

भगवती, जगदीश तथा अरविंद पनगढ़िया, 2013: विकास क्यों मायने रखता है: किस तरह भारत में आर्थिक विकास गरीबी घटा सकता है तथा अन्य विकासशील देशों के लिए सीख, लोक कार्य, न्यूयॉर्क।

दास, देब कुसुम, दीपिका वाधवा तथा गुनाजीत कलिता, 2009: भारत के संगठित विनिर्माण में श्रम प्रधान उद्योग की रोजगार संभावना, आईसीआरआईईआर वर्किंग पेपर 236, जून।

डॉट्टी, सियान, वेरॉनिका सी.फीसेंको रोबल्स एव कला कृष्णा, 2011: "रोजगार सुरक्षा विधायन एवं भारत में प्लांट स्तरीय उत्पादकता," एनबीईआर कामकाजी दस्तावेज रु 17693.

गुप्ता, पूनम, राणा हसन एवं उत्सव कुमार, 2008: "बड़े सुधार लेकिन छोटे मुनाफे: भारतीय विनिर्माण में विकास का कमजोर अतीत की व्याख्याष भारतीय नीति मंच 5 (1), 59-123।

हसन, राणा एवं कार्ल जैण्डोक, 2013: "श्रम अधिनियम एवं भारती विनिर्माण में फर्म आकार वितरण" जगदीश भगवती एवं अरविंद पनगढ़िया में (सं.) सुधार तथा भारत में आर्थिक रूपांतरण, ऑक्सफॉर्ड विश्वविद्यालय प्रेस, न्यूयॉर्क, एनवाई, 15-48.

हसन, राणा, देवाशीष मित्रा एवं के.वी.रामास्वामी, 2007: "व्यापार सुधार, श्रम अधिनियम तथा श्रम मांग लोच: भारत से व्यावहारिक साक्ष्य", अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी की समीक्षा 89 (3), 466-481।

हसन, राणा, देवाशीष मित्रा, प्रियरंजन एवं रशद एन.अहसान, 2012: "व्यापार उदारीकरण एवं बेरोजगारी: भारत से साक्ष्य," जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकॉनोमिक्स 97 (2), 269-280।

हसन, राणा, देवाशीष मित्रा एवं आशा सुंदरम, 2013: "विनिर्माण पूंजी तीव्रता निर्धारक: कारक बाजार अपूर्णता की भूमिका," वर्ल्ड डेवलपमेंट 51, 91-103

हसन, राणा, देवाशीष मित्रा एवं आशा सुंदरम, 2013बी: "क्या भारतीय विनिर्माण की उच्च पूंजी तिव्रता व्याख्या करती है?," इंडियन ग्रोथ डेवलपमेंट रिव्यू 6 (2), 212-241

कोचर, कल्पना, उत्सव कुमार, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम एवं ऑयनिस तोकादलिदिस, 2006: "विकास का भारतीय स्वरूप: क्या हुआ, क्या हो रहा है?," जर्नल ऑफ मोनेटरी इकॉनोमिक्स 53, 981-1019

कृष्णा, प्रवीण, देवाशीष मित्रा एवं साजिद चिनॉय, 2001: "व्यापार उदारीकरण एवं श्रम-मांग लोच: तुर्की से साक्ष्य" जर्नल इंटरनेशनल इकॉनोमिक्स 55, 391-409

मित्रा, देवाशीष एवं बेयजा उराल, 2007: "भारतीय विनिर्माण: तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक सुस्त क्षेत्र," जर्नल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकॉनोमिक डेवलपमेंट 17 (4), दिसंबर 2008, 525-560

पनगढ़िया, अरविंद, 2001: "कठोर श्रम कानून: विकास की लघु बाधा?" द इकॉनोमिक टाइम्स, 26 सितंबर।

पनगढ़िया, अरविंद, 2008: "भारत: उभरती विशाल अर्थव्यवस्था" ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क।

रॉड्रिक, डेनी, 1997: "क्या वैश्वीकरण बहुत दूर चला गया है?" वाशिंग्टन, डीसी: इंस्टीटड्युट फॉर इंटरनेशनल इकॉनोमिक्स।

स्लॉटर, मैथ्यू, 2001: "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं श्रम-मांग लोच" जर्नल ऑफ इंटरनेशनल इकॉनोमिक्स 54 (1), 27-56

सुंदरम, आशा, रशद अहसान एवं देवाशीष मित्रा, 2013: "भारत में संगठित एवं असंगठित विनिर्माण के बीच पूरकता" जगदीश भगवती एवं अरविंद पनगढ़िया में (सं.) रिफॉर्म्स इकॉनोमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, ऑक्सफॉर्ड विश्वविद्यालय प्रेस, न्यूयॉर्क, एनवाई, 49-85

हस्तशिल्प, विनिर्माण और रोजगार

शीतल शर्मा
हंसा शुक्ला

भारत में हस्तशिल्प व्यवसाय के माध्यम से रोजगार प्राप्त हो रहा है। ये कारीगर हस्तशिल्प वस्तुओं का उत्पादन कर अपना जीवनयापन कर रहे हैं। भारत में हस्तशिल्प व्यवसाय काफी वृहद पैमाने पर है। किंतु इससे प्राप्त आय से कारीगरों को जीवनयापन हेतु काफी समस्याओं का सामना करना होता है। इतना ही नहीं, ऐसे व्यवसायों से निर्मित सामग्री की विदेश में अच्छी मांग होती है। इसी कारण सरकार द्वारा कई योजनाओं का प्रतिपादन किया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भी हस्तशिल्प व्यवसाय को प्रोत्साहित कर रोजगार प्रदान करने की योजनाएं बनाई गई हैं

अतीत से ही भारत की कलाएं और हस्तशिल्प इसकी सांस्कृतिक व परंपरागत प्रभावशीलता को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम रही हैं। भारत में हर प्रदेश में कला की अपनी एक विशेष शैली लोककला के नाम से जानी जाती है। कई राज्यों में हस्तशिल्प कला प्रसिद्ध है। इनमें से प्रमुख राज्य ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश हैं। प्रस्तुत आलेख में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के विशेष संदर्भ में काष्ठ कला व बेलमेटल हस्तशिल्प तथा इससे संबंधित रोजगार व विनिर्माण क्षेत्र के एक घटक के रूप में संभावनाओं का आकलन किया जा रहा है। इस हस्तशिल्प के निर्माण से इन जनजातियों को रोजगार प्राप्त होता है और यह जनजातियां इसके माध्यम से अपना जीवनयापन करने में सक्षम हैं। बस्तर का हस्तशिल्प भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है।

हस्तशिल्प के प्रमाण मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति के समय से ही प्राप्त हैं ये इस बात का साक्ष्य है कि शिल्प का प्रारंभ व महत्व कई युगों से है। आज हमारे देश में जैसे ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प का प्रचलन बहुत तेजी से हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प की मुख्य भूमिका है। यह उद्योग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाखों को रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग का महत्व इससे प्रतिपादित होता है कि यह उद्योग न केवल लोगों की आवश्यकता पूर्ति करता है बल्कि वृहद पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करता है। भारत का शिल्प इतिहास विश्व प्रसिद्ध है जो भारत के प्रत्येक राज्य के सौंदर्य शास्त्र में भारत में अलग साम्राज्य के प्रभाव को दर्शाता हैं। हमारे देश में मुख्य रूप से राजस्थानी शिल्प, गुजरात शिल्प, दक्षिण भारतीय शिल्प व छत्तीसगढ़ के शिल्प विश्व विख्यात हैं। रोजगार प्रदान करने के मामले में कृषि के बाद हस्त शिल्प उद्योग का ही स्थान है।

भारत में हर राज्य की अपनी विकसित हस्तशिल्प शैलियां हैं ये सभी शैलियां विकसित समग्र रूप से मिलकर समूचे भारतवर्ष को एक अति विकसित शिल्प संस्कृति बनाती हैं। दूसरी ओर पूरे विश्व का 8.14 प्रतिशत जनजातीय हिस्सा भारत में निवास करता है और इन जनजातियों का प्रमुख व्यवसाय हस्तशिल्प है। भारतीय हस्तशिल्प मुख्य परंपरागत तकनीकी से बनाए जाने के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य रूप से सजावटी सामान, दैनिक उपयोग की वस्तुएं व मूर्तियां बनाई जाती हैं। भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद् की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय हस्तशिल्प का विश्व के हस्तशिल्प में 0.8 प्रतिशत का योगदान है। परिषद् की 2009 की रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारतवर्ष की जनजातियां जो कि हस्तशिल्प व्यवसाय में सम्मिलित हैं या जिनके रोजगार का जरिया हस्तशिल्प व्यवसाय है उनका ब्योरा आगे दिया गया है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि संपूर्ण भारत में हस्तशिल्प व्यवसाय के माध्यम से रोजगार प्राप्त हो रहा है। ये कारीगर हस्तशिल्प वस्तुओं का उत्पादन कर अपना जीवनयापन

शीतल शर्मा पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर से "छत्तीसगढ़ की जनजातियों के आर्थिक विकास में हस्तक्षेप कला का योगदान" विषय पर पीएच.डी कर रही हैं। विभिन्न शोध पत्रिकाओं में इस विषय से संबंधित आलेख लिख रही हैं। ईमेल: sheetal268@gmail.com
हंसा शुक्ला उपर्युक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, भिलाई में वाणिज्य विषय की प्राचार्या हैं। वह वाणिज्य संबंधी डॉक्टरल शोधों के लिए छात्रों को निर्देशित भी करती हैं। ईमेल: hansashukla@gmail.com

तालिका 1: भारत में हस्त शिल्पकारों का राज्यवार विवरण

राज्य	हस्तशिल्पकार*	राज्य	हस्तशिल्पकार*
आंध्रप्रदेश	1.05	गुजरात	3.32
असम	1.01	हिमाचल प्रदेश	0.58
गोवा	0.07	कर्नाटक	2.88
हरियाणा	1.42	छत्तीसगढ़	1.02
जम्मू और काश्मीर	5.17	उत्तरप्रदेश	9.72
केरल	0.10	ओडिशा	0.76
महाराष्ट्र	3.24	तमिलनाडु	0.87
अरुणाचल प्रदेश	0.08	पश्चिम बंगाल	3.91
बिहार	1.53	दिल्ली	1.12

** संख्या (लाखों में)*

***स्रोतः** भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद् की रिपोर्ट, 2009*

कर रहे हैं। भारत में हस्तशिल्प व्यवसाय काफी वृहद पैमाने पर है। किंतु इससे प्राप्त आय से कारीगरों को जीवनयापन हेतु काफी समस्याओं का सामना करना होता है। इतना ही नहीं, ऐसे व्यवसायों से निर्मित सामग्री की विदेश में अच्छी मांग होती है। इसी कारण सरकार द्वारा कई योजनाओं का प्रतिपादन किया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भी हस्तशिल्प व्यवसाय को प्रोत्साहित कर रोजगार प्रदान करने की योजनाएं बनाई गई हैं। इस अंतर्संबंध को निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है।

तालिका 2 के माध्यम से यह देखा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भी रोजगार में वृद्धि हुई है और हस्तशिल्प निर्यात में भी वृद्धि हुई है। भारतवर्ष में लगभग 70 लाख आदिवासी हस्तशिल्प परिवार इस व्यवसाय पर निर्भर हैं और करीब 21000 करोड़ का उत्पादन भारतवर्ष में होता है और इसमें से 9.3 हजार करोड़ का हस्तशिल्प निर्यात किया जाता है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि भारतवर्ष में हस्तशिल्प व्यवसाय बहुत ही वृहद पैमाने पर है और एक बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध करा रहा है, जिसे तालिका 3 में देखा जा सकता है। भारत की जनजातियां मुख्य रूप से कृषि के पश्चात् हस्तशिल्प उद्योग पर ही निर्भर हैं और ये जनजातियां मुख्य रूप से दैनिक जरूरतों हेतु जमीन के छोटे टुकड़े पर खेती, वन उत्पादों को इकट्ठा करना व हस्तशिल्प का निर्माण करते हैं।

तलिका 3 में देखा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश व उत्तराखंड की प्राथमिक आय हस्तशिल्प व्यवसाय से ही हो रही है जबकि राजस्थान में जनजातियां अपनी दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं। भारतवर्ष में उत्तरप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, रायगढ व दंतेवाड़ा में मुख्य रूप से हस्तशिल्प व्यवसाय होता है और बेलमेटल व काष्ठकला के लिए बस्तर प्रसिद्ध है।

बस्तर संभाग के अंतर्गत मुख्य हस्तशिल्प बेलमेटल, काष्ठ हस्तशिल्प कला, बांस हस्तशिल्प, मिट्टी हस्तशिल्प, लौह हस्तशिल्प, कोसा हस्तशिल्प आदि प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 13.10 प्रतिशत जनजातियां बस्तर में निवास करती हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से गौंड़, मुरिया, माड़िया, दोरला, भतरा, परचा, हल्बा आदि हैं। बस्तर को आदिवासियों से घिरा हुआ क्षेत्र कहा जाता है। बस्तर संभाग में जनजातियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि के पश्चात् हस्तशिल्प का निर्माण करना है। हस्तशिल्प के निर्माण से वे अपना अर्थोपार्जन करते हैं।

तालिका 2: रोजगार सृजन व निर्यात में संबंध

पंचवर्षीय योजनाएं	प्रस्तावित राशि*	रोजगार सृजन**	निर्यात*
प्रथम	1	-	7.60
द्वितीय	9	-	9.60
तृतीय	8.60	11.35	27.70
चतुर्थ	14.52	14.90	180.70
पंचम	29.80	18.90	755.60
छठवीं	110.90	27.40	1700
सातवीं	122.80	42.15	6400
आठवीं	223.00	77.61	27915

** राशि (करोड़ रुपये में), ** संख्या (लाख में)*

***स्रोतः** विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़े*

हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया

खूबसूरत जंगलों और आदिवासी संस्कृति में रंगा बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। आदिम संस्कृति का एक समृद्ध गढ़ है बस्तर सांस्कृतिक ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं प्राकृतिक सौंदर्य से धनी यह क्षेत्र सदैव ही पर्यटकों को लुभाता चला आ रहा है। यहां के लोक जीवन की अपनी एक अलग पहचान है। बस्तर के मेले और त्योहारों की अपनी अलग ही छटा देखने को मिलती है। बस्तर का दशहरा नारायणपुर की मड़ई और जगह-जगह भरने वाले ग्रामीण हाट और बाज़ार बस्तर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। इन प्रदर्शनियों व मेलों के माध्यम से कारीगर अपने हस्तशिल्प उत्पादों का विक्रय कर पाते हैं और बस्तर के दशहरे में काष्ठकला की अद्‌भुत कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। काष्ठकला के माध्यम से ही दशहरे का रथ बनाया जाता है। देश-विदेश से सैलानी यहां पर आते हैं और इन उत्पादों को क्रय करते हैं जिससे इन शिल्पकारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। बस्तर जिले का हस्तशिल्प भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है बस्तर में लगभग 20 से 25 हजार कारीगर हस्तशिल्प व्यवसाय में सम्मिलित हैं। बस्तर के अंतर्गत दो मुख्य हस्तशिल्प हैं। प्रथम बेलमेटल व द्वितीय काष्ठ हस्तशिल्प।

बेलमेटल शिल्पः बस्तर का बेलमेटल शिल्प अति प्राचीन है। यह शिल्प लॉस्ट वैक्स प्रोसेस (मोम को पिघलाकर) का उपयोग कर तैयार किया जाता है। इस कारण निर्मित सभी कलाकृतियां मास्टर पीस होती हैं। मेटल शिल्प के उपयोग होने वाली समस्त सामग्री स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। बस्तर के कई गांवों में इस शिल्प से जुड़े शिल्पकार कार्यरत् हैं। सबसे अधिक संख्या में कारीगर कोंडागांव के भेलवापदर, करणपुर, दहीकोंगा, सोनाबाल, आदि गांवों में निवास करते हैं। मुख्य रूप से यह शिल्पी परंपरागत घड़वा जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा लगभग 300 वर्ष

तालिका 3: जनजातियों के विभिन्न व्यवसायों से प्राप्त आय

राज्य	जिला	कृषि से आय*	दैनिक मजदूरी से आय (रुपये)	हस्तशिल्प से आय*	कुल आय
आंध्रप्रदेश	सबनश्री	700	450	2750	3300
	पपमपारे	500	600	2100	3200
छत्तीसगढ़	दंतेवाडा	1900	1000	1300	4200
	जगदलपुर	1600	700	1500	3000
	रायगढ़	1600	1600	500	3700
राजस्थान	बांसवाड़ा	600	2100	1500	4200
	डोंगरपुर	600	2600	1300	4500
	उदयपुर	600	2000	1300	3900
उत्तरांचल	चमोली	1100	900	1100	3100
	पिथौरागढ़	1100	300	1500	2900
	उत्तराक्षी	600	1000	1600	3400

* *रुपये मासिक*

स्रोतः *www.clustercollaboration.en*

पूर्व राजा महाराजाओं के संरक्षण में कार्य करते हुए इन्होंने अपनी कला का विकास किया है पुराने जमाने में यह लोग देवी-देवताओं की मूतियां, मंदिरों, कलश, गहने, बर्तन, चम्मच तथा घंटों आदि का निर्माण करते थे लेकिन धीरे-धीरे सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं में बदलाव के कारण तथा बाज़ार में उपलब्ध अन्य वैकल्पिक उत्पादों के कारण इनकी आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ा क्योंकि परंपरागत कलाकृतियां स्थानीय हाट बाज़ार व मड़ई मेलों में पर्याप्त मात्रा में बिक जाया करती थीं लेकिन वर्तमान में स्थानीय हाट बाज़ारों में इनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों की मांग न के बराबर है। बदली हुई बाज़ारीय परिस्थितियों के कारण इन्होंने अपने उत्पाद में कोई खास बदलाव नहीं किया तथा सिर्फ देवी-देवताओं व जानवरों की मूर्तियों तक ही अपना उत्पाद सीमित रखा इसी कारण शहरी बाज़ार में इनके उत्पादों की मांग नहीं बढ़ पाई।

बेलमेटल बनाने की प्रक्रियाः बस्तर जिले में धातु शिल्प प्रमुख आकर्षण है इसे ढोकरा कला के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रमुखतः घड़वा समुदाय के लोग बनाते हैं इसलिए इसे घड़वा कला के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही छोटे समुदाय के होते हैं और मुख्यतः पीतल व तांबे के धातु का उत्पादन करते हैं। घड़वा लोग मुख्यतः मोम व पीतल, तांबे का मिश्रण पिघलाकर धातु शिल्प का निर्माण करते हैं। घड़वा शब्द की उत्पत्ति घलना (जिसका अर्थ है धातु पिघलाकर सामग्री तैयार करना) शब्द से हुई है।

सर्वप्रथम कारीगर मोम व धातु बाज़ार से एकत्रित करता है व अन्य सामग्री जैसे मिट्टी जलाने हेतु लकड़ी आदि सभी व वनों से

शोध के दौरान कलाकारों से बातचीत में यह जानकारी मिली कि बेल मेटल हस्तशिल्प बनाने हेतु काफी खर्चीली सामग्री इस्तेमाल की जाती है, किंतु यह निश्चित नहीं होता कि प्रतिमाह इस कार्य में लाभ होगा या नहीं। कुछ महीने तो विक्रय बहुत अधिक मात्रा में होता है किंतु कुछ समय इन्हें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है।

एकत्रित करता है। तत्पश्चात् कारीगर मूर्ति को मिट्टी से एक कच्चा रूप देकर तैयार करता है जिसे 'मन मिट्टी' कहा जाता है। इस मूर्ति पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से लेप लगाया जाता है जिसे 'रूई-माटी' कहा जाता है और जिसे चीटियों के बिल में से लाया जाता है और इस रूई माटी में गाय का गोबर मिट्टी परत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अंतिम चरण में इसे सूखने के लिए सूर्य की रोशनी में रखा जाता है। अगला चरण मोम का होता है यह मधुमक्खी के छत्तों से तथा स्थानीय बाज़ार से भी प्राप्त किया जाता है मोम व तारों को मूर्तियों से जोड़ा जाता है तथा चारों तरफ से परत चढ़ाई जाती है तथा मूर्ति तैयार की जाती है। तत्पश्चात् इस मूर्ति पर मिट्टी की पुनः परत चढ़ाई जाती है इसमें सामान्य मिट्टी व बकरी का गोबर इस्तेमाल किया जाता है इसे सामान्यतः ढोकरा जनजाति के लोग बनाते हैं।

शोध के दौरान कलाकारों से बातचीत में यह जानकारी मिली कि बेल मेटल हस्तशिल्प बनाने हेतु काफी खर्चीली सामग्री इस्तेमाल की जाती है, किंतु यह निश्चित नहीं होता कि प्रतिमाह इस कार्य में लाभ होगा या नहीं। कुछ महीने तो विक्रय बहुत अधिक मात्रा में होता है किंतु कुछ समय इन्हें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। किंतु कारीगरों को विक्रय के अनुपात में लाभ प्राप्त नहीं होता है क्योंकि ये कारीगर दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं।

काष्ठ हस्तशिल्प कलाः बस्तर के जंगल अपनी इमारती लकड़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां के जंगलों में सागौन, साल, बीजा, शीशम व अन्य प्रकार की बहुमूल्य इमारती लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। बस्तर में आदिवासी समुदाय अपने दैनिक जीवन में लकड़ियों का विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं। ये लोग लकड़ी से चौखट, खिड़कियां, दरवाजे व माड़िया खंबा आदि बनाते हैं। स्थानीय लोग कोई भी सामान बनाते समय उसमें सुंदरता का विशेष ध्यान रखते हैं। उसमें खुदाई करके या लकड़ी को जलाकर विभिन्न प्रकार की डिजाईन बनाते हैं। बस्तर में दो प्रकार का कार्य काष्ठशिल्प में किया जाता है पहला पारंपरिक शिल्प जैसे रावदेव, मुखौटे, आदिवासी मूर्तियां इत्यादि। इस कार्य को करने वालों की संख्या बहुत कम है यह काम नारायणपुर के गढ़बेंगाल व कोंडागांव के गोलावंड में किया जाता है। इस कला को संरक्षित करने हेतु अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इसे मुख्यतः हल्बा व भतरा जनजाति के लोग बनाते हैं। बस्तर में आधुनिक काष्ठकला का इतिहास बहुत पुराना नहीं हैं।

लगभग 40 वर्ष पूर्व जगदलपुर में एक बंगाली परिवार ने सबसे पहले लकड़ी पर विभिन्न प्रकार के जानवरों एवं फूल पत्तियों की खुदाई का काम शुरू किया था जो कि धीरे-धीरे प्रसिद्ध होता गया आज बस्तर की पहचान उसकी काष्ठकला से होती है वर्तमान में हजारों लोगों को इस हस्तशिल्प व्यवसाय के माध्यम से रोजगार प्राप्त हो रहा है जिनमें से अधिकांश शिल्पी आदिवासी समुदाय के हैं। काष्ठ हस्तशिल्प बनाने के लिए मुख्यतः खमार और सागौन की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। ये लकड़ियां इन्हें सरकार

द्वारा प्राप्त होती है। इसके बाद इन लकड़ियों को औजारों के द्वारा आकार दिया जाता है। तत्पश्चात् पेपर से घिसाई और पॉलिश करके इन्हें विक्रय हेतु निकाला जाता है।

हस्तशिल्प से जनजातियों को रोजगार

बस्तर संभाग को जनजातियों का क्षेत्र कहा जाता है। ये जनजातियां मुख्य रूप से कृषि व हस्तशिल्प व्यवसाय पर ही आर्थिक रूप से निर्भर रहती हैं। बस्तर संभाग में बेल मेटल हस्तशिल्प व काष्ठकला में कई परिवार आश्रित हैं जो हस्तशिल्प उत्पादों का निर्माण कर रोजगार प्राप्त करते हैं। तालिका 4 में इसे दर्शाया गया है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह परिवार पूर्ण रूप से हस्तशिल्प वस्तुओं के व्यवसाय पर ही निर्भर है। इस निर्माण प्रक्रिया में लगने वाली सामग्री व लागत का उदाहरण तालिका 5 में दर्शाया गया है।

वास्तव में हस्तशिल्पकारों की दैनिक आय बहुत ही कम है जिसके कारण जीवकोपार्जन की समस्या इनके सामने आती है। हालांकि हस्तशिल्प व्यवसाय के भविष्य को उन्नत करने हेतु सरकार द्वारा भी कई प्रयास किए गए हैं जिससे शिल्पकारों को उचित रोजगार मिले व इनकी आर्थिक स्थिति उन्नत हो सके पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो हस्तशिल्प के निर्माण से रोजगार में काफी वृद्धि हुई है। तालिका 6 में इसे स्पष्ट किया गया है।

तालिका 6 से स्पष्ट होता है कि रोजगार में वृद्धि के बावजूद पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं

तालिका 4: बस्तर में हस्तशिल्पकार परिवारों की संख्या

क्रमांक	गांव के नाम	कारीगर परिवार की संख्या
1	भेलवापदरपारा	108
2	खेरकोसा	15
3	करनपुर	12
4	बारकि	08
5	भानपुरी	04
6	अल्वाही	20
7	परचनपाल	50
	कुल	217

स्रोत: www.cnvadicraft.com

की संख्या में कमी है। प्रशिक्षण की कमी व लिंगानुपात भेद आदि इसके कारण हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी कारीगरों को हस्तशिल्प व्यवसाय से रोजगार मिले इसके लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं तथापि कुछ कारीगर आर्थिक समस्याओं के कारण इस व्यवसाय से पलायन कर दूसरे व्यवसायों की ओर अग्रसर हैं इसके प्रमुख कारण निम्न हैं:-

1. हस्तशिल्पकारों की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होती है तथा हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्माण से इनकी आय इतनी नहीं होती है कि ये अपना जीवन सरलता से चला सके।
2. प्रशिक्षण के अभाव व नई तकनीकियों के बारे में भी इन्हें जानकारी नहीं होती है। चूंकि इस व्यवसाय में जनजातियां सम्मिलित होती हैं और ये जनजातियां बहुत ही सरल स्वभाव की होती हैं जो कि आधुनिक दुनिया से दूर रहती हैं। इसी

तलिका 6: बस्तर में हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार

क्र.	वर्ष	रोजगार (महिला/पुरुष)
1.	1998	138/2000
2.	2002	1588/4006
3.	2007	3008/5074
4.	2012	5575/12609

स्रोत: www.cyhandicraft.com

कारण इन्हें बाज़ार का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं होता है व ग्राहकों की पसंद व नये बाज़ार को पहचान नहीं पाते हैं।

3. कच्चा माल इन्हें बहुत ही महंगा प्राप्त होता है जिससे लागत बहुत ज्यादा आती है और यह मेहनतानुसार लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
4. हस्तशिल्प उत्पाद की मांग भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में है और इसके क्रेता संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं किंतु कारीगर केवल हाट बाज़ारों तक ही सीमित हैं और संपूर्ण रूप से मध्यस्थों पर निर्भर हैं जिसके कारण इन्हें लाभ न के बराबर मिलता है और संपूर्ण लाभ मध्यस्थों व थोक व्यापारियों को मिलता है।
5. समरूप उत्पाद बाज़ार में आने के कारण सबसे अधिक कठिनाईयों का सामना परंपरागत शिल्पियों को करना पड़ा है। बढ़ते मशीनीकरण के कारण समरूप उत्पादों की बाढ़-सी बाज़ार में आ गई है और मशीनों से बने उत्पाद अधिक सुंदर व सस्ते दामों में ग्राहकों को मिलते हैं।

तालिका 5: हस्तशिल्प निर्माण प्रक्रिया में लगने वाली सामग्री व लागत

बस्तर के एक ग्राम के एक परिवार के व्यवसाय की उत्पादन लागत विक्रय मूल्य व अनुमानित लाभ की गणना निम्न तरीके से की गई है

जिला	विकासखंड	व्यवसाय	उत्पादन की लागत	लागत	विक्रय मूल्य	लाभ	
बस्तर	बस्तर (हल्के गांव)	परिवार के सदस्यों द्वारा काष्ठकृति का निर्माण गणेश, कृष्ण की मूर्तियां व सजावटी सामान	एक गणेश मूर्ति (ऊंचाई 14 इंच) हेतु लागत –कच्चे माल की लागत 200/- –पारिवारिक पारिश्रमिक 300/- (5 दिनों हेतु) –अन्य शुल्क 50/- (पॉलिश व रंग)	550/-	600/-	50/-	रायपुर में हस्त शिल्प-कार का 50 रुपये लाभ, किंतु मध्यस्थों द्वारा दिल्ली या अन्य राज्य में विक्रय से लाभ 800-1000 रुपये
बस्तर	नगरनार	परिवार के सदस्यों द्वारा बेलधातु का निर्माण जैसे आदिवासी जोड़े व सजावटी सामग्री	आदिवासी जोड़े (24" ऊंचाई) हेतु लागत: कच्चे माल की लागत 500/- ईंधन लागत और सहायक 300/- पारिवारिक श्रम 300/- (तीन दिन) अन्य प्रभार 50/- परिवहन प्रभार 50/-	1100/-	1300/-	200/-	यही उत्पाद मध्यस्थों व बिचौलियों के द्वारा अन्य जगहों पर 3000-5000 तक बेचे जाते हैं।

स्रोत: www.cnvadicraft.com

(शेषांश पृष्ठ 62 पर)

प्राचीन भारत में विनिर्माण: परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में

पवन कुमार शर्मा

भारत के विकास में जहां एक ओर भारत की भौगौलिक एवं प्राकृतिक अवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है वहीं दूसरी ओर इस अवस्था पर आधारित सामाजिक संरचना का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। भारत में विनिर्माण की कला न केवल उन्नत थी, अपितु यह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थी और उसके संस्क्षण/संवर्द्धन में भी सकारात्मक भूमिका निर्वहन करती थी

भारत युग-युगों से अपनी अद्भुत क्षमताओं के लिए न केवल संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है बल्कि यह उनके लिए कौतूहल का विषय भी रहा है। भारत ज्ञान-विज्ञान की परंपरा के दृष्टिकोण से भी विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक है। इनमें से इसके समकक्ष जिन देशों को रखा जा सकता है वे है यूनान, मिस्र और चीन लेकिन आधुनिकता की दौड़ से वशीभूत इन देशों ने अपना वैशिष्ट्य खो दिया जबकि भारत आज भी अपने वैशिष्ट्य को न केवल बनाए रख सकने में सक्षम रहा है, बल्कि वह संपूर्ण विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रगति के नित नये सोपान भी चढ़ रहा है। यह वैशिष्ट्य भी आधुनिक विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां एक ओर संपूर्ण विश्व विभिन्न प्रकार की मंदियों, समस्याओं एवं प्राकृतिक व्याधियों से सर्वत्र घिरा हुआ है और कोई समाधान उन्हें सूझ नहीं रहा है, वहीं भारत आज भी वैश्विक समस्याओं का न केवल कुशलता से सामना कर पा रहा है बल्कि अपने परंपरागत ज्ञान के आधार पर संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन कर सकने की स्थिति में भी है।

भारत अपने ऐसे ही वैशिष्ट्य के बल पर अतीत में भी संपूर्ण विश्व का सिरमौर था और आज भी विश्व के लिए प्रेरक है। भारत का संपूर्ण विश्व को विभिन्न क्षेत्रों में योगदान आदिकाल से ही सराहनीय रहा है। सुप्रसिद्ध इतिहासविद् विल ड्यूरंट इस विषय में विस्तार से प्रकाश डालते हैं ''भारत हमारी नस्लों की मातृभूमि थी और संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की माता थी, वह हमारे दर्शन की माता थी और वह अरब के द्वारा हमारे गणित की भी माता थी और बुद्ध के माध्यम से क्रिश्चियनटी में उपलब्ध आदर्शों की और ग्राम समुदायों के द्वारा हमारे स्वशासन और लोकतंत्र की माता थी। इस प्रकार भारत माता विभिन्न प्रकार से हम सब की माता है।''[1] भारत की जिस भूमिका का वर्णन अपनी पुस्तक में विल ड्यूरंट ने किया है वह भूमिका भारत ने एक दिन में प्राप्त नहीं की थी। इसके लिए भारत ने युग-युगों से इस भूमिका को साधने की तपस्या की थी। ऋग्वैदिक काल से लेकर 18वीं सदी तक और कुछ अर्थों में आज तक भी भारत में अपनी परंपराओं के प्रति जो आकर्षण बना हुआ है वह एक दिन का प्रयास नहीं था। सुप्रसिद्ध विद्वान् और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सुप्रीम कोर्ट के न्यायविद् सर विलियम जॉन्स लिखते हैं ''बाहर के लोगों ने आकर इसे जीता है फिर भी यहां संपदा के स्रोत अब भी बहुत बड़े हैं। कपास की चीजें बनाने में वे अब भी सारी दुनिया से बड़े हैं।''[2] इस प्रकार की स्थिति जैसी कि विलियम जॉन्स ने अपने ग्रंथों में लिखी है वह 18वीं सदी तक विद्यमान थी। यद्यपि भारत पर 9वीं सदी से ही बाह्य आक्रमणकारियों के आक्रमण होने लगे थे और प्रारंभिक वर्षों (सदियों के) के आक्रमण भारत को लूटने के लिए ही किए जाते थे और 17वीं सदी में यूरोपीय देशों के व्यापारी भी भारत को लूटने के ही दृष्टिकोण से आए थे, तब भी भारत 18वीं सदी में पर्याप्त उन्नत अवस्था में था कि विलियम जॉन्स जैसे व्यक्ति को भारत के विषय में उपर्युक्त बात

लेखक अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) के समाज विज्ञान संकाय में आचार्य, अध्यक्ष एवं संकाय प्रमुख हैं। समाजशात्रीय सेमिनारों में इनकी सक्रिय उपस्थिति रही है। ईमेल: pawan_sharma1967@yahoo.co.in

लिखनी पड़ी। वे आगे लिखते हैं कि ''बहुत पुराने जमाने से भारत में कपड़ा केवल घरेलू खपत के लिए नहीं, निर्यात के लिए भी बनता था। अपने प्राचीन काल में भारत के लोग व्यापार करते थे, वे कॉमर्शियल पीपुल थे, ऐसा विश्वास करने के अनेक कारण हैं। इनके यहां जो स्मृति ग्रंथ रचे गए हैं, उनमें एक मजेदार कथन इसी चीज को लेकर है कि रुपया उधार देकर उस पर ब्याज लेना कानूनी रूप से जायज है। जिस मद के लिए रुपया उधार दिया जाता है, उसके अनुसार ब्याज की दर निश्चित की जाती है। जो लोग समुद्र के व्यापारी थे उनसे उधार की रकम पर ब्याज नहीं लिया जाता था। ऐसा व्यापार की उन्नति के लिए बहुत जरूरी था। हालांकि चार्ल्स प्रथम के पूर्व इंग्लैंड में व्यापारियों को इस तरह की छूट नहीं दी गई थी।''[3] तो, इस

बहुत पुराने जमाने से भारत में कपड़ा केवल घरेलू खपत के लिए नहीं, निर्यात के लिए भी बनता था। अपने प्राचीन काल में भारत के लोग व्यापार करते थे, वे कॉमर्शियल पीपुल थे, ऐसा विश्वास करने के अनेक कारण हैं। स्मृति ग्रंथों में एक मजेदार कथन यह है कि रुपया उधार देकर उस पर ब्याज लेना कानूनी रूप से जायज है। जिस मद के लिए रुपया उधार दिया जाता है, उसके अनुसार ब्याज की दर निश्चित की जाती है।

प्रकार के उद्धरणों से यह समझ में आता है कि भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं व्यापारिक ताना-बाना पर्याप्त मजबूत आकार ले चुका था और यह सब अनायास ही नहीं हुआ था, बल्कि यह सब करने के लिए भारतीय मनीषियों नें अनथक प्रयास किए थे। उनके इन्हीं अनथक प्रयासों से न केवल भारत ने प्रगति की थी बल्कि यूरोप आदि देश भी लाभान्वित हुए थे।

जॉन्स आगे और लिखते हैं कि ''अरबों का देश भारत से काफी दूर था, फिर भी इन दोनों के बीच व्यापारिक संबंध कायम हुए थे और ये दोनों यूरोप के देशों से व्यापार करते थे। यह तभी संभव था जब काफी पहले उन्होंने समुद्री यातायात के साधनों का विकास कर लिया हो। लिखा है हिंदू और यमन के निवासी दोनों ही प्राचीन काल में व्यापारिक जातियां थीं। संभवत: सबसे पहले उन्हीं से पाश्चात्य संसार को सोना, हाथीदांत और भारत के सुगंधित पदार्थ प्राप्त हुए थे। इन सुगंधित पदार्थों में अगरु भी था जो शब्द संस्कृत में प्रचलित है और जो कोचीन में बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है।''[4] जो बातें विलियम जॉन्स ने अपने ग्रंथों में लिखीं वही बातें विल ड्यूरंट ने भी लिखीं जिनको लेखक ने ऊपर उद्धृत किया। इस प्रकार का परिदृश्य जिसने भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ अवस्था में पहुंचाया, वह व्यवस्था जिस संरचना पर निर्मित हुई उस संरचना पर प्रकाश डालना ही इस शोधपत्र का प्रमुख उद्देश्य है।

सर्वांगीण विकास की परंपरा

आदिकाल से ही भारत में सर्वांगीण विकास की अवधारणा प्रचलन में रही है। भारत के मनीषियों ने जितना योगदान आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वयं/समाज को विकसित करने में किया है उतना ही भौतिक दृष्टिकोण पर भी ध्यान दिया है। उन्होंने समस्त ज्ञान की शाखाओं के विकास के साथ-साथ उनमें समन्वय भी स्थापित रहे यह प्रयास भी किया। इसलिए जहां एक ओर चतुर्वर्ण की व्यवस्था थी, वहीं दूसरी ओर जीवन में समन्वय स्थापित करने के लिए चार आश्रम भी स्थापित किए गए। इन आश्रमों के समुचित संचालन के लिए जहां एक ओर पुरुषार्थ चतुष्टय की संकल्पना दी वहीं दूसरी ओर प्रकृति के उचित नियमन के लिए ऋणत्रयी का विधान भी किया और उपर्युक्त व्यवस्थाओं की छत्रछाया में भारत ने कृषि, उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार के क्षेत्र में चतुर्दिक् विकास किया एवं विभिन्न प्रकार की कलाओं और शिल्प के क्षेत्र में भी बहुत नाम कमाया। भारत की समृद्धि के संबंध में सुप्रसिद्ध ग्रीक यात्री मेगस्थनीज अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'इंडिका' में लिखता है कि ''भारत की जमीन इतनी हरी-भरी और उपजाऊ है कि भारत में भुखमरी कभी नहीं रही और पोषणयुक्त भोजन सर्वत्र उपलब्ध रहा है।''[5] भारत की इस प्रकार की स्थिति एक दिन में निर्मित नहीं हुई थी, इस प्रकार की स्थिति के निर्माण से एक सुव्यवस्थित सामाजिक और आर्थिक तंत्र विकसित हुआ होगा तब कहीं जाकर भारत में सर्वत्र खुशहाली परिलक्षित होती थी।

भारत की समृद्धि के ऐसे अनेक प्रमाण– हुएन सांग, फाह्यान, मार्कोपोलो, आदि विदेशी यात्रियों के साहित्य से भी प्राप्त होते हैं, कि भारत कितना समृद्ध एव खुशहाल था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो ऐसे अनेक उद्धरणों की भरमार है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीनकाल में भारत का समुद्री व्यापार चीन, हिंद चीन, यूनान, रोम के अतिरिक्त लघु एशियाई देशों के साथ भी था। कालांतर में यही व्यापार पश्चिमी देशों के साथ भी स्थापित हुआ।[6-7] कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख आता है कि किस प्रकार के उद्योग-धंधे उस समय में स्थापित हो चुके थे। उनमें से प्रमुख थे– स्वर्णकार, लोहे से संबंधित, लकड़ी से संबंधित, चीनी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, बुनाई एवं जुताई आदि। ऐसी अवस्था भारत की लंबे समय तक रही जब तक भारत में इस प्रकार की व्यवस्था को विखंडित करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बाह्य प्रयास नहीं किए और जब से भारत में प्राचीन प्रकार की व्यवस्था का विखंडन शुरू हुआ

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो ऐसे अनेक उद्धरणों की भरमार है। प्राचीनकाल में भारत का समुद्री व्यापार चीन, हिंद चीन, यूनान, रोम के अतिरिक्त लघु एशियाई देशों के साथ भी था। कालांतर में यही व्यापार पश्चिमी देशों के साथ भी स्थापित हुआ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख आता है कि किस प्रकार के उद्योग-धंधे उस समय में स्थापित हो चुके थे।

तभी से भारत का पिछड़ना भी शुरू हो गया।[8]

सामाजिक संरचना

भारत के विकास में जहां एक ओर भारत की भौगौलिक एवं प्राकृतिक अवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है वहीं दूसरी ओर इस अवस्था पर आधारित सामाजिक संरचना का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। भारत के मनीषियों ने संपूर्ण भारत को इन परिस्थितियों के सान्निध्य में रखकर सामाजिक संरचना का ऐसा ताना-बाना बुना कि वह आज तक अपने वर्चस्व को बचा रख पाने में सफल रहा है, यद्यपि अनेक सदियों से यह ताना-बाना अनेक झंझावातों का सामना करता रहा है, फिर भी जब हम इस ताने-बाने पर दृष्टिपात करते हैं तो दूसरी जो संरचना हमारे सम्मुख उपस्थित होती है वह बहुत ही अद्भुत है। उसको हम कुछ यों समझ सकते है यथा–

प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व था उसके आधार पर संपूर्ण सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ था। इस वर्ण व्यवस्था को मुख्यत: चार भागों में विभाजित किया गया था। 1. ब्राह्मण 2. क्षत्रिय 3. वैश्य एवं 4. शूद्र। वर्ण व्यवस्था को या वर्ण को समझने के लिए लेखक ऋग्वेद के कुछ संदर्भ प्रस्तुत करना समीचीन समझता है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर वर्ण का उल्लेख हुआ है।[9] ऋग्वेद का अध्ययन करने से यह भी ध्यान में आता है कि वर्ण का अभिप्राय रंग या प्रकाश से है।[10] जिस चतुर्वर्ण व्यवस्था का प्रचलन जैसा कि आज मिलता है या वेदों के परवर्ती काल में दृष्टिगोचर होता है यह अभिप्राय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र से तो बिल्कुल नहीं था। यद्यपि इस चतुर्वर्णी व्यवस्था के दो वर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय का उल्लेख ऋग्वेद में बहुतायत में हुआ है लेकिन इनका संबंध वर्ण से नहीं रहा। ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त में भी जहां ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख हुआ है, वहां पर वर्ण शब्द कहीं नहीं है।[11] ऋग्वेद के अध्ययन से यह भी ध्यान में आता है कि पुरुष सूक्त के अतिरिक्त वैश्य और शूद्र का उल्लेख कहीं नहीं हुआ हैं। वैदिक साहित्य या वेदों में ब्राह्मण शब्द का महत्व उस प्रकार से नहीं था जैसा कि आजकल प्रयुक्त होता है। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण शब्द जाति सूचक नहीं रहा है। सामान्यत: ऋग्वेद मे जो ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका संबंध प्राय: प्रार्थना, स्तुति आदि से रहा है।[12]

जब पश्चिम के साहसी सौदागर पहली बार भारत पहुंचे, इस देश का औद्योगिक विकास किसी भी कीमत पर अपेक्षाकृत अधिक विकसित यूरोपीय देशों से कम नहीं था। इतना ही नहीं भारत अतीत में किस प्रकार के धातु उद्योग के लिए विख्यात था जिसको ब्रिटिशर्स ने भारत में आकर खत्म किया इसकी झलक भी थामॅस हालैंड के हवाले से हम सहज ही पा सकते हैं।

वर्ण, कर्म व पेशा

वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में जन्मगत न होकर कर्मगत थी, जिसको बाद में परिस्थितिवश या भयवशात् जन्मगत ही मान लिया गया और समाज में जो लोच था, उसको समाप्त करके विकास की गति को अवरुद्ध करने का काम किया गया। किंतु कालांतर में इस वर्ण व्यवस्था के जन्म आधारित विचार ने भारतीय समाज में विशेषीकरण के समाज (Specialized Society) को जन्म दिया। श्रीमद्भागवद् गीता में कृष्ण ने अर्जुन से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और अनेक कर्मों का विभाजन का वर्णन कुछ इसी प्रकार से किया।

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश:।
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्।

यानि– हे अर्जुन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह, गुण और कर्मों के विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है।[13] इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति यहां पर भी कर्म के सिद्धांत का ही पोषण करती है, न कि जन्म के।

समाज के निर्माण और सशक्तीकरण में सभी वर्णों का समान रूप से सहभाग रहता था। समाज में मात्र इन वर्णों ने ही आकार न लिया था बल्कि इन वर्णों में भी विशेषीकरण के सिद्धांत के फलस्वरूप जातियों ने आकार लेना शुरू कर दिया था। ये जातियां व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किए गए काम के आधार पर अस्तित्व में आ रही थीं–यथा–नाई[17] तष्टा[18] बढ़ई या रथनिर्माता, भिषक् या वैद्य,[19] कर्मार या लौहार,[20] चर्मन् यानी चर्मशोधनकार,[21] कालांतर में अथर्ववेद में भी रथकार,[22] सूत,[23] कर्मार (लोहार)[24] कर उल्लेख उपलब्ध है। प्रत्येक कार्य को करने वाले को पृथक् नाम से संबोधन इस बात का भी परिचायक है कि समाज में व्याकरण आदि विषयों का विकास भी हो चुका था तभी तो ऋषि अलग–अलग नामों सें कार्य करने वालों को संबोधित करता है।

तैत्तिरीय संहिता में तो अनेक प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है– यथा–क्षत्रा (चंवर डुलाने की कला) या द्वारपाल, संग्रहीता (कोषाध्यक्ष) तथा (बढ़ई/रथकार), कुलाल (कुम्हार), कर्मार, निषाद, इषुकृत (बाणनिर्माता), धन्वकृत (धनुष निर्माता), यानि बाण बनाने वाला अलग और धनुष बनाने वाला अलग। दोनों के उत्पादन में विशेषीकरण के सिद्धांत का प्रचलन स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। मृगयु (शिकारी) एवं श्वनि (शिकारी कुत्तों को ले जाने की कला)। यहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि शिकारी अलग है और शिकारी कुत्तों को ले जाने वाला व्यक्ति अलग, क्योंकि दोनों के लिए अलग–अलग संबोधन है।[25] इसी प्रकार से तैत्तिरीय ब्राह्मण में आयोगू, मागध (भाट) सूत, शैलूष (अभिनेता) रेभ, भीभल, रथकार, तक्षा, कोलाल, कर्मार, मणिकार, वप (नाई, बोनेवाला) नाई, इषुकार, धन्वकार, ज्याकार (प्रत्यंचा–निर्माता), रज्जुसर्ग, मृगयु, श्वनि, सुराकार, अयस्ताप (लोहा या तांबा तपानेवाला), कितव (जुआरी), बिद्लकार, कंटककार के नामों का उल्लेख है। संहिताओं के आधार पर जातियां आकार लेने लगीं थीं और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक तंत्र की अवस्था से समाज, सांस्कृतिक तंत्र या अर्थव्यवस्था का निर्माण करने लगा था। इस प्रकार से समाज के उपयोग के लिए जो–जो विषय ध्यान में आते गए उनके अनुसार ही समाज में जातियों का निर्माण होने लगा। यह प्रक्रिया लगभग समाज के प्रत्येक वर्ण में प्रारंभ हुई। जो वर्ण ब्राह्मण के नाते जाना गया उसमें भी ज्ञान की शाखाओं के विभिन्न आयाम विकसित हुए और वहां पर भी कुछ विषयों में विभेद स्पष्ट रूप से देखने मिलता है– यथा ब्रह्मर्षि, राजर्षि आदि–आदि संबोधन। यह अवस्था समाज के श्रेष्ठत्व की परिचायक है।

1916–18 के भारतीय औद्योगिक आयोग के इस कथन से भारत में विनिर्माण की स्वस्थ एवं समृद्ध परंपरा की पुष्टि होती है, जो कि उसने अपनी रिपोर्ट के प्रारंभ में लिखा है ''ऐसे समय जबकि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के जन्म स्थान पश्चिमी यूरोप में असभ्य जनजातियां बसी हुई थीं, भारत अपने शासकों की समृद्धि और अपने शिल्पियों की अत्यंत कलात्मक कारीगरी के लिए विख्यात था।

जातियों की उत्पत्ति और विकास में भारत के मौसम ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। बहुत सी जातियों के निर्माण में यह महत्वपूर्ण रहा है जबकि पश्चिम में चाहकर भी ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि वहां प्राकृतिक अर्थतंत्र ने न तो समाज को सशक्त ही होने दिया और न ही उसे ऐसा करने की अनुमति ही दी। भारत में समाज की यही सुदृढ़ता इसकी पुरातनता की भी प्रतीक है क्योंकि जिस प्रकार की विशिष्ट जातियों के आधार पर भारत के समाज की निर्मिति हुई है वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। भारत के वैशिष्ट्य का विश्लेषण

करने के स्थान पर हमने उस की आलोचना शुरू कर दी। भारत में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अवस्था तक जाकर सामाजिक चिंतन के आयामों को विकसित किया गया था। भारत में वर्षानुवर्ष न केवल विशिष्ट प्रकार की जातियां अपने कर्म के आधार पर रूढ़ हो रहीं थीं, बल्कि इनके द्वारा किए गए विनिर्माण से भारत समृद्धि के शिखर को भी छू रहा था। इस प्रकार की अवस्था वैदिक काल से लेकर संपूर्ण संस्कृत वामय के काल तक विद्यमान रही और 18वीं सदी तक इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

विनिर्माण परंपरा के आधुनिक साक्ष्य

1916-18 के भारतीय औद्योगिक आयोग के इस कथन से भारत में विनिर्माण की स्वस्थ एवं समृद्ध परंपरा की पुष्टि होती है, जो कि उसने अपनी रिपोर्ट के प्रारंभ में लिखा है ''ऐसे समय जबकि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के जन्म स्थान पश्चिमी यूरोप में असभ्य जनजातियां बसी हुई थीं, भारत अपने शासकों की समृद्धि और अपने शिल्पियों की अत्यंत कलात्मक कारीगरी के लिए विख्यात था और काफी समय बाद भी जब पश्चिम के साहसी सौदागर पहली बार भारत पहुंचे, इस देश का औद्योगिक विकास किसी भी कीमत पर अपेक्षाकृत अधिक विकसित यूरोपीय देशों से कम नहीं था।[26] इतना ही नहीं भारत अतीत में किस प्रकार के धातु उद्योग के लिए विख्यात था जिसको ब्रिटिशर्स ने भारत में आकर खत्म किया इसकी झलक भी थामॅस हालैंड के हवाले से हम सहज ही पा सकते हैं'' देश में तैयार लोहे की श्रेष्ठ किस्म, उच्च स्तर का इस्पात तैयार करने के लिए यूरोप में अपनाए जा रहे तरीके का पूर्व ज्ञान और तांबे तथा पीतल के बने कलात्मक सामानों ने एक समय में भारत को धातुकर्मीय जगत में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया था।[27] इसी कारण भारत संपूर्ण विश्व में उच्च आर्थिक एवं सांस्कृतिक अवस्था प्राप्त में था। भारत में विनिर्माण की कला न केवल उन्नत थी, अपितु यह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थी और उसके संस्क्षण/संवर्द्धन में भी सकारात्मक भूमिका निर्वहन करती थी।

अत: भारत के विनिर्माण की कला को यदि समकालीन विश्व के अनुरूप विकसित करके उसका प्रचलन होने लगे तो नि:संदेह यह न केवल समकालीन अनेक समस्याओं के समाधान में सहयोगी होगी, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकने में सफल हो सकेगी। ❑

संदर्भ

1. विल डयूरंट, द केस फॉर इंडिया, स्टेंडर्ड बुक स्टॉल मुंबई, 2011, पृ. 3
2. विलियम जॉन्स रचनावली, खंड- 3, पृ. 32
3. वही - पृ. 43
4. वही - पृ. - 48-49
5. जे.डब्ल्यु मॅकरिंडल, एंशियंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाई मेंगस्थनीज एंड एरियन, ट्रूवनर एंड कं. 1877, पृ. 32
6. एच.सी.चकलादर, सोशल लाइफ इन एंशियंट इंडिया द्वितीय संस्करण, 1954, पृ. 107
7. मजूमदार रॉय चौधरी एंड दत्त, एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॅकमिलन लंदन, 1953, पृ. 1336, में वर्णन है कि भारत का व्यापार 145-116 बी.सी. में मिश्र और सीरिया आदि देशों के साथ भी था।
8. मार्क टुली, नो पुल स्टॉप्स इन इंडिया, पेंगुविन बुक्स, नई दिल्ली, 1991
9. ऋग्वेद- 1/73/7, 2/3/5, 9/97/15, 9/104/4, 9/105/4, 10/124/7
10. ऋग्वेद- 2/12/4, 1/17/96
11. ऋग्वेद - 10/90
12. ऋग्वेद - 10/14/15
13. श्रीमदभगवद्गीता - 4/13
14. ऋग्वेद - 10/142/4
15. ऋग्वेद - 1/61/4, 7/32/20, 9/112/01, 10/119/5, 8/102/8
16. ऋग्वेद - 9/112/1 एवं 3
17. ऋग्वेद - 10/72/02, 9/112/02
18. ऋग्वेद - 8/5/38
19. अर्थवेद - 3/5/6
20. अर्थवेद - 3/5/7
21. अर्थवेद - 3/5/6
22. तैत्तिरीय संहिता - 4/51, 4/2, वाजसनेयी संहिता -16/26 - 28
23. इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट 1916-18, पृष्ठ-6
24. दि मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, टी.एच. हालैंड की रिपोर्ट - 1908

(पृष्ठ 58 का शेषांश)

इस कारण कारीगरों को अपने मूल उत्पाद को बेचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हांलाकि राज्य सरकार द्वारा यह नियम लगाया गया है कि मूल उत्पादों पर होलोग्राम रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि होलोग्राम राज्य सरकार और हस्तशिल्प विकास बोर्ड के निशान रहेंगे, यह प्रामाणिकता होगी कि संबंधित उत्पादों का निर्माण छ.ग. के विकास बोर्ड के अधिनियम के अनुसार हो रहा है। इससे काफी हद तक नकली उत्पादों के उत्पादन को रोका जा सकता है।

हस्तशिल्प उत्पादों का विक्रय

हस्तशिल्प उत्पादों को निर्माण से लेकर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने तक एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। सर्वप्रथम कारीगर इसका निर्माण कर इसे लोकल बाज़ार में बेचते हैं तथा जिसे हाट बाज़ार कहा जाता है। इसके बाद इसे सभी बाज़ार-थोक रिटेल शो रूम में उतारा जाता है व यहां से वह विदेशी बाज़ार में चला जाता है। दलाल व मध्यस्थ जमकर इसमें पैसा कमा लेते हैं व जितनी लागत लगती है उसमें कई गुना ज्यादा दाम में इसे बेचा जाता है व मुनाफा कमाया जाता है। किंतु शिल्पकारों को अपनी मेहनत के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं मिल पाता व जिसके कारण व अन्य कार्यों की तलाश करते रहते हैं। इसी कारण इस हस्तशिल्प को और आगे ले जाने हेतु सरकारों को और कदम उठाने चाहिए जिससे जनजातियों के जीवन स्तर में भी सुधार आए व जनजातियां कुशल जीवन व्यतीत कर सके।

उपसंहार

हस्तशिल्प कला प्राचीनतम कलाओं में से एक है। इन हस्तशिल्प कलाओं के निर्माण से कई जनजातियों को रोजगार प्राप्त होता है किंतु अपार साधन होने के पश्चात् भी कारीगरों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है और उनका जीवनस्तर निम्न श्रेणी का है। इनकी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति इस व्यवसाय से नहीं हो रही है। हस्तशिल्प व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था को भी सहयोग करता है व देश में वृहद पैमाने पर रोजगार भी प्रदान कर रहा है। साथ ही, देश के अंदर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी यह एक अहम माध्यम हो सकता है। फिर भी सरकार इस क्षेत्र की ओर काफी उदासीन दिखाई देती है। यदि इसी तरह स्थितियां रहीं तो धीरे-धीरे यह व्यवसाय विलुप्त हो जाएगा, ऐसी प्रतीत होता है। फिर भी यदि इस क्षेत्र की ओर सरकार द्वारा कुछ सकारात्मक कदम उठाया जाए तो इस व्यवसाय का भविष्य बहुत सुनहरा हो सकता है और जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। ❑

संदर्भ

साव, जनपतलाल, 1983: बस्तर का इतिहास, शक्ति प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद

बेहार, रामकुमार, 1974: बस्तर आरण्यक, धर्मार पब्लिकेशन, जगदलपुर

मिश्रा, जगन्नाथ प्रसाद, 1974: आधुनिक भारत का इतिहास, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ

शर्मा, सुधीर, 1995: छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक वैभव, गीता कम्युनिकेशन, रायपुर

विकास पथ

फार्मा-साक्षरता पहल का शुभारंभ

'फार्मा जन समाधान' दवाओं की उपलब्धता तथा उसकी कीमत से संबंधित उपभोक्ता समस्याओं के समाधान के लिए एक सशक्त वेब प्रणाली है। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा सृजित यह योजना दवाओं तथा उसकी कीमत के संदर्भ में शिकायतकर्ता की समस्या समाधान की एक द्रुत तथा प्रभावशाली तलाश करती है। यह योजना औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 के प्रभावशाली कार्यान्वयन के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ई-प्रशासन हथियार की तरह काम करेगी। 'फार्मा जन समाधान' संबंधित उपभोक्ताओं को एनपीपीए के पूर्व मूल्य स्वीकृति के बिना नई दवाओं की बिक्री, दवाओं की कमी या अनुपलब्धता, दवाओं के मूल्यनिर्धारण तथा अन्य परेशानियों के समाधान ऑनलाइन उपलब्ध कराएगी और उचित एवं पर्याप्त कारण के बिना किसी भी दवा की बिक्री के लिए आपूर्ति से इन्कार की परेशानियों से भी निजात दिलाएगी। एनपीपीए शिकायत के 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की पहल करेगी। यह फार्मा-शिक्षा वाली पहल सुविधा से ज्यादा लोगों में जागरूकता सृजित करने वाली होगी तथा यह एक नियंत्रक की भूमिका में भी होगी। यह दवाओं की कालाबाज़ारी, नकली दवाओं तथा गलत कीमत के खिलाफ भी कार्य करेगी।

रोटावायरस के लिए स्वदेशी वैक्सीन

स्वदेश में पहली बार विकसित तथा निर्मित रोटावायरस वैक्सीन 'रोटाविक' का लोकार्पण हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। इस वैक्सीन का विकास विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड जैसी विभिन्न सरकारी संस्थाओं, द बिल एंड मेलिण्डा गेट्स फाउंडेशन समर्थित भारत के एनजीओ के बीच पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी प्रारूप के नवाचार के अंतर्गत किया गया है। द गेट्स फाउंडेशन तथा भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड ने उत्पाद विकास तथा जांच की जिम्मेदारी निभाई है तथा इसका उद्घाटन पिछले 25 वर्षों के असाधारण प्रयास के परिणाम के रूप में सामने आया है। प्रधानमंत्री ने सामाजिक चुनौतियों के लिए किफायती समाधान ढूंढने के लिए पीपीपी मॉडल पर असर के रूप में भी भारत में परिष्कृत दवा उत्पादों के निर्माण के तौर पर इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस सच्चाई पर भी प्रकाश डाला कि यह वैक्सीन जनसाधारण के लाभ के लिए औषधि शोध के क्षेत्र में भारत-अमरीकी सहयोग का एक सफल उदाहरण है।

बालिका शिक्षा के लिए 'डिजिटल जेंडर एटलस' का शुभारंभ

लड़कियों की शिक्षा के उन्नयन के लिए डिजिटल जेंडर एटलस का उद्घाटन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग द्वारा किया गया। यूनिसेफ के सहयोग से विकसित यह मानचित्र निम्न बालिका शिक्षा दर वाले भौगोलिक खंडों को खासकर शैक्षिक लिंगानुपात संबंधी संकेतक पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा मुस्लिम अल्पसंख्यकों जैसे हाशिये पर रह रहे समूहों को चिह्नित करेगा।

मानचित्र तीन वर्षों में लिंग संबंधी संकेतकों के तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करेगा जो परिवर्तन के आकलन में सक्षम बनाएगा और यह भी समझाएगा कि किसी खास समय पर किसी इलाके में कुछ प्रयासों ने कार्य किया है कि नहीं। अधिकृत व्यक्तियों द्वारा आंकड़े अद्यतन करने की गुंजाइश के साथ यह एक खुले स्रोत मंच पर बनाया गया है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE) आंकड़े (2011-2014), 2011 की जनगणना के आंकड़ों और जिला स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण (डीएलएचएस) का उपयोग करते हुए लिंग मानचित्र उपयोगकर्ता को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर भौगोलिक प्रतिनिधित्व और संख्यात्मक डेटा के बीच पहुंचाकर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण संकेतक के बारे में जानकारी देता है।

जेंडर एटलस विकलांग कन्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें चिह्नित करेगा तथा उनकी समान शिक्षा को सुनिश्चित करेगा। यह संभव है को सुनिश्चित करने के लिए, महत्वपूर्ण निर्णय तथा अंतराल को पूरा किए जाने वाले खंडों में कार्रवाई को सक्षम बनाने के उपकरण के रूप में जेंडर एटलस का विकास किया गया है।

यात्री अनुकूल ऑनलाइन सेवा का उद्घाटन

रेलवे ने एक 'उपभोक्ता शिकायत वेब पोर्टल तथा एंड्रॉयड/विंडोज आधारित मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। www.coms.indianrailways.gov.in से मोबाइल एप के जरिए यात्री शिकायतों/सुझावों को डाउनलोड किया जा सकता है। यात्री वेबपेज www.coms.indianrailways.gov.in पर शिकायत तथा सुझाव दर्ज कर सकते हैं। शिकायत/सुझाव को मोबाइल नंबर +91-9717630982 पर एसएमएस भेजा जा सकता है।

त्रुटि मुक्त मतदाता सूची

भारतीय चुनाव आयोग ने 'राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धता तथा प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एनईआरपीएपी)' हाल ही में पूरे भारत में शुरू किया है। कार्यक्रम के दौरान, मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र आंकड़ों को प्रमाणीकरण के लिए आधार डेटा के साथ जोड़ा जाएगा। एनईआरपीएपी मतदाताओं की फोटो की गुणवत्ता के साथ त्रुटियां आदि के सुधार जैसे मुद्दों पर केंद्रित होगा। चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से वेब सेवाओं का प्रयोग करते हुए एसएमएस, ई-मेल, मोबाइल एप्स तथा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) के जरिए मतदाताओं को अपने आधार नंबर को फीड करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मतदाता अपनी आधार संख्या को राज्य कॉल सेंटर में 1950 नंबर पर कॉल करके या आधार संख्या के विवरण को जमा करके भी फीड कर सकता है। इसके अलावा, मतदाता निबंधन कार्यालय (ईआरओ) द्वारा आयोजित विशेष कैंपों, मतदाता सुलभता केंद्रों, ई-सेवा केंद्रों तथा नागरिक सेवा केंद्रों के जरिए भी संग्रह और आधार की फीडिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) भी हर दरवाजे सर्वेक्षण के दौरान मतदाताओं के विवरण एकत्र कर सकेगा। 12-अप्रैल-2015 को मतदाता निबंधन कार्यालय द्वारा राष्ट्रव्यापी विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। एनईआरपीएपी के अंतर्गत मतदाताओं द्वारा एकाधिक प्रविष्टियों की स्वैच्छिक प्रकटीकरण के लिए सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 2015 को पूरा हो जाएगा।

प्रकाशक व मुद्रक : डॉ. साधना राउत, अपर महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक : जय सिंह

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2015-17
Reg.No. D.L.-05/3231/2015-17 at RMS, Delhi
23 मार्च, 2015 को प्रकाशित • 29-30 मार्च, 2015 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2015-17
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

अब बाजार में उपलब्ध

एक सम्पूर्ण वार्षिक संदर्भ ग्रंथ के साथ

प्रतियोगिता परीक्षाओं में

सफलता

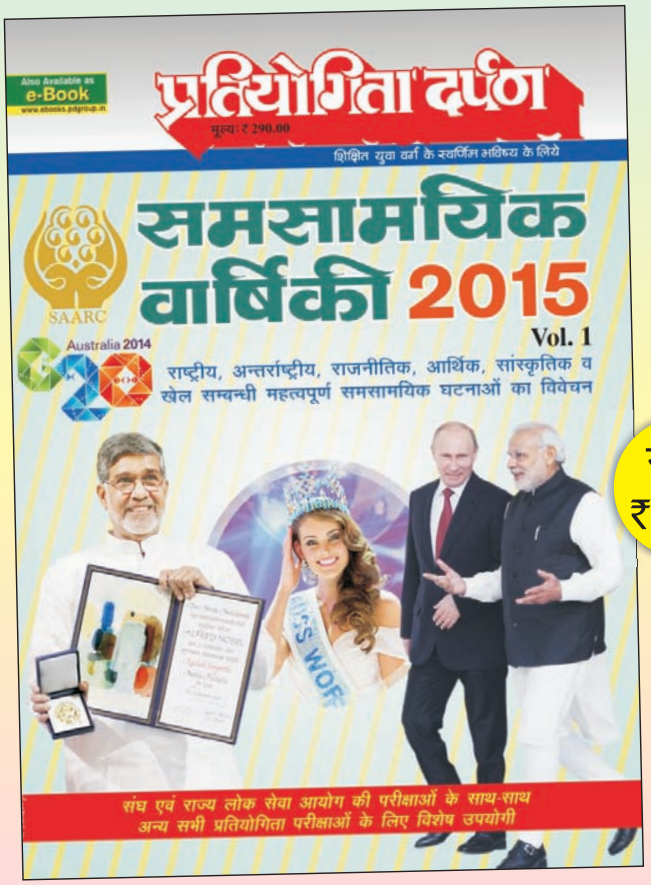

नवीन आँकड़ों एवं तथ्यों सहित

मूल्य ₹ 290/-

समसामयिक ताजा घटनाओं का विश्लेषण, खेल समाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग व्यापार, विशिष्ट व्यक्तियों, पुरस्कारों एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर उपयोगी सामग्री

कोड 870

ताजा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवेचन

English Edition Code No. 801
• ₹ 270.00

अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें।

प्रतियोगिता दर्पण

2/11ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा–282 002 फोन : 4053333, 2530966, 2531101, फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
ब्रांच ऑफिस : • नई दिल्ली फोन : (011) 23251844/66 • हैदराबाद फोन : (040) 66753330
• पटना फोन : (0612) 2673340 • कोलकाता फोन : (033) 25551510 • लखनऊ फोन : (0522) 4109080

YH-339/2014